


भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
का  
प्रतिवेदन

मार्च 2004 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

संघ सरकार (सिविल)  
स्वायत्त निकाय  
2005 की संख्या - 4



विषय सूची

	पैराग्राफ	पृष्ठ
प्राक्कथन		v
विहंगावलोकन		vii
<b>अध्याय I – सामान्य</b>		
स्वायत्त निकायों के वार्षिक लेखे	1.1	1
उपयोग प्रमाणपत्र	1.2	3
संसद के दोनों सदनों के समक्ष केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लेखाओं के संबंध में प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब	1.3	5
<b>भाग-क-पुनरीक्षण</b>		
<b>अध्याय II-कोयला और खान मंत्रालय</b>		
कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद	2.1	7
<b>अध्याय III-संस्कृति मंत्रालय</b>		
<b>भारतीय संग्रहालय, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल एवं एसियाटिक सोसाइटी</b>		
कला वस्तुओं का परिरक्षण एवं जीर्णोद्धार	3.1	29
<b>अध्याय IV – शहरी विकास मंत्रालय</b>		
शैक्षिक संस्थानों को भूमि का आबंटन	4.1	51
<b>भाग-ख -लेन-देन लेखापरीक्षा पैराग्राफ</b>		
<b>अध्याय V – वाणिज्य मंत्रालय</b>		
<b>भारतीय चाय बोर्ड, मास्को</b>		
त्रुटिपूर्ण रोकड़ प्रबन्धन एवं ब्याज की हानि	5	59
<b>अध्याय VI – उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय</b>		
<b>उपभोक्ता मामले विभाग</b>		
निधियों का अवरोधन	6	61
<b>अध्याय VII – संस्कृति मंत्रालय</b>		
<b>उत्तर-पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, दीमापुर</b>		
संग्रह निधि के अप्राधिकृत निवेश के परिणामस्वरूप राजस्व की हानि	7	63

<b>अध्याय VIII - विदेश मंत्रालय</b>		
<b>भारतीय सांस्कृतिक सम्बद्ध परिषद</b>		
अनियमित व्यय	8	65
<b>अध्याय IX – वित्त मंत्रालय</b>		
<b>आर्थिक कार्य विभाग</b>		
<b>बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण</b>		
अनियमित व्यय	9.1	67
नवीकरण शुल्क का परिहार्य प्रत्यर्पण	9.2	68
<b>अध्याय X - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय</b>		
<b>अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान</b>		
वाहन भत्ते का अनियमित भुगतान	10.1	70
अनियमित वित्तीय सहायता प्रदान करना	10.2	71
त्रुटिपूर्ण अधिप्राप्ति योजना के परिणामस्वरूप उपस्कर निष्क्रिय रहना	10.3	72
<b>अध्याय XI – मानव संसाधन विकास मंत्रालय</b>		
<b>माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग</b>		
<b>अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद</b>		
सेल्यूलर फोन्स पर अनियमित व्यय	11.1	74
<b>दिल्ली विश्वविद्यालय</b>		
ब्याज के भुगतान पर परिहार्य व्यय	11.2	75
<b>भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद</b>		
घर से चलाए जा रहे कार्यालयों पर अनियमित व्यय	11.3	76
<b>भारतीय प्रबन्धन संस्थान, कलकत्ता</b>		
निवेश पर परिहार्य हानि	11.4	77
<b>भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान</b>		
गलत वेतन निर्धारण के कारण अधिक भुगतान	11.5	79
बोनस का अनियमित भुगतान	11.6	81
<b>भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई</b>		
लाइसेंस शुल्क की कम वसूली	11.7	83
<b>भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर</b>		
ठेकेदार को अनुचित लाभ	11.8	84

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय		
अपव्यय	11.9	85
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान		
ठेका देने में अनियमितताएं	11.10	87
राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान		
निष्फल व्यय	11.11	89
राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान		
निधियों का अधिक जारी किया जाना	11.12	91
अध्याय XIII - सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय		
प्रसार भारती		
स्रोत पर कर की कटौती में विफलता के कारण अतिरिक्त व्यय	12.1	92
परिहार्य ब्याज का भुगतान	12.2	93
परिहार्य व्यय	12.3	94
एजेंसी कमीशन की अग्राह्य अनुमति	12.4	95
अध्याय XIII - जहाजरानी मंत्रालय - पत्तन खंड		
चेन्नई पत्तन न्यास		
जलयान से संबंधित प्रभारों का कम संग्रहण	13.1	97
कोलकाता पत्तन न्यास		
निष्फल व्यय	13.2	98
मॉरमुगाव पत्तन न्यास		
क्रेन ड्राइवर्स के वेतन एवं भत्ते पर निष्फल व्यय	13.3	100
मुम्बई पत्तन न्यास		
प्रतिधारण राशि को समय से पूर्व जारी करके ठेकेदार को ब्याज का अनुचित लाभ प्रदान करना	13.4	101
पारादीप पत्तन न्यास		
राजस्व की हानि	13.5	103
अध्याय XIV - लघु उद्योग और कृषि ग्रामीण उद्योग मंत्रालय		
खादी और ग्रामोद्योग आयोग		
ब्याज उपदान का परिहार्य अधिक भुगतान	14.1	106
लाइसेंस फीस में संशोधन न करने के कारण हानि	14.2	107

अध्याय XV – सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय		
मौलाना आजाद शिक्षा संस्थापन		
निवेश का निर्णय लेने में विलम्ब के कारण ब्याज की हानि	15	110
अध्याय XVI – शहरी विकास मंत्रालय		
दिल्ली विकास प्राधिकरण		
परिहार्य व्यय	16.1	112
उच्च आरक्षित मूल्य के निर्धारण के कारण हानि	16.2	113
आरक्षित मूल्य के गलत निर्धारण के कारण हानि	16.3	115
निधियों का अवरोधन	16.4	116
निष्क्रिय निवेश	16.5	118
अध्याय – XVII		
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही-संक्षिप्त स्थिति	17	120
परिशिष्ट		
I	नि.म.ले.प. (क.श.से.) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) तथा 20(1) के अंतर्गत लेखापरीक्षित केन्द्रीय स्वायत्त निकायों को 2003-04 के दौरान जारी किए गए अनुदान/ऋण	123
II	नि.म.ले.प. (क.श.से.) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) और 20(1) के अंतर्गत लेखापरीक्षित निकाय जिनके 2003-04 के लेखे/सूचना दिसम्बर 2004 तक प्राप्त नहीं हुए थे।	130
III	नि.म.ले.प. (क.श.से.) अधिनियम 1971 की धारा 14(1) और 14(2) के अंतर्गत लेखापरीक्षित केन्द्रीय स्वायत्त निकायों को 2003-04 के दौरान जारी अनुदान	132
IV	स्वायत्त निकायों द्वारा 2002-03 के लिए वार्षिक लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब	137
V	फरवरी 2005 तक स्वायत्त निकायों द्वारा वर्ष 2002-03 के लिए वार्षिक लेखाओं का प्रस्तुत न किया जाना	139
VI	बकाया उपयोग प्रमाण-पत्र	140
VII	उन स्वायत्त निकायों की सूची जिनके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए हैं (31.10.2004 तक की स्थिति)	149
VIII	नवम्बर 2004 तक की बकाया कार्रवाई टिप्पणियां	153

31 मार्च 2004 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन, संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। इस प्रतिवेदन में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 के विविध प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय स्वायत्त निकायों (2005 के प्रतिवेदन सं. 5 में शामिल वैज्ञानिक विभागों के अतिरिक्त) के वित्तीय लेन-देनों की नमूना लेखापरीक्षा के परिणाम दर्शाए गए हैं। इस प्रतिवेदन में 42 पैरे तथा निम्न तीन पुनरीक्षण शामिल हैं :

- क) कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद
- ख) भारतीय संग्रहालय, विक्टोरिया मैमोरियल हॉल और एसियाटिक सोसाइटी, कोलकाता में कला वस्तुओं का परिरक्षण एवं जीर्णोद्धार
- ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा शैक्षिक संस्थानों को भूमि का आबंटन

लेखापरीक्षित संगठन परिवर्ती स्वरूप तथा विषयों वाले स्वायत्त निकाय हैं। इन संगठनों से आवश्यक रूप से सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता से कुछ विशिष्ट लोकोपयोगी सेवाएं पूरा करना अथवा सरकार की नीतियों तथा निश्चित कार्यक्रमों का निष्पादन करना अपेक्षित है। इन निकायों तथा प्राधिकरणों में महापत्तन न्यास, प्रसार भारती, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबन्धन संस्थान, अन्य शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्थान और अनुसंधान संस्थान शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले वर्ष 2003-2004 की अवधि में नमूना लेखापरीक्षा के दौरान जानकारी में आए।



## विहंगावलोकन

### सामान्य

#### स्वायत्त निकायों के वार्षिक लेखे

2003-04 में 241 केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लेखे नि.म.ले.प.(क.श.से.) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) और 20(1) के अंतर्गत प्रमाणित किए जाने थे। भारत सरकार ने 2003-04 के दौरान 8164.03 करोड़ रु. के अनुदान और 95.85 करोड़ रु. के ऋण 218 निकायों को जारी किए। शेष 23 निकायों को जारी, सरकारी अनुदानों की राशि की सूचना उपलब्ध नहीं थी।

4737.59 करोड़ रु. (कुल अनुदानों का 58.03 प्रतिशत) की राशि के अनुदान मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 81 शैक्षिक संस्थानों को संवितरित किए गए, 630.49 करोड़ रु. (कुल अनुदानों का 7.72 प्रतिशत) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 21 स्वास्थ्य एवं अनुसंधान संस्थाओं को संवितरित किए गए तथा 314 करोड़ रु. (कुल अनुदानों का 3.85 प्रतिशत) वाणिज्य मंत्रालय द्वारा 14 स्वायत्त निकायों को संवितरित किए गए।

232 केन्द्रीय निकायों के 2002-03 के लेखापरीक्षित लेखे 31 दिसम्बर 2003 तक संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने थे। इनमें से 69 निकायों के लेखापरीक्षित लेखे अनुबद्ध समय के भीतर लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत किए गए थे। दिसम्बर 2004 तक 14 निकायों के लेखे संबंधित संगठनों द्वारा लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

(पैराग्राफ 1.1)

#### उपयोग प्रमाण-पत्र

सांविधिक निकायों को 1976-77 से मार्च 2003 के दौरान जारी अनुदानों के सम्बन्ध में, 10572.56 करोड़ रु. की संस्वीकृत राशियों के 41038 उपयोग प्रमाण-पत्र मार्च 2003-04 के अंत तक बकाया थे। इसने यह दर्शाया कि प्रणाली, जिसके द्वारा सरकार स्वयं को संतुष्ट करती है कि अनुदानों का उन्हीं उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया था जिनके लिए वे दिए गए थे, प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर रही थी।

(पैराग्राफ 1.2)

## कोयला एवं खान मंत्रालय

### कोयला खान भविष्य निधि संगठन

1999 से 2004 तक की अवधि के लिए संगठन के निष्पादन पुनरीक्षण में पाया गया था कि सांविधिक समाज कल्याण योजनाओं को पात्र कर्मचारियों, विशेषकर ठेकेदार द्वारा नियुक्त कामगारों को कवर नहीं किया गया था। ऐसी कवरेज विशेषतः कम रही। पात्र कामगारों की पहचान के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था तथा इस प्रयोजन के लिए भ.नि. निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण करने के लक्ष्य भी निर्धारित नहीं किए गए थे।

कोयला कम्पनियों के शुल्क शीघ्रता से निर्धारित नहीं किए गए थे और बकाया शुल्कों की वसूली के लिए शक्ति का प्रयोग नहीं किया गया था। चूककर्ता कोयला कम्पनियों से, 207.60 करोड़ रु. की क्षति वसूल नहीं की गई थी। निधि तथा पेंशन अंशदानों के लिए संगठन के लेखाकरण में बड़ी त्रुटियां थी। उच्चतम सामान्य लेखे में राशि, 1999-2000 के दौरान 1903.02 करोड़ रु. से 2002-03 के दौरान 4300.20 करोड़ रु. तक बढ़ गयी थी। इसी प्रकार ब्याज उच्चतम लेखे के अंतर्गत शेष, मार्च 1999 में 4805.06 करोड़ रु. से मार्च 2003 में 9233.53 करोड़ रु. हो गए थे। इसके परिणामस्वरूप सदस्यों के व्यक्तिगत खातों में प्रविष्टियां निरर्थक थी। को.खा.भ.नि.सं. की ओर से निधि प्रबन्धक, द्वारा किए गए नए निवेश पर वापसी वर्ष दर वर्ष घट रही थी।

प्रशासनिक प्रभारों से प्राप्त प्रभारों का दुरुपयोग हो रहा था। भ.नि.लेखे के कम्प्यूटरीकरण पर 1.68 करोड़ रु. खर्च किए गए थे। तथापि संगठन बगैर त्रुटि के निविष्ट आंकड़े प्रस्तुत करने में अशक्त था, जिसके परिणामस्वरूप परियोजना का कम्प्यूटरीकरण लागू नहीं हो सका और व्यय अलाभकारी रहा। शिकायत सुधारक यंत्रावली असंतोषजनक थी। आंतरिक नियंत्रण कमजोर था।

(पैराग्राफ 2.1)

## संस्कृति मंत्रालय

### भारतीय संग्रहालय, विक्टोरिया मेमोरियल एवं एसियाटिक सोसाइटी, कोलकाता

भारतीय संग्रहालय, विक्टोरिया मेमोरियल तथा एसियाटिक सोसाइटी, कोलकाता, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं, जिनके पास कला वस्तुओं के व्यापक संग्रह मौजूद हैं। कला वस्तुओं को प्राप्त करने, सुरक्षित रखने, कला वस्तुओं के संचयन के लिए कोई मानक या मानदण्ड नहीं अपनाए गए थे। संस्थानों द्वारा कला वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए कोई परिप्रेक्ष्य योजना नहीं बनायी गयी थी। उपहार में प्राप्त वस्तुओं के मूल्यांकन

हेतु कोई नीति नहीं थी। संस्थानों द्वारा अभी भी बहुत सी वस्तुएं परिग्रहित करनी शेष थीं। कला वस्तुओं की डिजिटाइजेशन प्रारम्भ नहीं की गयी थी। परवर्ती पांच वर्षों में कला वस्तुओं का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था। कला वस्तुओं के संरक्षण तथा क्षतियों की पहचान के लिए कोई प्रणालीबद्ध तरीका विद्यमान नहीं था। संस्थानों में सुरक्षा प्रणालियां बहुत अपर्याप्त थीं। इसके परिणामस्वरूप एक प्राचीन बुत, दिसम्बर 2004 में राष्ट्रीय संग्रहालय की कला गैलरी से चोरी हो गया था।

(पैराग्राफ 3.1)

### शहरी विकास मंत्रालय

#### दिल्ली विकास प्राधिकरण

दिल्ली विकास प्राधिकरण 1990-91 से 2003-04 के दौरान शैक्षणिक संस्थानों में भूमि आबंटन की शर्तों को लागू करने में असफल रहा। इन रियायती आबंटनों का प्राथमिक उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध कराना था। यह पूर्ण नहीं हुआ था। दि.वि.प्रा. भूमि आबंटन करने से पूर्व यह सुनिश्चित करने में भी असफल रहा कि समितियां भूमि तथा निर्माण की लागत चुकाने की वित्तीय क्षमता रखती थीं। इसके परिणामस्वरूप, अपात्र समितियों जिनके पास आवश्यक स्रोत नहीं थे, को भूमि का आबंटन हुआ। नियमों का उल्लंघन करते हुए विद्यालयों द्वारा शिक्षा शुल्क भी बढ़ाया गया था। 1997-98 से 2003-04 की अवधि के लिए, भूमि किराया तथा लाइसेंस शुल्क के साथ-साथ और उस पर ब्याज के रूप में 89 समितियों के विरुद्ध 1.88 करोड़ रु. बकाया थे। इन शुल्कों की वसूली के लिए दि.वि.प्रा. ने कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की थी।

(पैराग्राफ 4.1)

### वित्त मंत्रालय

#### बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने उचित अनुमोदन के बिना बीमा एवं जोखिम प्रबन्धन संस्थान स्थापित किया। प्राधिकरण ने इस संस्थान को 11.00 करोड़ रु. का अनियमित अंशदान दिया।

(पैराग्राफ 9.1)

पूर्व प्रभावी काल से नवीकरण शुल्क की घटी दरों के लिए, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के अविवेकपूर्ण निर्णय के परिणामस्वरूप बीमा कम्पनियों को 8.94 करोड़ रु. की अनियमित वापसी की गई।

(पैराग्राफ 9.2)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य विभाग

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (अ.भा.आ.सं.)

मंत्रालय के स्पष्ट आदेशों के विरुद्ध अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा 2002-04 के दौरान अपात्र स्टाफ को वाहन भत्ते के रूप में 68.59 लाख रु. का अनियमित भुगतान किया गया।

(पैराग्राफ 10.1)

अ.भा.आ.सं. की सम्मेलनों में शामिल होने के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु बनाए गए दिशानिर्देशों का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप अपात्र स्टाफ सदस्यों को 42.97 लाख रु. का अनियमित भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 10.2)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली, गुवाहाटी, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, बम्बई और रूड़की।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली, गुवाहाटी, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास और बम्बई ने वेतन निर्धारण में सरकार के आदेशों का अपनिर्वचन किया और मार्च 2004 तक 479 सहायक प्रोफेसरों को 2.44 करोड़ रु. का अधिक भुगतान किया। मंत्रालय के आदेशों के बावजूद, उन्होंने अपनी राशि की वसूली नहीं की है।

(पैराग्राफ 11.5)

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, बम्बई और रूड़की ने मंत्रालय के आदेशों के विरुद्ध 1999-2003 के दौरान 6500-10500 और 7500-12000 के

वेतनमान में अपात्र कर्मचारियों को 84.24 लाख रु. की राशि के बोनस का अनियमित भुगतान किया।

(पैराग्राफ 11.6)

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर ने न्यूनतम योग्यता सहित निविदाकर्ता का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया था और केन्द्रीय सतर्कता आयोग और के.लो.नि.वि. नियम पुस्तिका के अनुदेशों के उल्लंघन में, व्याख्यान हॉल परिसर के निर्माण का कार्य एक ठेकेदार को सौंपा। इसके परिणामस्वरूप 51.08 लाख रु. का परिहार्य व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त, कार्य भी समय में पूरा नहीं हुआ था।

(पैराग्राफ 11.8)

### इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने एक पाठ्यक्रम, जो कि जनवरी 2000 में बन्द कर दिया गया था, के लिए अपनी वास्तविक आवश्यकताओं से कहीं अधिक अध्ययन सामग्री 1997 में मुद्रित की। इसके परिणामस्वरूप परिहार्य अधिक भण्डारण हुआ जिसके कारण अन्ततः 58.20 लाख रु. का अपव्यय हुआ।

(पैराग्राफ 11.9)

### सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

#### प्रसार भारती

दूरदर्शन स्रोत पर आयकर की कटौती करने में असफल रहा जिसके कारण आयकर विभाग द्वारा 4.43 करोड़ रु. की राशि के जुर्माने और ब्याज का उद्ग्रहण हुआ।

(पैराग्राफ 12.1)

प्रसार भारती ने 1990-2003 की अवधि के दौरान, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड को प्रसारण अधिकार शुल्कों की किश्तों का भुगतान करने में समय-अनुसूची का सख्ती से पालन नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप 1.42 करोड़ रु. के ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 12.2)

प्रसार भारती ने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को जून 2001 और सितम्बर 2003 के बीच 210 फिल्मों के प्रसारण हेतु 15 प्रतिशत की दर पर अनियमित रूप से एजेंसी-कमीशन दिया जिसके परिणामस्वरूप 22.68 लाख रु. का अनियमित व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 12.4)

#### जहाजरानी मंत्रालय

##### चेन्नई पत्तन न्यास

चेन्नई पत्तन न्यास द्वारा जलयान से संबंधित प्रभारों के उद्ग्रहण हेतु घटाए हुए सकल टनभार को अनियमित रूप से अपनाए जाने के परिणामस्वरूप 4.58 करोड़ रु. का कम संग्रहण हुआ। लेखापरीक्षा के कहने पर 3.25 करोड़ रु. की राशि वसूल की गई थी।

(पैराग्राफ 13.1)

##### कोलकाता पत्तन न्यास

कोलकाता पत्तन न्यास ने सर्वेक्षण जलयान आर.एस.वी. त्रिबेणी, जो अपना उपयोगिता काल समाप्त कर चुका था, की मरम्मत कराने का निर्णय किया। लेकिन जलयान की मरम्मत के पश्चात उसका केवल 14 दिनों तक ही उपयोग किया जा सका। इस दोषपूर्ण निर्णय के कारण बेकार पड़े जलयान के लिए कार्मिक आवश्यकता तथा अनुसंधान पर 5.83 करोड़ रु. का निष्फल व्यय हुआ जिसमें जलयान के मरम्मत कार्य पर व्यय किए गए 97.28 लाख रु. शामिल थे।

(पैराग्राफ 13.2)

##### मॉरमुगाव पत्तन न्यास

अक्टूबर 1997 में निपटान की गई पांच घाट क्रेनों में लगाए गए क्रेन ड्राइवरों को मार्च 2004 तक पुनः तैनात नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप 99.83 लाख रु. का निष्फल व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 13.3)

##### पारादीप पत्तन न्यास

पारादीप पत्तन न्यास, पारादीप पत्तन न्यास नियमावली, 1966 के नियम एवं विनियमों के नियम 28 और 29 के उपबंधों का सख्ती से पालन करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप 34596 मीट्रिक टन के नौभार-माल के बिखराव के निकर्षण पर 86.49 लाख रु. का परिहार्य व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 13.5)

लघु उद्योग और ग्रामीण कृषि उद्योग मंत्रालय  
खादी और ग्रामोद्योग आयोग (खा.ग्रा.आ.)

खा.ग्रा.आ. को विनियंत्रित ब्याज दर की व्यवस्था के अनुसार ब्याज उपदान योजना में संशोधन करने में उसकी अपनी विफलता के कारण एक संस्थान को दिए गए बैंक-वित्त के प्रति 1.03 करोड़ रु. राशि के ब्याज उपदान की अधिक देयता, का भार उठाना पड़ा था।

(पैराग्राफ 14.1)

शहरी विकास मंत्रालय  
दिल्ली विकास प्राधिकरण

दि.वि.प्रा. मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसरण में विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से अपने विज्ञापन भेजने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप 6.07 करोड़ रु. का परिहार्य व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 16.1)

आरक्षित मूल्य के त्रुटिपूर्ण निर्धारण तथा पार्किंग स्थल शुल्क की अवास्तविक संरचना बनाने के परिणामस्वरूप पार्किंग स्थलों की नीलामी नहीं हुई जिसके कारण 2.57 करोड़ रु. के राजस्व की हानि हुई।

(पैराग्राफ 16.2)

वाणिज्यिक भूखण्डों के आरक्षित मूल्य के गलत निर्धारण के परिणामस्वरूप दि.वि.प्रा. को 1.79 करोड़ रु. की हानि हुई।

(पैराग्राफ 16.3)

दि.वि.प्रा., दिल्ली के लिए 2001 के मास्टर प्लान में निर्धारित भूमि उपयोग के मानदण्डों का पालन करने में विफल रहा तथा आवासीय कॉलोनियों के निर्माण हेतु मुक्त स्थल की अनुपलब्धता के परिणामस्वरूप 1.49 करोड़ रु. का अवरोधन हुआ।

(पैराग्राफ 16.4)



## अध्याय I : सामान्य

### 1.1 स्वायत्त निकायों के वार्षिक लेखे

संसद द्वारा या उसके द्वारा बनाई गई विधि के अधीन तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के विशिष्ट प्रावधानों को अन्तर्विष्ट करते हुए, निकायों की धारा 19(2) के अन्तर्गत सांविधिक रूप से लेखापरीक्षा की जाती है। अन्य संगठनों (निगमों तथा सोसाइटियों) की लेखापरीक्षा जनहित में धारा 20(1) के अन्तर्गत नि.म.ले.प. को सौंपी गई है। इन प्रावधानों के अन्तर्गत लेखापरीक्षा की प्रकृति वार्षिक लेखाओं के प्रमाणन तथा धन की उपयोगिता के महत्व की है।

31 मार्च 2004 को 241 केन्द्रीय स्वायत्त निकाय (वैज्ञानिक विभागों के अधीन निकायों को छोड़कर) थे, जिनके वार्षिक लेखे नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 (अधिनियम) की धारा 19(2) तथा 20(1) के अन्तर्गत एकमात्र लेखापरीक्षक के रूप में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित किए जाने थे।

2003-04 के दौरान, संघ सरकार द्वारा 218 स्वायत्त निकायों को क्रमशः 8164.03 करोड़ रु. तथा 95.85 करोड़ रु. राशि के अनुदान तथा ऋण जारी किए गए थे (परिशिष्ट-I)। इनमें से, 4737.59 करोड़ रु. (कुल अनुदानों का 58.03 प्रतिशत) राशि के अनुदान मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 81 शैक्षिक संस्थानों को संवितरित किए गए थे, 630.49 करोड़ रु. (कुल अनुदानों का 7.72 प्रतिशत) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 21 स्वास्थ्य एवं अनुसंधान संस्थानों को संवितरित किये गये थे, 314 करोड़ रु. (कुल अनुदानों का 3.85 प्रतिशत) वाणिज्य मंत्रालय द्वारा 14 स्वायत्त निकायों को संवितरित किये गये थे और 202.65 करोड़ रु. (कुल अनुदानों का 2.48 प्रतिशत) संस्कृति मंत्रालय द्वारा 27 स्वायत्त निकायों को संवितरित किए गए थे।

23 निकायों के सम्बन्ध में 2003-04 की सूचना को सम्बन्धित मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था; इस प्रकार, उनके द्वारा जारी किए गए सरकारी अनुदानों की राशि के विवरण दिसम्बर 2004 तक उपलब्ध नहीं थे (परिशिष्ट-II)।


(i) विभिन्न मंत्रालयों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार, 31 मार्च 2004 को, 91 केन्द्रीय स्वायत्त निकाय थे जिन्हें संघ सरकार द्वारा अनुदानों/कर्जों से पर्याप्त रूप से वित्त-पोषित किया गया था तथा अधिनियम की धारा 14(1)/14(2) के प्रावधानों के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित किए जाने थे। इन प्रावधानों के अन्तर्गत लेखापरीक्षा की प्रकृति धन की उपयोगिता के महत्व की है। 2003-04 के दौरान, इन निकायों को संघ सरकार द्वारा 2509.37 करोड़ रु. की राशि के अनुदान/ऋण जारी किए गए थे (परिशिष्ट-III)। इन निकायों के वार्षिक लेखे सनदी लेखाकार द्वारा लेखापरीक्षित किए जाने थे।

(ii) स्वायत्त निकायों द्वारा लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

सदन के पटल पर रखे जाने वाले कागजपत्रों की समिति ने अपने प्रथम प्रतिवेदन (5 वीं लोकसभा) 1975-76 में सिफारिश की थी कि लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद प्रत्येक स्वायत्त निकाय को तीन महीने की अवधि के भीतर अपने लेखे तैयार कर लेने चाहिए तथा उन्हें लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध कराना चाहिए और प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे, लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ महीनों के भीतर संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

वर्ष 2002-03 के लिए, 232 केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) और 20(1) के अन्तर्गत की जानी थी तथा ये लेखापरीक्षित लेखे 31 दिसम्बर 2003 तक संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने थे। इनमें से, केवल 69 स्वायत्त निकायों के लेखे, लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् तीन महीनों की निर्धारित सीमा के भीतर लेखापरीक्षा हेतु उपलब्ध कराए गए थे। शेष 163 स्वायत्त निकायों के लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब हुआ जैसा नीचे दर्शाया गया है :-

एक माह तक का विलम्ब	36
एक माह से अधिक तथा तीन माह तक का विलम्ब	53
तीन माह से अधिक तथा छः माह तक का विलम्ब	35
छः माह से अधिक विलम्ब	25
फरवरी 2005 तक लेखे/सूचना प्राप्त नहीं हुए	14
जोड़	<u>163</u>



परिशिष्ट-IV में उन स्वायत्त निकायों, जिनके लेखे तीन माह से छः माह के बीच तथा छः माह से अधिक विलम्बित थे, की स्थिति दी गई है।

उन निकायों जिनके लेखे/ सूचना फरवरी 2005 तक प्राप्त नहीं हुए, की सूची परिशिष्ट-V में दी गई है।

**लेखाओं के प्रस्तुतीकरण का बकाया :**

कुछ स्वायत्त निकायों ने पूर्व वर्षों के भी लेखे प्रस्तुत नहीं किए हैं जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

1. केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल	1999-00 से आगे
2. भारतीय विश्व कार्य परिषद, नई दिल्ली	1999-00 से आगे
3. उत्तर-पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, दीमापुर, नागालैंड	2000-01 से आगे
4. राष्ट्रीय लोक सहकारिता और बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली	2001-02 से आगे
5. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली	1993-94 से आगे
6. राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली	2001-02 से आगे
7. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली	2001-02 से आगे

## 1.2 उपयोग प्रमाण-पत्र

1976 में लेखाओं के विभागीयकरण के परिणामस्वरूप सांविधिक निकायों, गैर सरकारी संगठनों आदि को जारी किए गए अनुदानों के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित करने के लिए कि जिस उद्देश्य के लिए अनुदान संस्वीकृत किए गए थे उस पर उनका उचित उपयोग किया गया, सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों द्वारा लेखा-नियंत्रकों को अनुदानों के उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने अपेक्षित थे। मार्च 2003 तक जारी अनुदानों के सम्बन्ध में 10572.56 करोड़ रु. की राशि के मार्च 2004 तक देय कुल 41038 बकाया उपयोग

प्रमाण-पत्रों की स्थिति दर्शाने वाला मंत्रालय/विभाग-वार विवरण परिशिष्ट-VI में दिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय और निर्वाचन आयोग ने अपेक्षित सूचना प्रस्तुत नहीं की थी।

मार्च 2003 को समाप्त अवधि के लिए 10 प्रमुख मंत्रालयों/ विभागों से 9881.77 करोड़ रु. की राशि के प्रतीक्षित कुल 37698 उपयोग प्रमाणपत्रों में से 5899.04 करोड़ रु. की राशि के 26391 प्रमाण-पत्र मार्च 2002 तक जारी अनुदानों से सम्बन्धित थे जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

31 मार्च 2004 तक बकाया उपयोग प्रमाण-पत्र

(करोड़ रुपयों में)

क्र. संख्या	मंत्रालय/विभाग	मार्च 2003 को समाप्त अवधि के लिए		मार्च 2002 को समाप्त अवधि के लिए	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
1.	कृषि एवं सहकारिता	144	163.97	75	56.00
2.	पर्यावरण एवं वन	5359	642.83	5216	606.03
3.	सामुद्रिक विकास	872	230.92	804	109.47
4.	स्वास्थ्य	2354	2121.27	1749	1060.84
5.	परिवार कल्याण	1279	954.07	838	480.76
6.	आर्थिक मामले	19	1613.80	18	1612.86
7.	शहरी रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन	266	531.98	116	178.81
8.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	27294	1252.35	17546	901.78
9.	सूचना एवं प्रसारण	35	2155.87	13	888.63
10.	लघु उद्योग एवं कृषि तथा ग्रामीण उद्योग	76	214.71	16	3.86
<b>जोड़</b>		<b>37698</b>	<b>9881.77</b>	<b>26391</b>	<b>5899.04</b>

इस प्रकार, सांविधिक निकायों तथा गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान जारी करने से पूर्व मंत्रालयों/विभागों ने कुल जारी किए गए अनुदानों का 60 प्रतिशत शामिल करते हुए 70 प्रतिशत मामलों में अनुदानों के उपयोग के बारे में स्वयं को सन्तुष्ट नहीं किया।

यद्यपि उपयोग प्रमाण-पत्रों की भारी संख्या प्राप्ति हेतु लम्बित थी, निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों ने, पिछले वर्षों में जारी किए गए अनुदानों के सम्बन्ध में उपयोग प्रमाण-पत्रों के लिए आग्रह किए बिना दोषी सांविधिक निकायों/गैर-सरकारी संगठनों को 2003-04 के दौरान नए अनुदान जारी किए। उच्च न्यायालय, दिल्ली के निर्णय का पालन करते हुए वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के अनुदेशों (मई 2003) कि कोई भी अनुदान तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि पूर्व अनुदानों के उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किए जायेंगे, के बावजूद नये अनुदान जारी किये गये थे।

## 2003-04 के दौरान जारी किए गए नए अनुदान


(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	लम्बित उपयोग प्रमाणपत्रों की संख्या	राशि	पिछले वर्ष के उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना जारी किए गए नए अनुदानों की राशि
1.	परमाणु ऊर्जा	143	5.84	0.02
2.	उद्योग (तीन विभाग)	117	324.54	24.43
3.	आर्थिक मामले	19	1613.80	32.31
4.	नागर विमानन	1	1.10	0.50
5.	अण्डमान व निकोबार प्रशासन	48	23.67	68.60
6.	राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण	285	13.53	0.92
7.	खानें	38	29.51	0.09
8.	सूचना एवं प्रसारण	35	2155.87	1000.73
9.	पर्यटन	11	7.16	1.49
<b>जोड़</b>		<b>697</b>	<b>4175.02</b>	<b>1129.09</b>


इस प्रकार, सांविधिक निकायों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को, यह सुनिश्चित किए बिना कि पूर्व अनुदानों का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया था, जिसके लिए वे संस्वीकृत किए गए थे, मंत्रालयों/विभागों ने आगे की किश्तों को जारी करने की आवश्यक शर्तों में से एक सारभूत शर्त का उल्लंघन करते हुए नए अनुदान जारी किए।

### 1.3 संसद के दोनों सदनों के समक्ष केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लेखाओं के संबंध में प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

नि.म.ले.प. (क.श.से.) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) एवं 20(1) के अंतर्गत केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है। धारा 20(1) के अंतर्गत सौंपी गई लेखापरीक्षा के लिए वर्तमान व्यवस्थाओं और अधिनियम की धारा 19(क)(2) में सम्मिलित प्रावधानों के अनुसार, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने होते हैं। बहुत से केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण में असामान्य विलम्ब हुआ है। 31 अक्टूबर 2004 तक, 87 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद के पटल पर नहीं रखे गए हैं। विलम्ब के मामलों का ब्यौरा परिशिष्ट-VII में दर्शाया गया है। लेखापरीक्षित लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब ने सम्बन्धित केन्द्रीय स्वायत्त निकायों की वित्तीय स्थिति एवं निष्पादन की सूचना से संसद के दोनों सदनों को वंचित रखा।




भाग क - पुनरीक्षण



कोयला एवं खान मंत्रालय

कोयला खान भविष्य निधि संगठन,  
धनबाद



## अध्याय II : कोयला एवं खान मंत्रालय

### 2.1 कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद

कोयला खान भविष्य निधि संगठन (को.खा.भ.नि.सं.), कोयला खान भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1948 (अधिनियम) तथा उसके अंतर्गत निर्मित योजनाओं यथा कोयला खान भविष्य निधि योजना, 1948, कोयला खान पेंशन योजना, 1998 तथा कोयला खान निक्षेप सम्बद्ध बीमा योजना, 1976 के संचालन हेतु उत्तरदायी है।

को.खा.भ.नि.सं. ने सभी पात्र कर्मचारियों, विशेषकर ठेकेदारों द्वारा नियुक्त कामगारों पर योजनाओं को विस्तारित नहीं किया था। संगठन बकाया का निर्धारण तथा अपने सदस्यों पर बकाया राशियों को नियोक्ताओं से वसूल करने की शक्ति का प्रयोग करने में असफल रहा। निधि एवं पेंशन अंशदानों के लेखाकरण में बड़ी कमियां थीं। इसके परिणामस्वरूप, 83 प्रतिशत सदस्यों की पासबुक का अद्यतन नहीं हुआ था और सदस्यों के व्यक्तिगत खाता लेखा में अंकन भी बकाया थे। संगठन द्वारा नये निवेशों के प्रतिलाभ में गिरावट थी। लेखाकरण के कम्प्यूटरीकृत प्रणाली को लाने के लिए कई प्रयास किये गये। प्रयास विफल रहे क्योंकि को.खा.भ.नि.सं. त्रुटिमुक्त इनपुट डाटा प्रदान करने में असमर्थ था। शिकायत सुधार तंत्र में भी काफी कमी थी।

नियोक्ताओं से प्रशासनिक प्रभार के संग्रहण का दुरुपयोग हुआ तथा आंतरिक नियंत्रण शिथिल था।

को.खा.भ.नि.सं. का वरीय प्रबंधन कोयला कंपनियों के सहारे था परिणामस्वरूप अधिनियम के लागू करने से संबंधित मुद्दे पर कोयला कंपनी के नियोक्ता और को.खा.भ.नि.सं. के सामूहिक हितों में संभावित विरोध था।

#### विशिष्टताएं

- ठेकेदारों के कामगारों की कवरेज बहुत कम रही। ठेकेदारों द्वारा 83,304 लगाये गये कामगारों में 52,304 (63 प्रतिशत) की मार्च 2003 तक कवरेज नहीं की गई।
- को.खा.भ.नि.सं. भ.नि. और पेंशन बकायों के 314.22 करोड़ रु. वसूल करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करने में असफल रहा। मार्च 2004 तक वसूलीयोग्य क्षति की बकाया राशि 207.60 करोड़ रु. थी।
- "ब्याज उचंचत लेखा" के अंतर्गत शेष की राशि मार्च 1999 में 4805.06 करोड़ रु. से मार्च 2003 के अंत तक 9233.52 करोड़ रु. (192.16 प्रतिशत) बढ़ गयी जो प्रदर्शित करता है कि भविष्य निधि सदस्य लेखे को अद्यतन नहीं किया गया।

- को.खा.भ.नि.सं. द्वारा त्रुटिमुक्त इनपुट डाटा की आपूर्ति करने में असफल रहने के कारण भविष्य निधि लेखे के कम्प्यूटरीकृत करने की परियोजना सफल नहीं हुई।
- को.खा.भ.नि.सं. अधिकारियों के लिए घरेलू सामानों के अर्जन में प्राप्त प्रशासनिक प्रभारों की आय का दुरुपयोग किया गया।
- शिकायतों के सुधार हेतु अलग प्रकोष्ठ की स्थापना के बावजूद विचाराधीन शिकायत मार्च 1999 में 435 से मार्च 2004 के अंत तक 1382 (311.70 प्रतिशत) तक बढ़ गयी।
- को.खा.भ.नि.सं. की निधियों पर निवेशों से अर्जित ब्याज की दर गिरती प्रवृत्ति की ओर थी और यहां तक कि वर्ष 2002-03 एवं 2003-04 के दौरान अंशदाताओं को देय ब्याज से भी कम था।
- को.खा.भ.नि.सं. में विशेष जमा योजना (वि.ज.यो.) से 75 करोड़ रु. की राशि की अधिक निकासी के फलस्वरूप 1.24 करोड़ रु. के ब्याज की हानि हुई, यह घटिया वित्तीय प्रबंधन दर्शाता है।

#### अनुशंसाएं

- ❖ न्यासी बोर्ड को यह सुनिश्चित करने के लिए, कि सभी पात्र 'कोयला खान कामगार' अधिनियम से कवर हैं, एक तंत्र को विकसित एवं लागू करना चाहिए।
- ❖ को.खा.भ.नि.सं. को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्य करने के लिए पर्याप्त संख्या में निरीक्षकों को नियुक्त करना चाहिए।
- ❖ अंशदानों के लेखाकरण हेतु शीघ्र ही एक कम्प्यूटरीकृत प्रणाली स्थापित करनी चाहिए।
- ❖ को.खा.भ.नि.सं.को लेखाकरण, आंतरिक लेखापरीक्षा तथा कार्यालय कार्यप्रणाली नियम-पुस्तक विकसित करनी चाहिए।
- ❖ प्रशासनिक प्रभार की दर की आवधिक समीक्षा की जानी चाहिए ताकि यह प्रशासनिक व्यय से मेल खाये।
- ❖ सुरक्षित निवेश मार्ग खोजा जाना चाहिए ताकि सुनिश्चित वापसी की गारंटी हो सके तथा भविष्य निधि पर ब्याज की दर दीर्घकालीन रह सके।
- ❖ आंतरिक नियंत्रण की एक प्रभावी प्रणाली बनानी तथा लागू करनी चाहिए।

- ❖ को.खा.भ.नि.सं. को विरोध से बचने के लिए वरिष्ठ पदाधिकारियों की कोयला कंपनियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति की नीति की समीक्षा करनी चाहिए।

## 2.2 प्रस्तावना

कोयला खान भविष्य निधि संगठन (को.खा.भ.नि.सं.) की स्थापना कोयला खान भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1948 के अंतर्गत हुई। इसका मुख्य कार्य सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए योजनाएं बनाने, बचत की आदत डालने और कोयला खानों के कामगारों की सेवानिवृत्ति या आकस्मिक मृत्यु के मामलों में, उनके आश्रितों के भविष्य के लिए प्रावधान करना है।

को.खा.भ.नि.सं. कोयला एवं खान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत है।

### 2.2.1 कानूनी अधिदेश

कोयला खान भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1948 (अधिनियम) कोयला खानों में नियुक्त व्यक्तियों के लिए भविष्य निधि योजना, पारिवारिक पेंशन योजना तथा निक्षेप संबद्ध बीमा योजना के प्रावधानों को बनाने के लिए बनाया गया। योजनाओं के अंतर्गत, सेवा निवृत्ति लाभों की एक मुश्त सुविधा, मासिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन और आकस्मिक मृत्यु के मामलों में नामितों को 10,000/- रु. से अधिक नहीं, के लाभों का प्रावधान है।

### 2.2.2 योजनाएं

योजनाओं को संक्षेप में निम्न प्रकार से रेखांकित किया जा सकता है:

- क) कोयला खान भविष्य निधि योजना, 1948 (को.खा.भ.नि.यो.) में कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों द्वारा किये गये अंशदानों को समाविष्ट कर भविष्य निधि की स्थापना करने की व्यवस्था है।
- ख) कोयला खान पेंशन योजना, 1998 (को.खा.पें.यो.) के अन्तर्गत एक पेंशन निधि की स्थापना की गई है। इसकी पूर्ववर्ती योजना कोयला खान परिवार पेंशन योजना, 1971 थी (जिसे कर्मचारियों और नियोक्ताओं द्वारा भविष्य निधि में किये गये अंशदान के कुछ अंश को लेकर परिवार पेंशन योजना बनायी गयी थी)। कोयला खान पारिवारिक पेंशन निधि का संपूर्ण संग्रह पेंशन निधि में अंतरित कर दिया गया था।

- ग) कोयला खान निक्षेप संबद्ध बीमा योजना, 1976 (को.खा.नि.सं.बी.यो.) एक सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत भविष्य निधि के सदस्यों को बीमा प्रदान करने के लिए आरंभ की गयी थी।

### 2.3 संगठनात्मक ढाँचा

न्यासी बोर्ड (न्या.बो.) जो एक त्रिपक्षीय बोर्ड है, योजनाओं हेतु प्रशासनिक अभिकरण है जिसमें केन्द्रीय/राज्य सरकार, नियोक्ताओं और कर्मचारियों के प्रतिनिधि होते हैं। कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त परिषद का पदेन सदस्य होता है और संगठन का पूर्ण प्रभारी होता है। राज्य स्तर पर, 23 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से योजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं जिसके ब्यौरे अनुबन्ध-I में दिए गए हैं। एक क्षेत्रीय आयुक्त प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयों का प्रमुख होता है। जबकि क्षेत्रीय कार्यालय विभिन्न राज्यों में है लेकिन को.खा.भ.नि.सं. का मुख्यालय धनबाद (झारखंड) में है।

### 2.4 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

को.खा.भ.नि.सं. की निष्पादन लेखापरीक्षा यह जानने के लिए संचालित की गयी थी कि:

- सभी पात्र कर्मचारी इन योजनाओं के अंतर्गत वास्तविक रूप से कवर किये गये थे;
- बकाया राशियों की वसूली सही ढंग से हो रही थी;
- अंशदानों के लेखाकरण के लिए एक प्रभावी तंत्र था;
- नियोक्ताओं से वसूले गये प्रशासनिक प्रभार की प्रमात्रा, प्रशासनिक व्यय अदायगी के लिए उपयुक्त थी;
- किये गये निवेश से अंशदाताओं को भुगतान किया जा सकता था;
- एक उपयुक्त शिकायत सुधार तंत्र था;
- आंतरिक नियंत्रण पर्याप्त था।

### 2.4.1 लेखापरीक्षा के क्षेत्र

निष्पादन लेखापरीक्षा का संचालन, को.खा.भ.नि.सं. के मुख्यालय तथा 23 क्षेत्रीय कार्यालयों में से पांच के अभिलेखों की नमूना जाँच से किया गया। लेखापरीक्षा में को.खा.भ.नि.सं. के 1999-2000 से 2003-2004 के कार्यकलापों को लिया गया।

### 2.5 लेखापरीक्षा के निष्कर्ष

#### 2.5.1 अधिनियम की कवरेज

अधिनियम सभी कोयला कम्पनियों पर लागू है। अधिनियम का प्रावधान, 31 मार्च 2003 को, कोक संयंत्रों को छोड़कर 971 स्थापनाओं पर लागू है तथा इसके अंतर्गत 6.50 लाख से अधिक कर्मचारी कवर होते हैं। मार्च 2004 को समाप्त वर्ष तक के आँकड़े को.खा.भ.नि.सं. द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये।

“कोयला खान” किसी अभिव्यजन जिसमें कोयला प्राप्त करने या उसे खोजने के उद्देश्य से की गयी खुदाई के कार्य को व्यक्त करता है। इसके अंतर्गत कोयला खानों के कर्मचारियों की सुविधा के लिए खोले गये अस्पताल और कैंटीन के रूप में समर्थित सेवाएं भी आती हैं। एक 'कर्मचारी' का अर्थ है वह व्यक्ति जो कोयला खान में मजदूरी के लिए नियुक्त हो, इसके अंतर्गत ठेकेदार के माध्यम से या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति भी आता है। अतः अधिनियम कोयला खानों में ठेकेदारों द्वारा नियुक्त कामगारों पर भी लागू होता है।

#### 2.5.2 निरीक्षण एवं सर्वेक्षण

को.खा.भ.नि.सं. का प्राथमिक उत्तरदायित्व कोयला खान प्रबंधन के संबंधित कानूनी प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना है। इस कार्य संपादन के लिए आवधिक सर्वेक्षण द्वारा कोयला खानों और कोयला खानों में सभी कोटि के नियुक्त कर्मचारियों को चिन्हित करना आवश्यक है। तथापि, को.खा.भ.नि.सं. ने इस प्रकार का कोई सर्वेक्षण नहीं किया।

अधिनियम के अंतर्गत, भ.नि. निरीक्षक, क्षेत्र में आने वाले किसी भी कोयला खानों के संबंध में नियोक्ता से अधिनियम के अंतर्गत निर्मित किसी भी योजना के अभिलेखों के बारे में पूछ सकता है। अतः निरीक्षक पात्र कर्मचारियों को चिन्हित करने के कार्य में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तथापि लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि 31 मार्च 2004 को निरीक्षक के 30 स्वीकृत पदों के प्रति 16 निरीक्षकों की कमी थी। तदनन्तर, इन निरीक्षकों को निरीक्षण के लिए कोई निश्चित लक्ष्य निर्धारित नहीं था।

लेखापरीक्षा में कोल इंडिया लिमिटेड (सी.आई.एल.) के अभिलेखों से यह पाया गया कि को.खा.भ.नि.सं. योजना के अंतर्गत टेका मजदूरों की संख्या वर्ष 2000-01 एवं 2002-03 के दौरान बहुत कम थी, इन योजनाओं के अन्तर्गत 6,622 (43,923 में से) और 30,621 (83,304 में से) कामगार ही थे। यह 15 प्रतिशत और 37 प्रतिशत ही संगणित किया गया। निरीक्षणों के माध्यम से इस कमी का पता नहीं लगाया गया। 2001-02 के आँकड़े लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये।

इस प्रकार, निरीक्षकों की कमी और सर्वेक्षणों के अभाव ने अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू होने में बाधित किया।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2004) कि पर्याप्त कर्मचारियों के अभाव के कारण निरीक्षण कार्य संपन्न नहीं हो सका। तदनन्तर, जुलाई 2004 में इस विषय को न्यासी बोर्ड के समक्ष रखा गया और यह निर्णय लिया गया था कि निदेशक (कार्मिक) सी.आई.एल द्वारा को.खा.भ.नि.सं. योजना के अंतर्गत टेका मजदूरों की भर्ती का अनुश्रवण किया जायेगा।

## 2.6 निधियों में अंशदान

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत देय अंशदानों की दरों और कर्मचारियों/नियोक्ताओं तथा केन्द्रीय सरकार से संग्रहित वास्तविक अंशदान और 31 मार्च 2003 को संग्रह निधि नीचे की तालिका में दी गई है:

### (क) अंशदान की दर

	अंशदान की दर (प्रतिशत में)		
	कर्मचारी	नियोक्ता	केन्द्रीय सरकार
1. कोयला खान भविष्य निधि योजना, 1948	कर्मचारी की कुल प्राप्तियों का 12	कर्मचारी की कुल प्राप्तियों का 12	शून्य
2. कोयला खान पेंशन योजना, 1998	वेतन का 1.16 (मूल+मंहगाई भत्ता) वेतन का 2 (मूल+मंहगाई भत्ता सैद्धांतिक वेतन) और एक वेतन वृद्धि के बराबर राशि	वेतन का 1.16 (मूल+मंहगाई भत्ता)	वेतन का 1.67 (अधिकतम वेतन 1600 रु. प्रतिमाह)
3. निक्षेप संबद्ध बीमा योजना, 1976	शून्य	कुल मजदूरी का 0.5	नियोक्ता के अंशदान का 0.25
4. प्रशासनिक प्रभार	शून्य	कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों के अनिवार्य भ.नि. अंशदानों की कुल राशि का 3	केन्द्रीय सरकार द्वारा देय लाभों को छोड़कर पेंशन योजना के संचालन पर सभी व्यय

## (ख) संग्रहित अंशदान

(करोड़ रुपये में)

1. भविष्य निधि	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
कर्मचारियों एवं नियोक्ताओं का अंशदान	1278.98	971.03	1858.29	1758.81	उ.न.
<b>2. पेंशन निधि</b>					
क) कर्मचारियों एवं नियोक्ताओं का अंशदान	433.38	281.02	420.36	381.61	उ.न.
ख) सरकारी अंशदान	27.93	शून्य	42.57	30.75	उ.न.
<b>जोड़</b>	<b>461.31</b>	<b>281.02</b>	<b>462.93</b>	<b>412.36</b>	
<b>3. निक्षेप संबद्ध बीमा योजना</b>					
क) नियोक्ताओं का अंशदान	1.50	1.59	2.62	2.36	उ.न.
ख) सरकारी अंशदान	0.69	0.95	1.01	1.55	उ.न.
<b>जोड़</b>	<b>2.19</b>	<b>2.54</b>	<b>3.63</b>	<b>3.91</b>	

उ.न. : वर्ष 2003-04 का वार्षिक लेखा उपलब्ध नहीं कराया गया था।

मई 2000 से भ.नि. की संशोधित दर 10 से 12 प्रतिशत को सूचित करने में विलंब होने से पिछले वर्ष की तुलना में 2001-02 में अंशदान मुख्य रूप से बढ़ा। परिणामस्वरूप, कुछ कोयला कंपनियों में अपना अंशदान 2001-02 में ही संशोधित किया।

## संग्रह निधि

(करोड़ रुपयों में)

निधि	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
भविष्य निधि	11962.83	12601.06	14079.06	14948.70	उ.न.
पेंशन निधि	1982.90	2194.74	2466.88	2795.51	उ.न.
निक्षेप संबद्ध बीमा निधि	53.93	60.57	68.68	72.58	उ.न.

**2.7 अंशदानों का बकाया****2.7.1 कोयला खान भविष्य निधि योजना**

अधिनियम में नियोक्ताओं द्वारा अंशदानों के जमा करने में विलंब या गलती के लिए क्षतिपूर्ति और आपराधिक अभियोग का प्रावधान है।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बी.सी.सी.एल.) और जे.एंड.के. मिनरल्स ने जमा करने में विलंब या गलती की। मार्च 2004 तक भ.नि./पेंशन अंशदान की 314.22 करोड़ रु. की राशि बी.सी.सी.एल. और जे.एंड.के. मिनरल्स पर बकाया थी। बी.सी.सी.एल. ने तीन महीने से एक वर्ष विलंब के साथ भ.नि. अंशदान के 689.67 करोड़ रु. और पेंशन अंशदान के 146.30 करोड़ रु. जून 2000 से मार्च

2003 के दौरान संप्रेषित किये। तथापि को.खा.भ.नि.सं. ने अंशदानों के विलंबित भुगतान के लिए 207.60 करोड़ रु. की (विहित दर पर) क्षति उद्ग्रहीत नहीं की।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2004) कि लेखापरीक्षा की टिप्पणियों के प्रत्युत्तर में कंपनी के विरुद्ध भ.नि./पेंशन अंशदान के विलंबित भुगतान हेतु ब्याज के रूप में 79.79 करोड़ रु. की मांग की गयी थी। तथापि, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि ब्याज उद्ग्रहण करने का अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है और 207.60 करोड़ रु. की राशि कंपनी से अभी तक बकाया है।

इस प्रकार, को.खा.भ.नि.सं. ने इन कंपनियों से बकाया अंशदानों और क्षतिपूर्ति के उद्ग्रहण हेतु अधिनियम की धारा 10 एफ, 10ए एवं 9 के अंतर्गत उपलब्ध संवैधानिक विकल्पों का उपयोग नहीं किया।

### **2.7.2 कोयला खान पेंशन योजना**

कोयला खान पेंशन योजना, 1998 ने कोयला खान पारिवारिक पेंशन योजना, 1971 को प्रतिस्थापित किया। नयी योजना के पैरा 3(सी) और 3(डी) के अनुसार 1 अप्रैल 1989 और उसके आगे से कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ता/सैद्धांतिक वेतन के दो प्रतिशत का भुगतान और 1 जुलाई 1995 के कर्मचारी के वेतन के आधार पर संगणित एक वेतन वृद्धि के बराबर राशि को पेंशन निधि में स्थानांतरित करना था। योजना के प्रावधानों के अनुसार, इन बकायों का उद्ग्रहण कर संगठन को 29 जुलाई 1998 तक संप्रेषित करना था।

नियोक्ता द्वारा संप्रेषित किये जाने वाले वास्तविक बकाया का पता लगाने के लिए, को.खा.भ.नि.सं.को विहित विवरणियों का विस्तृत समाशोधन करना आवश्यक था। यह नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप, देय बकाया का पता नहीं लगा।

इस बीच, बी.सी.सी.एल. ने बकाया के कुल निपटान के प्रति 80.58 करोड़ रु. जमा किया, यद्यपि संगठन का प्रारंभिक आकलन यह दर्शाता था कि कंपनी का बकाया दायित्व कम से कम 299.70 करोड़ रु. था।

लेखापरीक्षा की टिप्पणियों के प्रत्युत्तर में को.खा.भ.नि.सं. ने उत्तर दिया कि (अक्टूबर 2004) की 299.70 करोड़ रु. का प्राक्कलन असमाशोधित आंकड़ा था। तथापि, को.खा.भ.नि.सं. ने इस समाशोधन के असफल होने का कोई कारण नहीं बताया और इस प्रकार अपने सदस्यों के आर्थिक हितों की रक्षा नहीं की।

### 2.7.3 अंशदानों के लिए लेखाकरण

को.खा.भ.नि. योजना में प्रावधान है कि प्रत्येक नियोक्ता को भविष्य एवं पेंशन निधि (प्रपत्र पी.एस.-5) के प्रति अंशदान का मासिक सार प्रस्तुत करना चाहिए। तदनन्तर, नियोक्ता को अंशदाता-वार अंशदानों की वार्षिक विवरणी (प्रपत्र-V.V.) भी प्रस्तुत करना चाहिए। इन विवरणियों से प्राप्त सूचनाओं का उपयोग प्रत्येक अंशदाता के लेखा को अद्यतन करने के लिए किया जाता है।

प्रपत्र पी.एस.-5 (मासिक सार) से प्राप्त सूचनाओं का उपयोग 'उचंत सामान्य लेखा', में क्रेडिट करने हेतु किया जाता है। प्रपत्र-"V.V." की प्राप्ति के बाद (अंशदाता-वार वार्षिक विवरणी) और पी.एस.-5 के साथ समाशोधन होने पर राशि को "भविष्य निधि लेखा" में क्रेडिट किया जाता है तथा उचंत सामान्य लेखा अनुकूलतः कम हो जाता है।

इसी प्रकार, योजना में प्रावधान है कि सभी ब्याज और अन्य आय प्रशासनिक निधि के लेन-देन को छोड़कर "ब्याज उचंत लेखा" में क्रेडिट करना चाहिए। प्रपत्र-V.V. एवं पी.एस.-5 के मध्य इसी प्रकार के समाशोधन के बाद प्रत्येक अंशदाता के लेखा को उपचित ब्याज के साथ अद्यतन किया जाता है जबकि ब्याज उचंत लेखा शेष अनुकूलता कम हो जाता है। अतः इस लेखा का अधिशेष यह दर्शाता है कि ब्याज या अन्य प्राप्त आय इसके सदस्यों को देय घोषित ब्याज को वहन करने के लिए पर्याप्त है।

इन दोनों लेखाओं की लेखापरीक्षा संवीक्षा से निम्नलिखित उद्घाटित हुआ :

### 2.7.4 उचंत सामान्य लेखा तथा ब्याज उचंत लेखा शेषों में अत्यधिक वृद्धि

उचंत सामान्य लेखा शेष 1999-2000 के दौरान 1903.02 करोड़ रु. से 2002-03 के दौरान 4300.20 करोड़ रु. (225.97 प्रतिशत) बढ़ गया। यह दर्शाता है कि अंशदाताओं का व्यक्तिगत लेखा अद्यतन नहीं किया गया था जो योजना के उद्देश्यों को पूरा नहीं करता है।

इसी प्रकार, ब्याज उचंत लेखा के अंतर्गत अंतशेष 1999-2000 के दौरान 4805.06 करोड़ रु. से 31 मार्च 2003 को 9233.52 करोड़ रु. (192.16 प्रतिशत) व्यक्तिगत सदस्य लेखा में उपचित ब्याज समय से जमा नहीं हुआ जो योजना के उद्देश्य को पूरा नहीं हुआ।

तदनन्तर, ब्याज उचंत शेष के सही अद्यतन नहीं होने के अभाव में संगठन के लिए यह पता लगाना संभव नहीं था कि भ.नि. अभिवृद्धि पर अर्जित ब्याज समय-समय पर कर्मचारियों को देय घोषित ब्याज को पूरा करने के लिए पर्याप्त था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2004) कि नियोक्ताओं से पी.एस.-5 और V.V. विवरणी की प्राप्ति न होना इन लेखाओं में शेषों के बढ़ने के लिए उत्तरदायी था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार को.खा.भ.नि.सं. निरीक्षक कोयला खान में नियुक्त व्यक्तियों से संबंधित किसी भी सूचना को प्राप्त करने में सक्षम है। तदनन्तर, नियोक्ता को भी यह सूचना प्रदान करना आवश्यक है। ऐसे प्रावधान भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 175 में भी है। अतः को.खा.भ.नि.सं. पी.एस.-5 एवं V.V. विवरणियों की सूचनाओं को प्राप्त करने में पूरी तरह से सक्षम है। अभी तक को.खा.भ.नि. सं. अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करने में असफल है। अतः को.खा.भ.नि.सं का विवरणियों को प्राप्त नहीं करने में अक्षमता से संबंधित उत्तर उपयुक्त नहीं था।

#### 2.7.5 पासबुक का अद्यतन होना

अंशदाताओं के पासबुक को अद्यतन करना संगठन का मुख्य कार्य है। पासबुक का अद्यतन होना बहुत अधिक था जैसा कि नीचे वर्णित है:

वर्ष	सदस्यों की कुल संख्या	अद्यतन की गयी पासबुक की संख्या	शेष नहीं किये गये	प्रविष्टि नहीं किये जाने की प्रतिशतता
1999-2000	510786	84454	426328	83.46
2000-01	481761	441270	40491	8.40
2001-02	497836	84458	413378	83.03
2002-03	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
2003-04	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.

उ.न. : संगठन द्वारा विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया

ये बकाये 2000-01 के 8.40 प्रतिशत से 2001-02 के दौरान 83.03 प्रतिशत तक बढ़ गये। संगठन ने बताया कि नियोक्ताओं द्वारा को.खा.भ.नि.सं. को अपूर्ण सूचना दिये जाने के कारण पासबुक को अद्यतन नहीं किया जा सका। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि को.खा.भ.नि. योजना के पैरा 67 के अनुसार क्षेत्रीय आयुक्त को समय-समय पर प्रत्येक कोयला खानों में दलों को भेजकर सदस्यों के पास रखे हुए पासबुक को अद्यतन कराना है। अतः संगठन द्वारा पूर्ण सूचनाओं का संग्रहण करना चाहिए था। इस मामले

को राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (रा.उ.प.) के का.खा.भ.नि.सं. पर दिये गये प्रतिवेदन में दोहराया गया था और यह बताया गया कि क्षेत्र में सहयोग और लागू करने में कमी के कारण पासबुक का अद्यतन नहीं होना गंभीरतापूर्वक प्रभावित था।

### 2.8 निधियों से अंतिम भुगतान

को.खा.भ.नि.योजना के अंतर्गत किसी सदस्य का सेवा के उपांतिम वर्ष के अंत तक की क्रेडिट राशि का भुगतान उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि से कम से कम तीन महीने पूर्व किया जाना होता है। समय से भुगतान के लिए, नियोक्ताओं को सदस्यों की, जिनकी नियुक्ति समाप्त हो गयी है और वे कर्मचारी जिनकी सेवा निवृत्ति अगले छः महीने में होनी है, के ब्यौरे की विवरणी दाखिल करनी है।

धनबाद एवं रांची स्थित पाँच क्षेत्रीय कार्यालयों में भविष्य निधि वापसी दावों के 485 मामलों की लेखापरीक्षा में नमूना जांच से पता चला कि भुगतान छः महीने से 14 वर्षों के विलंब से किये गये थे। जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों को अकारण कष्ट हुआ तथा निश्चित तिथि के बाद भी शेष रहने के कारण संगठन को 69 मामलों में 23.81 लाख रु. के ब्याज का भुगतान करना पड़ा। संगठन ने भविष्य निधि दावों के भुगतान में विलंब का कारण अपूर्ण सूचना एवं दस्तावेजों की अपेक्षा बताया। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार को.खा.भ.नि.सं. को नियोक्ताओं से सूचना प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है। तदनन्तर, समय से दावों के निपटान में विलंब के फलस्वरूप अंशदाताओं को वैधानिक सुविधाओं से वंचित रखा जाना संगठन के सृजन के मुख्य उद्देश्य को प्रभावित करता है।

### 2.9 शिकायत सुधार

धनबाद मुख्यालय में सदस्यों की शिकायतों के सुधार एवं अनुश्रवण हेतु एक अलग प्रकोष्ठ की स्थापना हुई थी। साधारणतः ये शिकायतें दावों के निपटान में विलंब और व्यक्तिगत लेखा के अद्यतन करने से संबंधित होती हैं।

31 मार्च 2004 को 1382 मामले निपटान हेतु लंबित थे जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। 1999-2004 के दौरान 317.70 प्रतिशत मामले बकाया हो गये जो दर्शाता है कि शिकायत निपटान तंत्र असंतोषजनक था।

वर्ष	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतें	वर्ष के दौरान प्राप्त	कुल	वर्ष के दौरान निपटान	वर्ष के अंत में शेष	निपटान न किए गए की प्रतिशतता
1999-00	435	299	734	291	443	60
2000-01	443	239	682	293	389	57
2001-02	389	192	581	225	356	61
2002-03	356	386	742	338	404	54
2003-04	404	1232	1636	254	1382	84

प्रबंधन ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2004) कि लंबित मामले शीघ्र ही कम होंगे क्योंकि शिकायतों को लगातार सुधारा जा रहा है। तथापि, उसने बताया कि शिकायतों के शीघ्र सुधार हेतु कोई विशिष्ट कार्यक्रम नहीं बनाया गया था।

## 2.10 प्रशासनिक प्रभार

**2.10.1** को.खा.भ.नि. योजना में विहित है कि प्रशासनिक प्रभार नियोक्ता द्वारा देय है। यह प्रभार अनिवार्य अंशदानों की कुल राशि के तीन प्रतिशत की दर से आरोप्य है। प्रभार से प्राप्त आय को प्रशासन के मूल्य चुकाने में व्यवहृत किया जा सकता है। अतः सभी राजस्व व्यय इस प्रभार की प्राप्त आय से किया जाता है।

1999-2000 से 2003-04 के दौरान प्रशासन निधि का आय एवं व्यय निम्न प्रकार था:-

(करोड़ रुपये में)

आय	1999-2000	2000-2001	2001-02	2002-03	2003-04**
प्रशासनिक प्रभार	34.40	31.52	56.79	52.90	उ.न.
निवेश पर ब्याज	28.94	84.14	61.62	86.53	उ.न.
अन्य आय	01.04	01.24	0.90	0.08	उ.न.
कुल आय	64.38	116.90	119.31	139.51	उ.न.
		(81.58)	(85.32)	(116.70)	
कुल व्यय	18.22	45.18	28.25	19.75	उ.न.
		(147.97)	(55.05)	(8.40)	
आधिक्य	46.16	71.72	91.06	119.76	उ.न.
		(55.37)	(97.27)	(159.45)	

(कोष्ठक के आंकड़े आधार वर्ष 1999-2000 से संचयी वृद्धि की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।)

1999-2003 के दौरान, इस लेखा में आय में 117 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि व्यय की वृद्धि आठ प्रतिशत हुई। परिणामतः, इस अवधि में आधिक्य 159 प्रतिशत बढ़ा।

चूँकि प्रशासनिक प्रभार आय का स्रोत नहीं था, इस लेखा में संग्रहण प्रशासनिक व्यय के आसपास होना चाहिए। तथापि, 1981 के बाद दर की समीक्षा नहीं की गयी या इसे

\*\* वार्षिक लेखा के पूर्ण नहीं होने के कारण 2003-04 के आँकड़े उपलब्ध नहीं कराये गये।

घटाया नहीं गया। तदनन्तर, को.खा.भ.नि.सं. ने प्रशासनिक प्रभार आय का पूंजीगत व्यय के मदों में दुरुपयोग किया। यह को.खा.भ.नि. योजना के पैरा 55(3) का उल्लंघन था जिसमें व्यवस्था है कि ठोस परिसंपत्तियों, जिसका अनुमानित जीवन पांच वर्षों से ऊपर हो, को प्राप्त करने में व्यय आरक्षित लेखा के अधिशेषों से किया जाना चाहिए। को.खा.भ.नि.सं. ने 1999-2004 के दौरान प्रशासनिक निधि से 5.17 करोड़ रु. का पूंजीगत व्यय किया, जो अनियमित था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2004) कि कार्यभार की वृद्धि को रोकने हेतु, कम्प्यूटरीकरण में व्यय, लेखा, प्रबंधन व्यय, पेंशन का वितरण बढ़ेगा और अधिक नियुक्तियां करनी पड़ेगी। इन सभी को प्रशासनिक व्यय से ही वहन किया जाना होगा। संगठन पेंशन वितरण के अतिरिक्त कार्य हेतु कोई प्रभार नहीं लेता था। रा.उ.प. ने कर्मचारियों की वर्तमान 1161 की संख्या को 1700 तक बढ़ाने की सिफारिश की थी। इस अतिरिक्त मानव शक्ति का व्यय इसी प्रशासनिक प्रभारों की राशि से किया जाना होगा।

उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि कम्प्यूटरीकरण परियोजना का अधिकांश भाग पूर्ण हो गया था। तदनन्तर, इस कार्य के लिए 3.77 करोड़ रु. मात्र ही प्रस्तावित थे। पेंशन योजना पर किये गये प्रशासनिक व्यय को केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिपूर्त किया जाना था तथा 1700 कर्मचारियों से सम्बन्धित निवल आर्थिक प्रभाव मात्र 5.44 करोड़ रु. प्रतिवर्ष होना था। यह मार्च 2003 में प्रशासनिक निधि के शेष 119.76 करोड़ रु. के संदर्भ में देखना चाहिए था।

प्रशासनिक निधि के बढ़ते शेषों के फलस्वरूप कर्मचारियों/पदाधिकारियों को घरेलू सामानों की आपूर्ति तथा नाममात्र प्रभार पर धनबाद में कर्मचारियों के आवासों में विद्युत आपूर्ति के रूप में अनियमित और निष्फल व्यय भी बढ़ गया जिसके उदाहरण पैरा 2.9.2 से 2.9.4 में दर्शाए गए हैं।

### **2.10.2 कम्प्यूटरीकरण**

को.खा.भ.नि.सं. ने भविष्य निधि लेखा प्रणाली को कम्प्यूटरीकृत करने हेतु अनेक प्रयास किये। इसका व्यय प्रशासनिक निधि से वहन किया गया।

(क) को.खा.भ.नि.सं. ने अक्टूबर 1994 में मेसर्स कम्प्यूटर मेंटेनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड कोलकता (सी.एम.सी.) के साथ 1.16 करोड़ रु. में को.खा.भ.नि.सं. के लेखा के कम्प्यूटरीकरण हेतु एक टर्न-की परियोजना के लिए अनुबंध किया। परियोजना

का मुख्य घटक सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेशिफिकेशन (एस.आर.एस.) के विस्तृत कार्यकलापों के अनुसार भ.नि. लेखाकरण प्रणाली को लागू करना और एक विकसित रूप देना था तथा संगठन के 12 क्षेत्रीय कार्यालयों में पांच स्थानों पर इसे प्रतिस्थापित करना था। को.खा.भ.नि.सं. द्वारा सी.एम.सी को त्रुटिमुक्त इनपुट डाटा की आपूर्ति करनी थी। परियोजना को फरवरी 1997 तक पूरा होना था।

को.खा.भ.नि.सं. में जनवरी 1995 से नवंबर 2003 तक कुल 87 लाख रु. का भुगतान किया। तथापि, क्षेत्रीय कार्यालय सी.एम.सी. को त्रुटिमुक्त डाटा की आपूर्ति करने में असफल रहा। परिणामस्वरूप, सी.एम.सी. इस परियोजना को स्थापित नहीं कर सका।

को.खा.भ.नि.सं. ने स्वीकार किया (अक्टूबर 2004) कि मुख्य डाटा निर्माण के स्तर पर भ्रांतिपूर्ण डाटा की आपूर्ति के कारण परियोजना का कार्य आगे नहीं बढ़ सका।

(ख) को.खा.भ.नि.सं. ने भ.नि. लेखा के कम्प्यूटरीकरण के लिए परियोजना हेतु डाटा प्रविष्टि तथा इसकी जांच से संबंधित 54.92 लाख रु. मूल्य का अनुबंध मेसर्स डी.अलासॉफ्ट से किया (सितंबर 2002)। इस कार्य के लिए को.खा.भ.नि.सं. को अपने 23 क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से त्रुटिमुक्त इनपुट डाटा प्रदान करना था।

तथापि, क्षेत्रीय कार्यालय फिर से त्रुटिमुक्त इनपुट डाटा की आपूर्ति करने में असमर्थ रहा। परिणामस्वरूप, मेसर्स डी. आलासॉफ्टेक ने अपने अनुबंध का पालन नहीं किया। इस बीच मेसर्स डी.आलासॉफ्ट को 24.74 लाख रु. का भुगतान किया गया।

(ग) को.खा.भ.नि.सं. ने भ.नि. कम्प्यूटरीकरण परियोजना हेतु 57 लाख रु. के मूल्य पर मेसर्स विप्रो इनफोटेक लि. कोलकाता से 92 व्यक्तिगत कम्प्यूटर का क्रय (जुलाई-अक्टूबर 2002) किया। ये कम्प्यूटर 23 क्षेत्रीय कार्यालयों को दिये गये परंतु आवश्यक सॉफ्टवेयर के विकसित नहीं होने के कारण इनका उपयोग नहीं हो सका।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2004) कि इन कम्प्यूटरों का उपयोग पेंशन कार्य के लिए किया जा रहा है।

प्रबंधन का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि पेंशन कार्य मेसर्स आई.आई.टी. खड़गपुर द्वारा किया गया। मेसर्स आई.आई.टी. खड़गपुर द्वारा व्यवहार में लाया गया हार्डवेयर पूर्व में ई.सी.आई.एल. से 12 क्षेत्रीय कार्यालयों के पाँच स्थानों के लिए लिया गया था। अन्य 11 क्षेत्रीय कार्यालयों में मेसर्स आई.आई.टी. खड़गपुर अपने हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहा था।

अतः को.खा.भ.नि.सं. द्वारा भविष्य निधि लेखाकरण की कम्प्यूटरीकरण प्रणाली को लागू करने के सभी उपाय मुख्य रूप से असफल रहे क्योंकि संगठन त्रुटिमुक्त आरंभिक इनपुट डाटा प्रदान करने में असमर्थ रहा। इसके फलस्वरूप 1.68 करोड़ रु. का निष्फल व्यय हुआ। तदनन्तर, इन कार्यकलापों के लिए प्रशासनिक निधि का अनियमित रूप से उपयोग किया गया।

### 2.10.3 54 लाख रु. के घरेलू सामानों की अनियमित आपूर्ति

संगठन ने कर्मचारियों को सामान्य उपयोग के लिए कल्याणकारी सुविधाएं जैसे कैंटीन, स्पोर्ट्स क्लब आदि को आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया। तथापि, 1999-2004 के दौरान कुल 54 लाख रु. मूल्य के घरेलू सामानों का क्रय किया तथा कर्मचारियों/पदाधिकारियों के बीच वितरित किया। इन घरेलू सुविधाओं में ऊनी चादर, सूटकेस, खिनर सेट, पंखे आदि थे।

### 2.10.4 नाममात्र प्रभार पर धनबाद में कर्मचारियों के आवास में विद्युत आपूर्ति

धनबाद के कार्यालय भवन और कर्मचारी आवासों को दो एच.टी संयोजन द्वारा दो 100 के.वी.ए. ट्रांसफार्मरों के माध्यम से बिजली की आपूर्ति की गयी। 1999-2004 के दौरान कार्यालय भवन एवं कर्मचारी आवासों को बिजली की आपूर्ति में कुल 2.69 करोड़ रु. व्यय हुए। कार्यालय भवन के लिए विद्युत भार 19.41 प्रतिशत और कर्मचारी आवासों के लिए 80.59 प्रतिशत निर्धारित किया गया था।

संगठन ने अप्रैल 1999 से मार्च 2004 तक कर्मचारी /पदाधिकारी आवासों में विद्युत आपूर्ति पर 2.17 करोड़ रु. व्यय किया परंतु 4 रु. से 15 रुपये प्रतिमाह (आवास के टाईप पर निर्भर) के नाममात्र प्रभार पर मात्र 1.07 लाख रु. वसूल किये गये क्योंकि आवासों में विद्युत मीटर नहीं लगा था। इसके फलस्वरूप इस अवधि में 2.16 करोड़ रु. की हानि हुई।

लेखापरीक्षा टिप्पणी (मई 2004) के प्रत्युत्तर में संगठन ने बताया (जुलाई 2004) कि प्रत्येक आवास में मीटर प्रदान करने या निर्धारित राशि के परिवर्तन सुझाव हेतु एक समिति गठित की जा रही है। तदनन्तर कोई उत्तर नहीं प्रस्तुत किया गया था (अक्तूबर 2004)।

**2.11 निवेश**

को.खा.भ.नि. योजना की पैरा 54 और कोयला खान पेंशन योजना के पैरा 9(2) के प्रावधानों के अंतर्गत वित्त मंत्रालय द्वारा निहित दिशानिर्देशों के अनुसार कोयला खान भविष्य निधि /पेंशन निधि से संबंधित सभी राशि को निवेशित करना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सितंबर 1995 तक संगठन के निवेश को संचालित किया। अक्टूबर 1995 से मार्च 1998 में आधिक्य निधि का पोर्टफोलियो प्रबंधन बैंक ऑफ इंडिया को स्थानांतरित हो गया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आफ इंडिया (आई.डी.बी.आई.) अप्रैल 1998 से अब तक संगठन का निधि प्रबंधक है।

समीक्षा की अवधि के दौरान प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत वर्षवार कुल निवेश नीचे दिये गये हैं:

**(क) भविष्य निधि निवेश**

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	विशेष जमा योजना (वि.ज.यो.)	केन्द्रीय सरकार बांड	राज्य सरकार बांड	लोक क्षेत्र उपक्रम बांड	एस.टी.डी.आर.	कोषागार बिल	कुल
1999-2000	12468.01	1317.32	1304.73	1546.14	-	42.85	16679.05
2000-01	13870.21	1503.07	1355.71	1968.11	-	-	18697.10
2001-02	15033.90	1831.25	1646.41	2387.93	200.00	-	21099.49
2002-03	16405.48	2332.08	1947.96	2772.70	100.00	-	23058.22
2003-04	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.

**(ख) पेंशन निधि निवेश**

(करोड़ रुपयों में)

को समाप्त वर्ष	लोक लेखा	केन्द्रीय सरकार प्रतिभूति	राज्य सरकार प्रतिभूति	लो.क्ष.उ. बांड	कुल
31.3.2000	1946.44	310.03	184.00	713.00	3153.47
31.3.2001	2111.89	401.86	239.14	918.06	3670.95
31.3.2002	2291.40	578.13	351.20	1295.86	4516.59
31.3.2003	2486.17	819.66	439.26	1554.75	5299.84
31.3.2004	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.

को.खा.भ.नि.सं. के बदले आई.डी.बी.आई. द्वारा किये गये निवेशों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से निम्नलिखित उद्घाटित हुआ:

**2.11.1 निवेशों पर वर्ष-दर-वर्ष अर्जित ब्याज की घटती दर**

आई.डी.बी.आई. द्वारा प्रत्येक वर्ष भविष्य निधि के लिए नए निवेशों पर अर्जित ब्याज की दरें तथा को.खा.भा.नि.सं. द्वारा पुनरीक्षण अवधि के दौरान अंशदाताओं को दिया गया ब्याज निम्नानुसार है :

वर्ष	परिपक्वता तक अर्जित लाभ (प.त.अ.) (%)	अंशदाताओं को दिया गया ब्याज (%)
1999-00	12.11	12
2000-01	11.28	11
2001-02	9.89	9.5
2002-03	8.03	9
2003-04	6.21	8

इस प्रकार को.खा.भा.नि.सं. द्वारा अर्जित ब्याज की दरों में लगातार गिरावट आई और 2002-03 एवं 2003-04 के वर्षों के दौरान ये अंशदाताओं को देय ब्याज से भी कम हो गई। लेखापरीक्षा-विश्लेषण से प्रकट हुआ कि 31 मार्च 2002 तक 23558.22 करोड़ रु. की कुल निवेशित निधियों में से केवल 6475.55 करोड़ रु. पर आठ प्रतिशत या इससे अधिक की वापसी थी जिसमें से 4555.12 करोड़ रु. अर्थात् 70.34 प्रतिशत वर्ष 2012 तक परिपक्व होगी। इस प्रकार निवेशों से प्राप्त वापसी के स्वरूप से संगठन के लिए वर्ष 2012 के पश्चात् अंशदाताओं को दिए गए ब्याज की वर्तमान दर का अनुसंधान वित्तीय रूप से बनाए नहीं रखा जा सकता। संगठन में किये गये निवेशों के अनुश्रवण के लिए कोई निवेश समिति नहीं थी। संगठन के कार्यकलापों पर राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (रा.उ.प.) ने भी अपनी रिपोर्ट में टिप्पणी की है कि संगठन में निवेश, उपेक्षित क्षेत्र है और संगठन द्वारा अच्छे निवेश के अवसरों को अभी भी प्राप्त करना है।

**2.11.2 विशेष जमा योजना (वि.ज.यो.)**

वित्त मंत्रालय ने गैर सरकारी भविष्य, सेवा निवृत्ति एवं उपदान निधियों के लाभ के लिए (जून 1975) एक विशेष जमा योजना (वि.ज.यो.) आरंभ की। यह योजना 1 जुलाई 1975 से प्रभावी थी। वि.ज.यो. के अंतर्गत पात्र निधियों को बीस प्रतिशत मासिक अभिवृद्धि पर ब्याज देने वाले जमा के रूप में निवेशित किया जा सकता था। ब्याज प्रतिवर्ष 31 दिसंबर को देय था।

को.खा.भ.नि.सं. ने दिसंबर 2000 में दायित्वों के भुगतान यथा भविष्य निधि, पेंशन के लिए, वि.ज.यो. से 200 करोड़ रुपये की अपरिपक्व निकासी के लिए आवेदन किया। अक्टूबर 2001 में निकासी की अनुमति मिल गयी।

लेखापरीक्षा में पता चला कि 200 करोड़ रु. की प्राप्ति के बाद, को.खा.भ.नि.सं ने अक्टूबर 2001 से जून 2002 के बीच तीन विभिन्न बैंको में इस पूरी राशि को अल्पकालिक जमा में निवेशित कर दिया। तदनन्तर, को.खा.भ.नि.सं ने 30 करोड़ रु. और 25 करोड़ रु. क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद में क्रमशः जून 2002 और दिसंबर 2003 में अंतरित कर दिये। इसने 50 करोड़ रु. एवं 20 करोड़ रु. क्रमशः सितंबर 2002 और दिसंबर 2002 में अपने राजस्व लेखा (लेखा सं.- 1) में अंतरित कर दिये। इस प्रकार, केवल 125 करोड़ रु. का ही दायित्व भुगतान में उपयोग हुआ था। शेष 75 करोड़ रु. अल्पकालिक जमा में दिसंबर 2004 तक पड़े रहे।

75 करोड़ रु. की राशि अधिक निकासी और इसको अनुसूचित बैंकों जिसमें वि.ज.यो. जमा की तुलना में कम ब्याज की दर प्रस्तावित की, में अल्पकालिक जमा में रखने के परिणामस्वरूप 1.24 करोड़ रु. की हानि हुई। यह हानि घटिया वित्तीय प्रबंधन के कारण हुई।

## 2.12 आंतरिक नियंत्रण

निम्नलिखित मुद्दों ने को.खा.भ.नि.सं में आंतरिक नियंत्रण को काफी कमजोर बना दिया।

- (i) बी.सी.सी.एल. ने अधिनियम के प्रावधानों का कई बार उल्लंघन किया जो दंडनीय कार्यवाही थी। अधिनियम के अंतर्गत, इस कार्यवाही के लिए, को.खा.भ.नि.सं. को क्षति एवं आपराधिक मामला दर्ज करना था। परन्तु को.खा.भ.नि.सं के वरीय पद, को.इ.लि.<sup>1</sup> के अनुषंगी कर्मचारियों से भरे गये। बी.सी.सी.एल. (अप्रैल 1999 से जनवरी 2001) और म.को.लि.<sup>2</sup> (अप्रैल 2001 से दिसंबर 2004) के पदाधिकारियों को आयुक्त के पद पर प्रतिनियुक्त किया गया जबकि से.को.लि.,<sup>3</sup> बी.सी.सी.एल और ई.को.लि.<sup>4</sup> से तीन पदाधिकारियों को मांग के आधार पर विशेष कार्य पर (ओ.एस.डी.) पदस्थापित किया गया। इन ओ.एस.डी में से एक अगस्त 2001 से दिसंबर 2004 तक वित्त एवं लेखा

<sup>1</sup> कोल इंडिया लिमिटेड

<sup>2</sup> महानदी कोलफील्ड लिमिटेड

<sup>3</sup> सेनटल कोलफील्ड लिमिटेड

<sup>4</sup> ईस्टन कोलफील्ड लिमिटेड

के प्रभारी था और दो क्रमशः दिसंबर 2000 से मार्च 2004 एवं जून 2002 से अभी तक (दिसम्बर 2004) पेंशन के प्रभारी थे। इन ओ.एस.डी. को वेतन भी उनकी मूल कम्पनी से मिलता था। इसके परिणामस्वरूप हितों का टकराव होने लगा जिसने विशेषकर अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के संबंध में को.खा.भ.नि.सं के सामूहिक हित को प्रभावित किया। रा.उ.प. समिति ने भी बिना पक्षपात के इस मुद्दे को उठाया है और अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया कि को.खा.भ.नि.सं आयुक्त या तो को.खा.भ.नि.सं से या केन्द्रीय सेवाओं का होना चाहिए।

- (ii) संगठन के पास अपनी लेखाकरण, आंतरिक लेखापरीक्षा एवं कार्यालय कार्य प्रणाली नियम-पुस्तक नहीं थी।
- (iii) रोकड़ मूल्यवान वस्तु, भंडार के प्रभार वाले कर्मचारियों का कार्यभार बदलते रहने की कोई कार्यप्रणाली स्थापित नहीं की गई थी।
- (iv) प्रपत्र जी.एफ. आर-19 की शर्तों के अनुसार सभी परिसंपत्तियों के क्रय, आपूर्तिकर्ताओं, मूल्य, स्थान, मूल्यहास की दर, मूल्यहास के संचित करने, निवल मूल्य आदि की सूचनाओं से संबंधित एक परिसंपत्ति रजिस्टर तैयार करना चाहिए। तथापि, इस रजिस्टर का अनुसूक्षण नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, प्रबंधन परिसंपत्तियों की विद्यमानता तथा स्थिति को सुनिश्चित नहीं कर सका।
- (v) ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं के अग्रिम संबंधी और दिन-प्रतिदिन के लेन-देन हेतु खाता नहीं रखा गया था।
- (vi) को.खा.भ.नि.सं मुख्यालय से क्षेत्रीय कार्यालयों में, यह सुनिश्चित के लिए कि विहित कार्यप्रणाली के अनुसार कार्य कर रहे थे, कोई निरीक्षण नहीं किया गया।

प्रत्युत्तर में, को.खा.भ.नि.सं बताया (अक्टूबर 2004) कि इन टिप्पणियों को नोट कर लिया गया है। प्रबंधन ने यह भी बताया कि वे अपना लेखाकरण तथा लेखापरीक्षा नियमपुस्तक तैयार करेंगे, तथा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति के बाद निरीक्षण दल भी बनाया जायेगा।

**2.13 निष्कर्ष**

को.खा.भ.नि.सं. अपने द्वारा संचालित योजनाओं के पूर्ण विस्तार को सुनिश्चित करने में असफल रहा। इसने नियोक्ताओं से अपने सदस्यों के अंशदानों की पूर्ण वसूली होने को सुनिश्चित नहीं किया। वास्तव में प्राप्त अंशदान का पुस्तकों में उचित ढंग से लेखाकरण नहीं किया गया था। विशेषतः, को.खा.भ.नि.सं. यह निर्धारित करने में असमर्थ था कि भविष्य निधि निवेश से प्रतिवर्ष अर्जित आय वास्तव में घोषित देय ब्याज से मेल खाता है। प्रशासनिक प्रभारों की वसूलियों का दुरुपयोग किया गया था। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं शिकायत सुधार तंत्र कमजोर थे तथा को.खा.भ.नि.सं. अपने सदस्यों के हितों की प्रभावशाली ढंग से रक्षा करने में असफल रहा।

मामला मंत्रालय को अक्टूबर 2004 और नवंबर 2004 में भेजा गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 2004 तक प्रतिक्षित था।

अनुबन्ध-I  
(पैराग्राफ 2.3 को देखें)


कोयला खान भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों का ब्यौरा

1. धनबाद-I
2. धनबाद-II
3. धनबाद-III
4. राँची-I
5. राँची-II
6. राँची-III
7. देवघर
8. आसनसोल-I
9. आसनसोल-II
10. आसनसोल-III
11. आसनसोल-IV
12. कोलकाता
13. सिंगरौली
14. छिदवाड़ा
15. जबलपुर
16. बिलासपुर
17. नागपुर
18. हैदराबाद
19. कोठागुड्डम
20. तलचर
21. मारगेरिटा
22. जम्मू
23. संबलपुर



संस्कृति मंत्रालय

कला वस्तुओं का परिरक्षण  
एवं जीर्णोद्धार



### अध्याय III : संस्कृति मंत्रालय

भारतीय संग्रहालय, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल एवं एसियाटिक सोसाइटी

#### 3.1 कला वस्तुओं का परिरक्षण एवं जीर्णोद्धार

भारतीय संग्रहालय, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल एवं एसियाटिक सोसाइटी, कोलकाता राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं जो ऐतिहासिक महत्व की कला वस्तुओं के अधिग्रहण परिरक्षण एवं जीर्णोद्धार कार्य में लगे हैं। लेखापरीक्षा मूल्यांकन में इन संस्थानों के कार्यकलापों के निष्पादन में महत्वपूर्ण कमियां उजागर हुईं। इन संस्थानों में से किसी में भी इनके उद्देश्य सुपरिभाषित नहीं थे। इनके कार्यकलापों का परस्पर व्यापन एवं इनके बीच कोई सहक्रिया नहीं होने के कारण संसाधनों का अक्षम एवं लघुतम उपयोग हुआ। किसी स्वीकृत, सामरिक एवं परिप्रेक्ष्य योजना जिसमें सटीक, परिमेय एवं प्राप्त करने योग्य लक्ष्य हो, के अभाव में कार्यकलाप प्रायः दिशाहीन रहीं। इनमें से किसी ने भी अभी तक उनके द्वारा धारित कलाकृतियों के अधिग्रहण, संरक्षण या प्रलेखन के समय कोई बेंच मार्क या मानक को विकसित करने या अपनाने का कभी भी कोई प्रयास नहीं किया था।

संस्थानों ने कलाकृतियों के अधिग्रहण के संबंध में, जो चाहे क्रीत या उपहार स्वरूप प्राप्त हों, के मूल्यांकन के लिए कोई एकरूप नीति को अभी तक विकसित नहीं किया था, जिसकी कमी के परिणामस्वरूप अधिग्रहण का निर्णय प्रायः मनमाने ढंग से एवं औचित्य से परे किया गया। इन कलाकृतियों की प्रामाणिकता का निर्धारण करने के लिए कोई क्रियाविधि नहीं थी। प्राप्त कलाकृतियों का घटिया प्रलेखन एवं डिजिटल प्रौद्योगिकी की सहायता से अपनी प्रलेखन प्रणालियों को आधुनिक बनाने की संस्थानों की असमर्थता ने और पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी प्रत्यक्ष सत्यापन के अभाव ने संयुक्त रूप से कलाकृतियों को हानि के लिए सुभेद्य बनाया।

कला वस्तुओं के संरक्षण एवं जीर्णोद्धार के प्रयास में भी आवश्यक कार्ययोजना की कमी ध्यान में आई। संस्थानों ने संरक्षण एवं प्रशिक्षण के लिए मूलभूत सुविधा का सृजन नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, अपनी अमूल्य अधिकृत कृतियों के लिए उपयुक्त भण्डारण सुविधाओं के सृजन की विफलता ने कलाकृतियों को क्षति और अनाभिज्ञेय हानि के लिए सुभेद्य बनाया।

संस्थानों की सुरक्षा प्रणालियों ने अपर्याप्त एवं चिन्ताजनक स्थिति को प्रस्तुत किया। प्रभावशाली मैनुअल अथवा इलेक्ट्रानिक सर्वेक्षण प्रणालियां मौजूद नहीं थी। सुरक्षा कर्मियों की तैनाती बिना उपयुक्त प्रशिक्षण एवं अनुभव के ही की गई एवं कलाकृतियां क्षति अथवा हानि के अत्यधिक उच्च जोखिम के लिए प्रस्तुत हो गई थीं।

इन कमियों के परिणामस्वरूप दिसम्बर 2004 में संग्रहालय से सारनाथ से लाये गये पांचवीं सदी के बुद्ध-शीर्ष की चोरी हो गई।

### विशिष्टतायें

- सभी तीनों संस्थानों में कलाकृतियों के अधिग्रहण के संदर्भ में योजना का अभाव था। इस उद्देश्य के लिए बजट निधियां मुख्यतः अप्रयुक्त ही रही थीं एवं कला वस्तुओं के अधिग्रहण में किये गये व्यय से तदर्थता प्रतिबिंबित हुई। कलाकृतियों के अधिग्रहण एवं संरक्षण के लिए कोई परिप्रेक्ष्य योजना तैयार या अपनायी नहीं गई थी।
- पिछले पांच वर्षों के दौरान कलाकृतियों की खरीद पर किया गया व्यय संस्थानों के कुल पूंजीगत व्यय का केवल एक हिस्सा बनता था। खरीदी गई और उपहार में प्राप्त कलाकृतियों के मूल्यांकन की कोई नीति नहीं थी। न ही यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिग्रहित कलाकृतियां, संस्थानों के उद्देश्यों की पुष्टि करती थी, के लिए कोई बेंचमार्क/मानक थे। प्राप्त कलाकृतियों की प्रामाणिकता का आकलन करने की कोई विधि नहीं थी।
- भारतीय संग्रहालय ने अपनी कलाकृतियों के लिए किसी केन्द्रीय परिग्रहण पंजिका का अनुक्षण नहीं किया था। संग्रहालय ने अपने पास 102646 कला वस्तुओं का दावा किया लेकिन संग्रहालय में मौजूद एवं पंजिकाबद्ध वस्तुओं की संख्या में व्यापक विसंगतियां थीं। जबकि अधिकतर वस्तुओं का कला एवं मानवशास्त्र अनुभाग में परिग्रहण दर्ज नहीं किया गया वहीं पुरातत्व अनुभाग में परिग्रहित वस्तुओं की संख्या मौजूद वस्तुओं की संख्या के दावे से ज्यादा थी। संग्रहालय ने परिग्रहण कार्य को पूर्ण करने और विसंगतियों का समाधान करने हेतु कभी भी कोई योजना नहीं बनायी।
- भारतीय संग्रहालय एवं विक्टोरिया मेमोरियल हॉल द्वारा कला वस्तुओं का अपर्याप्त छाया प्रलेखन किया गया था। भारतीय संग्रहालय के 102646 वस्तुओं में से 90 प्रतिशत से अधिक का छाया प्रलेखन और डिजिटेशन अभी भी किया जाना था। संग्रहालय ने इस कार्य को पूरा करने के लिए कोई योजना नहीं बनाई थी। एसियाटिक सोसाइटी छाया-प्रलेखन के लिए अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में भी विफल रही एवं सोसाइटी द्वारा माइक्रोफिल्म एवं माइक्रोफिश के उत्पादन में भारी कमी रही।
- पिछले पांच वर्षों के दौरान तीनों संस्थानों में से किसी ने भी उनके अधिकार में रखी कला वस्तुओं का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया। अतः, कला वस्तुओं का भौतिक अस्तित्व या उनकी स्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकी।
- संस्थानों द्वारा संरक्षण के लिए किया गया व्यय अपर्याप्त था एवं इसका बजट आकलन से बहुत कम संबंध रहा जो कलाकृतियों के संरक्षण एवं जीर्णोद्धार पर किसी सुव्यवस्थित प्रणाली के अभाव को दर्शाता था। संस्थानों में कला वस्तुओं की क्षति के स्वरूप का पता लगाने एवं इनके संरक्षण की प्राथमिकता को दर्शाते हुए रिपोर्ट तैयार करने के लिए कोई प्रणाली नहीं थी।

- पिछले पांच वर्षों में संग्रहालय की संरक्षण प्रयोगशाला ने अपनी क्षमता का केवल 31 प्रतिशत निष्पादन किया। संग्रहालय की चल संरक्षण प्रयोगशाला के निष्पादन का वांछित स्तर भी काफी निम्न था। पिछले पांच वर्षों में प्रयोगशाला का केवल 112 दिनों के लिए ही उपयोग किया गया था।

हस्तलिपियों/चित्रों/कलाकृतियों के जीर्णोद्धार एवं संरक्षण के लिए मूलभूतसुविधा की अत्यंत आवश्यकता के बावजूद, एसियाटिक सोसाइटी ने ऐसी सुविधाओं को स्थापित नहीं किया।

संस्थानों के संसाधन एवं प्रचालन वर्षों से विकसित विद्यमान क्षमताओं का उपयोग करते हुए कलाकृतियों का संरक्षण एवं जीर्णोद्धार करने के लिए समन्वित एवं सहक्रिय नहीं किये गये थे।

- भारतीय संग्रहालय की सुरक्षा प्रणाली अपर्याप्त एवं अप्रभावी थी जिसके परिणामस्वरूप पांचवीं सदी की मूर्ति की चोरी हुई। संग्रहालय के राजस्व व्यय की तुलना में सुरक्षा उपस्कर की खरीद पर पूंजीगत व्यय नगण्य था। भारतीय संग्रहालय में अनेक बहुमूल्य मूर्तियों एवं वास्तुकलात्मक वस्तुओं के घरे पर आगंतुकों द्वारा नाम निष्कारित किए गए थे। विक्टोरिया मेमोरियल द्वारा 1990 में 14.02 लाख रु. के लागत से लगायी गयी क्लोज सर्किट टेलीविज़न प्रणाली नवम्बर 2002 से निष्क्रिय पड़ी थी।

गृह मंत्रालय की अनुशंसाओं के बावजूद एसियाटिक सोसाइटी द्वारा पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं अपनाए गए थे।

भारतीय संग्रहालय एवं एसियाटिक सोसाइटी ने सेवा-नियमों का अतिक्रमण कर, पर्याप्त प्रशिक्षण एवं अनुभव के बिना सुरक्षाकर्मियों को नियुक्त किया।

#### अनुशंसाएँ

- ❖ संस्थानों को स्वयं के लिए परिभाषित उद्देश्यों के अनुरूप सार्वभौमिक स्वीकृत मानकों एवं मानदण्डों को विकसित करना चाहिए।
- ❖ संस्थानों को कलाकृतियों के अधिग्रहण के लिए मूल्य निर्धारण एवं मूल्यांकन नीति विकसित करनी चाहिए।
- ❖ सभी कला वस्तुओं के नियमित एवं आवधिक प्रत्यक्ष सत्यापन हेतु एक प्रणाली की तुरन्त स्थापना करनी चाहिए।
- ❖ कला वस्तुओं के अपेक्षित जीर्णोद्धार/संरक्षण की सुव्यवस्थित रूप से पहचान की जानी चाहिए एवं उनके जीर्णोद्धार के लिए एक समयसूची निर्धारित की जानी चाहिए।

- ❖ उपलब्ध संसाधनों के दक्ष रूप से उपयोग हेतु संस्थानों को विशेष क्षेत्रों की पहचान एवं विकास करना चाहिए।
- ❖ संस्थानों को चोरी, क्षति, हानि से बचने के लिए उपयुक्त सुरक्षा उपाय अपनाने चाहिए।

### 3.2 प्रस्तावना

भारतीय संग्रहालय, विक्टोरिया मेमोरियल एवं एसियाटिक सोसाइटी, कोलकाता पर्यटन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन राष्ट्रीय महत्व के संस्थान<sup>1</sup> हैं। भारतीय संग्रहालय की स्थापना 1814 में की गई एवं यह स्वयं में भारत का सबसे बड़ा एवं पुराना संस्थान है। संग्रहालय में मानविकी एवं प्राकृतिक विज्ञान से संबंधित एवं भारतीय एवं भारतेतर दोनों के अनेक दुर्लभ एवं विचित्र नमूने हैं। संग्रहालय का प्रशासन भारतीय संग्रहालय नियमावली, 1910 एवं संग्रहालय के नियम एवं उप नियम, जो समय समय पर संशोधित हैं, के अनुसार चलाया जाता है। विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना विक्टोरिया मेमोरियल अधिनियम, 1903 के अंतर्गत की गई थी। मेमोरियल के पास स्केच और ड्राइंग, सिक्के और मैडल, हथियार एवं कवच, पुस्तकें एवं पाण्डुलिपि इत्यादि हैं जो पूर्ण रूप से हमारा ध्यान छायाचित्र पूर्व के दिनों के इतिहास की ओर ले जाते हैं, को निरूपित करता है एवं प्रदर्शित करता है। एसियाटिक सोसाइटी की स्थापना जनवरी 1784 में एवं इसका पंजीकरण सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत किया गया। बाद में सोसाइटी को एसियाटिक सोसाइटी एक्ट, 1984 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया। सोसाइटी में अनेक अनमोल हस्तलिपि, पत्र, कलाकार्य, सिक्के इत्यादि का संग्रह है एवं यह भारत एवं विदेश के विभिन्न हिस्सों में से आए पढ़ने वालों, अनुसंधानकों एवं आगंतुकों को लाभ पहुँचाता है। हालांकि इन संस्थानों की स्थापना विभिन्न कालों में की गई है लेकिन इन संस्थानों का मुख्य कार्यकलाप कला वस्तुएं जो इनके अधिकार में हैं के अधिग्रहण, प्रलेखन, संरक्षण एवं इनकी सुरक्षा को सम्मिलित करते हुए, सांस्कृतिक धरोहर का परिरक्षण एवं संरक्षण हैं।

### 3.3 संघटनात्मक ढांचा

भारतीय संग्रहालय एवं विक्टोरिया मेमोरियल के मामले का प्रशासन, निदेशक एवं प्रबंधन पृथक न्यास मंडल को सौंपा गया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल इन दोनों मंडलों के पदेन अध्यक्ष हैं। मंडल के अन्य सदस्यों में केन्द्र एवं राज्य सरकार के प्रतिनिधि एवं कला संस्कृति, न्यायपालिका एवं लेखाओं से जुड़े प्रमुख व्यक्ति हैं। एसियाटिक सोसाइटी के

<sup>1</sup> इन तीनों संगठनों को सम्मिलित रूप संस्थान के रूप में संदर्भित किया गया है।

मामले का प्रशासन, निदेशन एवं प्रबंधन एक समिति को सौंपा गया है जिसमें गण-मान्य व्यक्तियों के अलावा केन्द्र एवं राज्य सरकार के प्रतिनिधि शामिल हैं।

### 3.4 उद्देश्य एवं पुनरीक्षण का कार्यक्षेत्र

भारतीय संग्रहालय एवं विक्टोरिया मेमोरियल के लेखाओं की लेखापरीक्षा धारा 20(1) के अन्तर्गत जबकि एसियाटिक सोसाइटी के लेखाओं की लेखापरीक्षा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्त) 1971 अधिनियम के धारा 19(2) के अंतर्गत की जाती है।

1999-2000 से 2003-2004 की अवधि को शामिल करते हुए, वर्तमान प्रणाली पुनरीक्षण को निम्नलिखित चार क्रियाशील क्षेत्रों में, संस्थानों द्वारा आरम्भ किए गए क्रियाकलापों को दक्षता और प्रभावशीलता पर केन्द्रित किया गया था:

- (i) कला वस्तुओं का अधिग्रहण
- (ii) कला वस्तुओं का प्रलेखन
- (iii) कला वस्तुओं का संरक्षण
- (iv) कला वस्तुओं की सुरक्षित अभिरक्षा

### 3.5 संस्थानों द्वारा अनुपालन किए गए मानकों एवं मानदण्डों का अभाव

लेखापरीक्षा ने यह पता लगाया कि इन तीनों संस्थानों ने न तो अपने कार्यकलापों के किसी क्षेत्र से संबंधित कोई मानक या मानदण्ड विकसित किया था और न ही इन क्षेत्रों के संबंध में स्थापित किसी अंतर्राष्ट्रीय मानक को स्वीकार किया था। विभिन्न संगठन जैसे इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम, यू.एस.ए., युनाईटेड किंगडम इंस्टीट्यूट फॉर कंजर्वेशन, इंटरनेशनल सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ़ दी कंजर्वेशन एण्ड प्रीजर्वेशन ऑफ कल्चरल प्रोपर्टी (आई.सी.सी.आर.ओ.एम.), म्यूजियम डाक्युमेंटेशन एसोसिएशन, यू.के., म्यूजियम एण्ड गैलरी कमीशन, यू.के., युनाईटेड किंगडम इंस्टीट्यूट फॉर कंजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिक एण्ड आर्टिस्टिक वर्क्स (यू.के.आई.सी.), युनाईटेड किंगडम इंस्टीट्यूट ऑफ कंजर्वेशन, ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, यू.के. इत्यादि के संग्रहालयों एवं लाइब्रेरी द्वारा धारित वस्तुओं के अधिग्रहण, परिरक्षण, प्रलेखन एवं अभिरक्षा के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मानक विद्यमान हैं।

किसी भी मानक के अभाव में, उपर्युक्त अपने क्रियाकलापों के चार मुख्य क्रियाशील क्षेत्रों के लिए, संस्थानों द्वारा लिये गये निर्णय में प्रायः वस्तुनिष्ठता, एकरूपता और पारदर्शिता, जिसकी चर्चा बाद में की गई है, की कमी रही।

### 3.6 संस्थानों द्वारा धारित एवं प्रदर्शित की गई कला वस्तुएं

दिनांक 31 मार्च 2004 तक क्रय के साथ-साथ विभिन्न दाताओं से उपहार में प्राप्त की गयी कलाकृतियों सहित इन संस्थानों द्वारा धारित कुल कलाकृतियों के संदर्भ में स्थिति नीचे सारणी-I में दर्शायी गयी है:

सारणी I: संस्थानों द्वारा धारित एवं प्रदर्शित कला कृतियां

संस्थानों का नाम	31-03-2004 तक कुल कला वस्तुएं की संख्या	1999-2004 के दौरान क्रय की गयी कलाकृतियों की कुल संख्या	1999-2004 के दौरान उपहार में प्राप्त कुल कलाकृतियों की संख्या
भारतीय संग्रहालय	1,02,646	168	173
विक्टोरिया मेमोरियल हॉल	27,242	319	10
एसियाटिक सोसाइटी	59,523	115	1958

पिछले पांच वर्षों के दौरान एसियाटिक सोसाइटी द्वारा धारित अधिकांश वस्तुएं प्रायः उपहार स्वरूप प्राप्त हुई थीं। ये सभी वस्तुएं प्रायः विभिन्न पुरातन कार्यों की हस्तलिपियाँ थीं।

### 3.7 संस्थानों के उद्देश्यों एवं कार्यकलापों की परस्परव्याप्ति

ये सभी संस्थान देश की सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण में लगे थे। हालांकि, इन संस्थानों के लिए की क्रियाशील, भौगोलिक या कलानुक्रमिक सीमाओं को वर्णित नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, ये संस्थान समान प्रकार की कलावस्तुओं और कलाकृतियों को प्राप्त करने एवं संरक्षण करने के लक्ष्य में लगे रहे जो उनके कार्यकलापों के बीच सहक्रियता एवं संसक्ति के अभाव को उजागर करता था। उदाहरणस्वरूप ये तीनों संस्थान सिक्के एवं छाया-चित्रों को धारित करते हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय संग्रहालय एवं एसियाटिक सोसाइटी दोनों ही मूर्तियों को धारित करते हैं।

**3.7.1 अनुशंसाएं:**

- संस्थानों को पिछले वर्षों में प्राप्त अपनी शक्ति एवं क्षमता को ध्यान में रखते हुए अपने उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए और अपने कार्यों एवं कार्यक्रमों में सहक्रियता करनी चाहिए।
- संस्थानों को अपने परिभाषित उद्देश्यों के अनुरूप उन्हें अंतर्राष्ट्रीय तौर पर स्वीकृत मानकों एवं मानदण्डों का विकास कर कार्यात्मक क्षेत्रों एवं संसाधन की स्थितियों में एकरूपता एवं उनके प्रचालनों में पारदर्शिता लानी चाहिए।

**3.8 कलावस्तुओं का अधिग्रहण****3.8.1 कलाकृतियों के अधिग्रहण में योजना का अभाव**

**सारणी-2: बजट प्रावधान की तुलना में संस्थाओं द्वारा कलाकृतियों के अधिग्रहण पर व्यय (लाख रूपयों में)**

	भारतीय संग्रहालय			विक्टोरिया मेमोरियल हॉल			एशियाटिक सोसाइटी		
	बजट प्रावधान	संशोधित प्रावधान	वास्तविक व्यय	बजट प्रावधान	संशोधित प्रावधान	वास्तविक व्यय	बजट प्रावधान	संशोधित प्रावधान	वास्तविक व्यय
1999-00	25.00	1.00	0.40	उ.न.	उ.न.	0	0.02	0.02	0.15
2000-01	5.00	3.00	0	8.00	0	0	0.02	उ.न.	0.35
2001-02	10.00	5.00	4.30	0	0	0	1.00	1.00	1.90
2002-03	5.00	5.00	0	20.00	35.00	18.70	2.00	5.00	2.47
2003-04	10.00	5.00	11.00	40.00	40.00	37.31	5.00	5.00	2.55
कुल	55.00	19.00	15.70	68.00	75.00	56.01	8.04	11.02	7.42
अवधि के दौरान किया गया कुल पूंजीगत व्यय			359.79			293.37			330.65
पूंजीगत व्यय के तुलना में कलाकृतियों के अधिग्रहण पर की गई व्यय की प्रतिशतता			4.36			19.09			2.24

इन तीनों संस्थानों ने मुख्यतः कला वस्तुएं खरीदी या उपहार के रूप में अधिग्रहित की थी। समय-समय पर सम्बन्धित संगठनों की कला क्रय समितियों द्वारा की गई अनुशंसाओं की तुलना के अनुसार कलाकृतियां खरीदी गई थीं। संस्थाओं द्वारा कलाकृतियां खरीदने पर बजट प्रावधान में कलाकृतियों के अधिग्रहण पर व्यय उपरोक्त सारणी 2 में दर्शाये गए हैं। सारणी में दिये गये ब्यौरे के अनुसार पिछले पाँच वर्षों से इन तीनों संस्थानों ने कलाकृतियां प्राप्त करने की कोई भी समान नीति नहीं अपनाई थी। बजटीय निधियों का अधिकतर समुचित रूप से उपयोग नहीं किया गया था एवं बजट प्रावधान का प्रबल रूप से संशोधन किया गया जो जो स्पष्ट दिशा एवं योजना की अनुपस्थिति दर्शाता था। जबकि संशोधित अनुमान वास्तविक रूप से सम्बन्ध नहीं दिखाता था। व्यय भी तदर्थवाद दर्शाता था। उदाहरणार्थ, भारतीय संग्रहालय वर्ष 2003-2004 के दौरान अत्यधिक व्यय या वर्ष 2000-2001 एवं 2002-2003 में शून्य व्यय के लिए कोई

इन वस्तुओं की कीमत लेखाओं में प्रदर्शित नहीं की गई थी। उपहार ग्रहण करने के निर्णय में भी पारदर्शिता का अभाव था। उदाहरणार्थ भारतीय संग्रहालय के परिग्रहण पंजी में दर्शाया गया था कि उसने एक व्यक्ति विशेष से उपहार के रूप में 100 गणेश की प्रतिमाएं प्राप्त की थी। तथापि, संग्रहालय ने जिस आधार पर उपहार स्वीकार करने का निर्णय लिया गया था, उसको व्यक्त करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं प्रस्तुत नहीं कर सका। दान में प्राप्त वस्तुओं की प्राचीनता और ऐतिहासिकता का मूल्यांकन भी नहीं किया गया।

कलाकृतियों की मौलिकता के आकलन हेतु संस्थानों ने कोई प्रणाली विकसित नहीं की थी। ऐसे मामलों में संस्थान द्वारा प्राप्त कला वस्तुओं की मौलिकता और प्रामाणिकता से स्वयं संतुष्ट होने की रीति को लेखापरीक्षा द्वारा अभिनिश्चित नहीं किया जा सका। भारतीय संग्रहालय ने अपने उत्तर में बताया कि वह कोई गलत वस्तुओं के अधिग्रहण की संभावना से बचने के लिए उचित नीति तैयार करेगी।

### 3.8.3 कलाकृतियों के अधिग्रहण एवं संरक्षण के लिए किसी परिप्रेक्ष्य योजना का न बनाया जाना

संस्थान ने कलाकृतियों के अधिग्रहण या संरक्षण हेतु कभी भी कोई परिप्रेक्ष्य योजना तैयार नहीं की। भारतीय संग्रहालय ने उत्तर में बताया कि पुरातन वस्तुओं के क्रय के लिए परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की जाएगी। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल ने बताया कि परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की जा रही थी किंतु इस कथन की पुष्टि के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया था। एसियाटिक सोसाइटी ने अपनी योजना समिति के 2001 के विजन रिपोर्ट के मसौदे को विकसित किया था लेकिन संस्थान यह बताने में असमर्थ था कि क्या ड्राफ्ट रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया गया था और उसे उनके बोर्ड द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। किसी भी मामले में इस दस्तावेज में किसी भी सांस्थानिक उद्देश्य या परिप्रेक्ष्य योजना का उल्लेख नहीं था।

### 3.8.4 अनुशंसाएं

- संस्थानों को कला वस्तुओं के अधिग्रहण सहित अपने सभी अन्य कार्यकलापों के लिए एक परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करके उसको अपनाना चाहिए।
- संस्थानों को कला कृतियों के लिए अधिग्रहण हेतु मूल्य नीति और कलाकृतियों के मूल्यांकन की नीति तैयार करनी चाहिए।
- संस्थानों को उनके अधिग्रहित कलाकृतियों की मौलिकता का पता लगाने के लिए उचित दस्तावेजी वैज्ञानिक कार्यविधि तैयार करनी चाहिए।

कारण प्रस्तुत नहीं कर सका। **विक्टोरिया मेमोरियल** ने बताया कि वर्ष 2002-2003 एवं 2003-2004 के दौरान किया गया व्यय इसकी गैलरियों के आधुनिकीकरण पर किया गया था और अनुमानों में, वर्ष 2000-2001 एवं 2001-2002 के दौरान कलाकृतियों के अधिग्रहण हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

सारणी 2 से यह देखा जा सकता है कि पिछले पाँच वर्षों में इन संस्थानों द्वारा किये गये कुल पूँजीगत व्यय का केवल एक अंश कलाकृतियों के क्रय के व्यय पर किया गया था। अतः क्रमबद्ध योजना के अभाव के कारण इन संस्थानों के मुख्य कार्यकलापों पर किया गया व्यय अनियमित था।

### **3.8.2 वस्तुओं के अधिग्रहण एवं मूल्यांकन के लिए मानकों एवं बेंचमार्क का अभाव**

निम्नलिखित मामलों से यह देखा जा सकता है कि इन संस्थानों में से किसी ने भी कलाकृतियों के अधिग्रहण एवं मूल्यांकन हेतु मानक एवं बेंचमार्क नहीं बनाये थे:

दिसंबर 2003 में, भारतीय संग्रहालय ने मनुष्याकृति की अफ्रीकी हाथी दाँत पर नक्काशी की गयी दो कलाकृतियों के साथ एक सेट शतरंज की गोटियों का अधिग्रहण किया था। इन वस्तुओं को खरीदने का निर्णय क्रय समिति द्वारा नवंबर 2003 में केवल विक्रेता के यह कहने पर कि - ये कलाकृतियां उसकी सास द्वारा अफ्रीकन देशों से संग्रह किया गया था, ली गई थी। इन कलाकृतियों कि पुरातनता एवं विक्रेता के 10 लाख रु. के दावे की जाँच नहीं की गयी थी। विक्रेता के द्वारा माँगे गये मूल-मूल्य के विरुद्ध संग्रहालय द्वारा 5.5 लाख रु. दिये गये। यह मूल्य किस आधार अथवा विचार पर निर्धारित किए गए इसका ब्यौरा लेखाओं में नहीं था। साथ ही इस बात का कोई प्रमाण नहीं था कि ये कलाकृतियां संग्रहालय के वस्तुओं के बीच स्थान पाने के योग्य थीं।

एक अन्य मामले में, संग्रहालय द्वारा मार्च 2000 में नगों से सुसाज्जित एवं नक्काशी किये गये सोने की दो कंगन का अधिग्रहण किया गया जिन्हें 40,000 रु. की जगह 20,000 रु. में प्राप्त किया गया। विक्रेता ने केवल यह घोषणा की थी कि ये चूड़ियाँ उन्हें उनकी दादी द्वारा उत्तराधिकार में प्राप्त हुई थीं। क्रय समिति अपनी मार्च 2000 की बैठक में इस दावे की मौलिकता की न तो पुष्टि की थी और न ही वस्तु की सही कीमत के आकलन हेतु कोई अभिलेख ही दिया था। इसके अतिरिक्त प्रथम दृष्ट्या में इन वस्तुओं को प्राप्त करने के कोई आधार नहीं थे।

संस्थानों के पास उपहारों को स्वीकार करने की कोई नीति नहीं थी। उन्होंने उपहार के रूप में पर प्राप्त वस्तुओं के मूल्यांकन के लिए कोई नीति तैयार नहीं की है। इस प्रकार,

### 3.9 संस्थानों द्वारा कलावस्तुओं का प्रलेखन

#### 3.9.1 कार्यकलापों की व्यवस्था

भारतीय संग्रहालय के कार्यकलापों को विभिन्न अनुभागों एवं इकाईयों के अंतर्गत व्यवस्थित किया गया है। इसके तीन अनुभाग हैं जो संग्रहालय निदेशालय के सीधे नियंत्रण में हैं और सात सेवा इकाईयां भी निदेशक को रिपोर्ट करते हैं। उपर्युक्त के अतिरिक्त उसके तीन वैज्ञानिक अनुभाग अर्थात् भू-विज्ञान, प्राणी विज्ञान एवं आर्थिक वनस्पति विज्ञान हैं जो कि क्रमशः भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण एवं भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण के नियंत्रण में हैं। **विक्टोरिया मेमोरियल हॉल** के कार्यकलाप छः इकाईयों में व्यवस्थित हैं, **एसियाटिक सोसाइटी** के कार्यकलाप प्राथमिक रूप से छः अनुभागों : पुस्तकालय, संग्रहालय और पाण्डुलिपि, रेप्रोग्राफी, संरक्षण तथा प्रकाशन एवं शैक्षणिक में व्यवस्थित हैं।

#### 3.9.2 कला वस्तुओं का परिग्रहण

परिग्रहण पंजियों का उचित और नियमित रखरखाव संग्रहालय के वस्तुओं के बचाव और सुरक्षा तथा उनके उचित लेखाकरण के लिए आवश्यक है। इन पंजियों में वस्तुओं का प्राप्ति वर्ष, स्थान का विवरण और वस्तुओं से संबंधित अन्य सभी विवरणों के कॉलम होते हैं। पंजियों में वस्तुओं के विवरण को प्रविष्ट करने की प्रक्रिया को परिग्रहण कहा जाता है।

इन तीनों संस्थानों में से **भारतीय संग्रहालय** ने, संग्रहालय द्वारा अधिग्रहीत सभी वस्तुओं के विवरण और स्थान सहित किसी केन्द्रीयकृत परिग्रहण रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया। अधिग्रहण के बाद कलाकृतियां तीन प्रमुख अनुभागों जैसे कला, पुरातत्व और मानव विज्ञान में से एक अनुभाग में स्वरूप के आधार पर भेज दी गई थी तथा संबंधित अनुभागों द्वारा अनुरक्षित परिग्रहण पंजियों में प्रविष्टि कर दी गई थीं। लेखापरीक्षा ने यह पाया कि परिग्रहण पंजियों में प्रविष्टियां पूर्ण नहीं थीं। काल एवं वस्तुओं के स्थान एवं उनकी स्थिति के विवरण दर्ज नहीं किये गये थे। परिग्रहण पंजियों में संग्रहालय द्वारा अधिग्रहीत वस्तुओं की कुल संख्या व्यक्त करने के लिए वस्तुओं को आबंटित कोई क्रम संख्या नहीं थी।

#### 3.9.3 परिग्रहण पंजियों का अनियमित रखरखाव

**भारतीय संग्रहालय** ने 31 मार्च 2004 को 1,02,646 कला वस्तुओं को रखने का दावा किया। फिर भी, परिग्रहण पंजियों के पुनरीक्षण करने पर इसमें कई विसंगतियां प्रकट

हुई। विभिन्न अनुभागों द्वारा अधिकृत वस्तुओं और संग्रहालय द्वारा दी गई परिग्रहण पंजी में की गई प्रविष्टि के विवरण सारणी 3 में दर्शाये गये हैं:

सारणी 3 : भारतीय संग्रहालय द्वारा सूचीबद्ध की गई वस्तुओं की संख्या

अनुभाग का नाम	अनुभाग द्वारा रखी गई वस्तुओं की संख्या	सूचीबद्ध की गई वस्तुओं की संख्या	सूचीबद्ध की गई कुल वस्तुओं का %
कला	14,062	1,634	11.62
मानव विज्ञान	9,178	1,427	15.55
पुरातत्व विज्ञान	79,406	81,491	102.63
कुल	1,02,646	84,552	

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि संग्रहालय द्वारा रखी गई सभी वस्तुओं को सूचीबद्ध नहीं किया गया था। जबकि कला एवं मानव विज्ञान विभागों में 88.38 प्रतिशत से 84.45 प्रतिशत वस्तुओं का परिग्रहण नहीं हुआ था, पुरातत्व अनुभाग में सूचीबद्ध वस्तुओं की संख्या संग्रहालय द्वारा अधिकृत सूचीबद्ध वस्तु की संख्या से अधिक थी। संग्रहालय का यह मानना था कि संख्याओं की यह भिन्नता सर्वेक्षणों जैसे वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, भू-विज्ञान और मानव विज्ञान अनुभाग के बीच काफी संख्या में वस्तुओं का आदान-प्रदान है। तथापि, इस आदान-प्रदान का कोई अभिलेख नहीं रखा गया था जिसके अभाव में वस्तुओं की संख्याओं की प्रामाणिकता या असूचीबद्ध वस्तुओं की प्रत्यक्ष विद्यमानता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

परिग्रहण के अनुपस्थिति के कारण असूचीबद्ध वस्तुओं के चोरी या नुकसान का पता लगाने की कोई क्रियाविधि नहीं थी। अधिकृत वस्तुओं की संख्या और सूचीबद्ध संख्या के बीच व्यापक अंतर होने के बावजूद, संग्रहालय ने पुरातत्व वस्तुओं के संबंध में परिग्रहण तथा समाधान का कार्य पूरा करने के लिए कोई समयबद्ध योजना तैयार नहीं की थी।

एसियाटिक सोसाइटी ने 31 मार्च 2004 को 59,523 कलावस्तुएं रखने का दावा किया, जिसमें 46,994 पांडुलिपियां हैं। इसमें से केवल 28,423 पांडुलिपियां (कुल वस्तुओं का 47.74 प्रतिशत) नवम्बर 2004 तक सूचीबद्ध की गई थीं। यद्यपि अधिकतर वस्तुओं को अभी सूचीबद्ध करना शेष था, सोसाइटी ने इस कार्य को पूरा करने के लिए कोई भी कार्य योजना तैयार नहीं की।

भारतीय संग्रहालय ने वस्तुओं के विवरण को दर्शाते हुए पंजियों के साथ 1966-67 के दौरान भारतीय पुरातत्व विज्ञान सर्वेक्षण (ए.एस.आई.) और एसियाटिक सोसाइटी से वस्तुएं प्राप्त की। इन वस्तुओं को भारतीय पुरातत्व विज्ञान सर्वेक्षण (ए.एस.आई.) और

एसियाटिक सोसाइटी से प्राप्त पंजी के साथ बिना सत्यापन अथवा समाधान के संग्रहालय द्वारा बाद में सूचीबद्ध किया गया। इस प्रकार, संग्रहालय सोसाइटी से मूल रूप में प्राप्त कलावस्तुओं की यदि कोई चोरी/क्षति हो तो उसकी पहचान करने की स्थिति में नहीं था।

### 3.9.4 कला-वस्तुओं का अपर्याप्त छाया-प्रलेखन

कलावस्तुओं के छाया-प्रलेखन के लिए 1964 में भारतीय संग्रहालय ने फोटोग्राफी इकाई प्रतिष्ठापित की थी। अन्य लाभों को छोड़ कर, छाया प्रलेखन कलावस्तुओं की विद्यमानता भी स्थापित करता था। संग्रहालय ने कलावस्तुओं के फोटोग्राफ और उनके निगेटिव संरक्षण के लिए न तो कोई नीति अपनाई थी और न ही कोई प्रक्रिया निर्दिष्ट की थी। निगेटिव पंजियों में जहां छाया-प्रलेखन कार्य से संबंधित विवरण दर्ज किया जाता था, अक्टूबर 1983 और मई, 1986 के बीच क्रमशः कला एवं मानव विज्ञान विभाग से सम्बन्धित कोई भी प्रविष्टियां दर्ज नहीं थीं। फोटोग्राफ यूनिट द्वारा रखी गयी पंजियों में यह देखा गया था कि संग्रहालय द्वारा अधिकृत 1,02,646 वस्तुओं में से केवल 8,587 का छाया प्रलेखन किया गया था। शेष 94,059 वस्तुएं जोकि कुल वस्तुओं का 91.64 प्रतिशत दर्शाता था, का मार्च 2004 तक छाया-प्रलेखन अभी किया जाना था। संग्रहालय ने इस कार्य को पूरा करने के लिए कोई योजना तैयार नहीं की थी।

विक्टोरिया मेमोरियल हॉल ने 2003-04 के लिए अपने वार्षिक कार्य योजना में 2000 वस्तुओं के छाया प्रलेखन का लक्ष्य रखा। वर्ष 2003-04 के दौरान, इनमें से केवल 786 वस्तुओं का छाया-प्रलेखन किया गया था। इतनी भारी कमी का मेमोरियल ने कोई कारण नहीं दिया था।

एसियाटिक सोसाइटी ने 1964 में अपनी रेप्रोग्राफी इकाई की स्थापना की। इस इकाई ने पुराने एवं दुर्लभ संग्रह के प्रलेखन एवं परिरक्षण को आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की अधिप्राप्ति के बाद 1985 से आगे बढ़ाया। पुरानी पुस्तकें और पाण्डुलिपियों के संरक्षण के लिए इकाई ने पुरानी और दुर्लभ पुस्तकों से माइक्रोफिल्म एवं माइक्रोफिश<sup>2</sup> तैयार किया। 2000-01 से 2003-04 के दौरान इकाई के लक्ष्य एवं कार्यसम्पादन सारणी 4 में दर्शाया गया है:

<sup>2</sup> फिल्म शीट पर सूक्ष्म प्रतिबिम्बों का द्विआयामी विन्यास

## सारणी 4 : एसियाटिक सोसाइटी के रेप्रोग्राफी इकाई का कार्यनिष्पादन

वर्ष	लक्ष्य		लक्ष्य प्राप्ति		कमी की प्रतिशतता	
	माइक्रोफिल्म	माइक्रोफिश	माइक्रोफिल्म	माइक्रोफिश	माइक्रोफिल्म	माइक्रोफिश
2000-01	25000	5000	19000	750	24	85
2001-02	25000	5000	7510	2500	69.96	50
2002-03	10000	10000	9494	226	5.06	97.74
2003-04	8000	12000	9026	शून्य	आधिक्य	100
कुल	68000	32000	45030	3476	33.78	89.14

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि सोसाइटी स्वनिर्धारित लक्ष्य को पूरा करने में असफल रही और 2000-01 से 2003-04 तक की अवधि के दौरान माइक्रोफिल्म एवं माइक्रोफिश के कार्य में क्रमशः 34 प्रतिशत और 89 प्रतिशत की कमी रही। सोसाइटी द्वारा लक्ष्यों में ऐसी महत्वपूर्ण कमी का कोई भी कारण प्रस्तुत नहीं किया गया था।

**3.9.5 कला वस्तुओं का डीजिटाइजेशन एवं कम्प्यूटरीकृत प्रलेखन**

डीजिटाइजेशन<sup>3</sup> में प्राप्ति, परिवर्तन, संग्रह और मानकीकृत व्यवस्थित प्रारूप में सूचना प्रदान करना एवं विभिन्न उद्देश्यों के लिए संग्रहालय की वस्तुओं का उपयोग करने वालों को मांगे जाने पर सामान्य तंत्र से सुलभता से प्राप्ति, शामिल है। डीजिटाइजेशन का उद्देश्य आंकड़ों का आसानी से पुनः प्राप्ति एवं मुख्य डाटाबेस में आंकड़ों की प्रविष्टि करने की क्षमता प्राप्ति है। इसके विपरीत कम्प्यूटरीकृत प्रलेखन में उन वस्तुओं के डीजिटाइजेशन के साथ या उसके बिना कम्प्यूटर के डाटाबेस में वस्तुओं से संबंधित सूचनाएं (जैसे वस्तुओं की स्थिति, उनके आंकड़े का संग्रह आदि) संग्रह करना शामिल है।

भारतीय संग्रहालय की कम्प्यूटर इकाई ने 1993 में कलाकृतियों की कम्प्यूटरीकृत प्रलेखन प्रणाली और उसके बाद संग्रहालय की वस्तुओं की डीजिटाइजेशन की परियोजना का कार्य आरंभ किया। लेखापरीक्षा ने यह पता लगाया कि कुल 1,02,646 वस्तुओं में से, इकाई ने 86,979 वस्तुओं का ही कम्प्यूटरीकृत प्रलेखन और मार्च 2004 तक 4,573 वस्तुओं का ही डीजिटाइजेशन का कार्य पूरा कर सका। शेष 98,073 वस्तुओं का डीजिटाइजेशन का कार्य जो कि कुल वस्तुओं का 95.54 प्रतिशत था, मार्च 2004 तक अभी आरंभ किया जाना था। संग्रहालय ने अपने इकाई के कम कार्य निष्पादन के बावजूद कार्य की समाप्ति हेतु कोई समयबद्ध कार्ययोजना तैयार नहीं की

<sup>3</sup> डीजिटाइजेशन का अर्थ है एनालॉग डाटा को डिजिटल रूप में परिवर्तित करना और कलावस्तुओं के शाब्दिक और प्रतिबिम्बीय डाटा तैयार करना।

थी। संग्रहालय ने सितम्बर 2004 में पांच वर्ष की अवधि में डीजिटाइजेशन का कार्य पूर्ण करने के लिए परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करने का आश्वासन दिया।

एसियाटिक सोसाइटी ने मार्च 2003 में 10.05 लाख रु. की मुद्रण लागत पर एक माइक्रोफिल्म स्कैनर प्रतिष्ठापित किया। स्कैनर का उपयोग माइक्रोफिल्म/माइक्रोफिश प्रतिबिंब का स्कैन करने के लिए किया जा सकता था। तब स्कैनिंग और डीजीटाइज्ड प्रतिबिंब का कम्प्यूटर में भंडारण किया जा सकता था। चूंकि इस कार्य हेतु सोसाइटी ने कोई कम्प्यूटर नहीं खरीदा था इसलिए मार्च 2004 तक कलावस्तुओं के डीजिटाइजेशन का कार्य आरंभ नहीं किया जा सका जिससे स्कैनर और प्रिंटर के क्रय का उद्देश्य निष्फल हो गया। सोसाइटी के प्रस्ताव में सुव्यवस्थित योजना एवं समन्वय की कमी थी।

### 3.9.6 संस्थानों द्वारा कला वस्तुओं के प्रत्यक्ष सत्यापन का अभाव

तीनों संस्थानों में से किसी ने भी पिछले पांच वर्षों के दौरान उनके द्वारा रखे गये कला वस्तुओं का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया था। इस प्रकार, संस्थाओं ने अभिलेख में दर्ज कलावस्तुओं की प्रत्यक्ष विद्यमानता एवं स्थिति को लेखापरीक्षा द्वारा सुनिश्चित नहीं किया जा सका। यह तथ्य प्रत्येक वर्ष संस्थाओं को जारी किए गए विशेष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में बारंबार उल्लेख किया जाता था।

### 3.9.7 अनुशंसाएं

- परिग्रहण पंजियों को केन्द्रीकृत किया जाये एवं इन पंजियों को नियमित रूप से अद्यतन किया जाय। इन संस्थानों द्वारा रखे गये सभी कलावस्तुओं का परिग्रहण से संबंधित प्रलेखन कार्य को पूर्ण करने के लिए भारतीय संग्रहालय एवं एसियाटिक सोसाइटी द्वारा समयबद्ध कार्ययोजना तत्काल तैयार की जाय। इलेक्ट्रानिक स्कैनिंग या अन्य कोई उपयुक्त तकनीक के उपयोग की संभावना तलाशी जाए जिससे ये प्रक्रिया यथाशीघ्र हो सके।
- कलावस्तुओं के परिग्रहण में सभी विसंगतियों का समाधान सुदृढ़ समयबद्ध कार्यक्रम को अपना कर किया जाना चाहिए।
- छाया प्रलेखन एवं डीजिटाइजेशन का कार्य भी इसी प्रकार समयबद्ध योजना एवं पूरी गंभीरता से पूर्ण किया जाए।
- संस्थानों द्वारा रखी गयी सभी कलावस्तुओं के नियमित एवं आवधिक प्रत्यक्ष सत्यापन की एक योजना तत्काल तैयार की जानी चाहिए तथा इस कार्य से संबंधित कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण दिया जाए।

**3.10 कला वस्तुओं का संरक्षण****3.10.1 संरक्षण हेतु अपर्याप्त व्यय**

निम्नलिखित सारणी संरक्षण/जीर्णोद्धार पर तीनों संस्थानों द्वारा किए गए व्यय को दर्शाती है:

**सारणी-5: संस्थानों के बजटीय आवंटनों के प्रति संरक्षण/जीर्णोद्धार पर व्यय**

(लाख रूपयों में)

वर्ष	भारतीय संग्रहालय			विक्टोरिया मेमोरियल हॉल			एशियाटिक सोसाइटी		
	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक
1999-00	16.00	7.00	3.88	उ.न.	उ.न.	7.00	0.22	0.22	5.49
2000-01	8.00	6.00	10.91	8.00	8.00	7.00	0.09	उ.न.	3.12
2001-02	10.00	7.20	1.34	6.00	6.00	4.00	5.50	4.50	2.55
2002-03	9.00	4.00	3.52	10.00	10.00	7.75	16.00	11.50	7.95
2003-04	6.00	4.00	3.33	10.00	10.00	4.85	12.00	12.50	9.06

तीन संस्थानों में ऐतिहासिक या कला वस्तुओं के संरक्षण/जीर्णोद्धार अनुमानित व्यय एवं वास्तविक व्यय के बीच उल्लेखनीय अंतर था जो इस कार्य पर एक व्यवस्थित दृष्टि के अभाव की ओर इंगित करता है।

**3.10.2 भारतीय संग्रहालय द्वारा संरक्षण एवं जीर्णोद्धार के अपर्याप्त प्रयास**

तीन संस्थानों में से किसी में भी कला वस्तुओं के क्षति की पहचान करने के लिए और उनके संरक्षण की प्राथमिकता से संबंधित रिपोर्ट तैयार करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी।

**भारतीय संग्रहालय**

क्षति की पहचान हेतु संरक्षण इकाई द्वारा संग्रहों या दीर्घाओं के आवधिक परीक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी इससे इंगित होता था कलावस्तुओं के संरक्षण को लेकर कोई व्यवस्थित दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया था। भारतीय संग्रहालय के कला, पुरातत्व और मानव विज्ञान अनुभागों ने स्वयं पहले चिन्हित कर कलाकृतियों को संरक्षण इकाई के पास संरक्षण के उद्देश्य से भेजा। कार्य के न तो पूरा होने का अनुमानित समय दर्ज किया गया और न ही कभी भी कोई कार्यनिष्पादन रिपोर्ट तैयार की गई थी। किसी प्राथमिकता सूची जिससे पता चलता कि अपेक्षित संरक्षण/जीर्णोद्धार कलावस्तुओं की कुल संख्या क्या है, के अभाव में यह सुनिश्चित करना संभव नहीं हो सका कि अभी कितना संरक्षण कार्य बाकी था।

भारतीय संग्रहालय के न्यासी बोर्ड, द्वारा दिसम्बर 1992 में गठित पुनरीक्षण समिति ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया था कि संग्रहालय की संरक्षण प्रयोगशाला प्रतिवर्ष लगभग

1000 पुरावस्तुओं के संसाधित और संरक्षण करने में सक्षम थी। तथापि पांच वर्षों में संग्रहालय केवल 1547 वस्तुओं को संसाधित कर सका जो पूरी कार्यक्षमता का 30.94 प्रतिशत प्रस्तुत करता था। इस कम कार्यनिष्पादन का कोई कारण लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था।

**सारणी-6: भारतीय संग्रहालय द्वारा निष्पादित संरक्षण कार्य**

वर्ष	प्रतिरोधात्मक संरक्षण	उपचारात्मक संरक्षण	कुल किया गया संरक्षण कार्य
1999-00	144	16	160
2000-01	264	6	270
2001-02	127	77	204
2002-03	230	26	256
2003-04	560	97	657
<b>कुल</b>	<b>1,325</b>	<b>222</b>	<b>1,547</b>

लघु संग्रहालयों में कलाकृतियों के संरक्षण कार्य और इस उद्देश्य के लिए कार्यशालाएं आयोजित करने के सहायतार्थ 1998-99 में भारतीय संग्रहालय द्वारा 7.37 लाख रु. की लागत में जीर्णोद्धार कार्य के लिए आवश्यक यंत्रों एवं रसायनों से सुसज्जित एक चल संरक्षण प्रयोगशाला अधिग्रहीत की गई। वर्ष 1999-2004 की अवधि के दौरान चल प्रयोगशाला के कार्यकलापों का विवरण सारणी 7 में दर्शाया गया है:

**सारणी 7 : चल प्रयोगशाला का कम कार्यनिष्पादन**

वर्ष	अनुरक्षित किए गए संग्रहालयों की संख्या	कार्य दिवसों की संख्या	उपचारित कलाकृतियों की संख्या
1999-00	13	53	239
2000-01	8	28	438
2001-02	2	6	11
2002-03	2	8	155
2003-04	3	17	126
<b>कुल</b>	<b>28</b>	<b>112</b>	<b>969</b>

प्रयोगशाला ने गत पांच वर्षों के दौरान केवल कुल 112 कार्यदिवसों में ही पश्चिम बंगाल राज्य में मात्र 28 संग्रहालयों का अनुरक्षण किया। चल प्रयोगशाला की वर्षों से ऐसे कम कार्यनिष्पादन के कारणों को लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था। तथापि संग्रहालय ने सितम्बर 2004 में बताया कि प्रयोगशाला के अधिकतम उपयोग हेतु पर्याप्त कदम उठाये जाएंगे।

### एसियाटिक सोसाइटी

वर्ष 1986 में एसियाटिक सोसाइटी के पास 75 तैलचित्रों का संग्रह था। अधिकांश तैलचित्रों की अवस्था असन्तोषजनक थी, अतः जनवरी 1986 में सोसाइटी ने नौ तैलचित्रों को जीर्णोद्धार हेतु राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली को भेजा, जिसने जीर्णोद्धार के बाद जनवरी 1990 में तैलचित्रों को लौटा दिया।

तथापि, सोसाइटी के विचार में तैलचित्रों का उचित रूप से जीर्णोद्धार नहीं किया गया था।

मार्च 1991 में, सोसाइटी ने इन नौ तैलचित्रों और पांच अतिरिक्त तैलचित्रों के जीर्णोद्धार कार्य को एक निजी जीर्णोद्धारक को सौंपा जिसने दिसम्बर 2000 तक मात्र तीन तैलचित्रों का जीर्णोद्धार किया, तब सोसाइटी ने उसकी संविदा को असन्तोषजनक कार्य निष्पादन के आधार पर निरस्त कर दिया गया। तथापि जीर्णोद्धारक ने अक्टूबर 2000 में आरोप लगाया कि उसे सोसाइटी द्वारा आवश्यक अधिसंरचना एवं रसायन सात वर्षों के उपरांत ही उपलब्ध कराये गये थे जिसके परिणामस्वरूप विलंब हुआ। लेखापरीक्षा के उत्तर में सोसाइटी ने स्वीकार किया कि वहां स्थान और अन्य अवसंरचनात्मक बाधयताएं थीं। तथापि, तथ्य यह रहा कि 18 वर्षों से अधिक की अवधि में भी अधिकांश तैलचित्रों का जीर्णोद्धार नहीं किया जा सका था।

सोसाइटी ने लेखापरीक्षा को सूचित किया कि इसने जुलाई 2002 में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय से 5 लाख रु. की मांग की जिससे राष्ट्रीय संरक्षण अनुसंधान संस्थान, लखनऊ की सहायता से सोसाइटी के प्रांगण में ही जीर्णोद्धार कार्य संपन्न किये जा सके जैसा कि तत्कालीन पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री का परामर्श था किंतु आगे जीर्णोद्धार का कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका क्योंकि मंत्रालय से राशि प्राप्त नहीं हुई थी।

### 3.10.3 संस्थानों के संरक्षण प्रयासों में सहक्रिया का अभाव

जैसा कि पैरा 3.10.2 में पहले ही उल्लेख किया गया है, भारतीय संग्रहालय के पास एक संरक्षण इकाई है, परंतु अन्य दो संस्थानों द्वारा इनकी सेवाओं का कभी लाभ नहीं उठाया गया। तीनों संस्थानों ने अपनी वस्तुओं के संरक्षण और जीर्णोद्धार के उद्देश्यों के लिए अपने कार्यों और संसाधनों की सहक्रिया का प्रयास नहीं किया था। तीनों संस्थानों में से प्रत्येक के क्षमता क्षेत्रों को जीर्णोद्धार एवं संरक्षण से संबद्ध अपने सामर्थ्य के अनुसार चिह्नित और सहक्रियता करना चाहिए।

### 3.10.4 संरक्षण तकनीक में स्टाफ सदस्यों के लिए प्रशिक्षण प्रणाली का अभाव

लेखापरीक्षा ने पता लगाया कि तीनों संस्थानों में से किसी ने भी अपने कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम और बजट उद्दिष्ट नहीं किया जिसके अभाव में संस्थानों को कलावस्तुओं के संरक्षण/जीर्णोद्धार के लिए देश में उपलब्ध सीमित निजी विशेषज्ञता पर निर्भर रहना पड़ा था। इन क्षेत्रों में, इन हाउस क्षमता बनाने के लिए किसी प्रयत्न के अभाव में, संस्थानों के संरक्षण के प्रयासों को हानि हुई।

### 3.10.5 अनुशंसाएँ

- संस्थानों को उद्दिष्ट प्रशिक्षण बजट के माध्यम से कलावस्तुओं के संरक्षण/जीर्णोद्धार की तकनीक में स्टाफ सदस्यों के लिए नियमित प्रशिक्षण आरम्भ किया जाना चाहिए। विशेषज्ञ निकायों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों को प्रशिक्षण कार्य में संलग्न करने की संभावना तलाशनी चाहिए।
- सभी तीनों संस्थानों द्वारा कलावस्तुओं के अपेक्षित जीर्णोद्धार/संरक्षण की पहचान करने के लिए उचित क्रियाविधि स्थापित की जानी चाहिए और उनके जीर्णोद्धार के लिए एक समय-अनुसूची तैयार की जानी चाहिए।
- संस्थानों में जीर्णोद्धार एवं संरक्षण कार्य हेतु अवसंरचना का सृजन होना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए संस्थानों को अपने संसाधनों और क्षमताओं को उद्दिष्ट करना चाहिए और प्रत्येक को अपने विषय क्षेत्र की पहचान करनी चाहिए और संसाधनों का बेहतर और दक्ष उपयोग करने के लिए इन क्षेत्रों को विकसित किया जाना चाहिए।

### 3.11 कला वस्तुओं की सुरक्षित अभिरक्षा

#### 3.11.1 सुरक्षा प्रणाली का पर्याप्त न होना

भारतीय संग्रहालय द्वारा दिसम्बर 1992 में गठित समीक्षा समिति (जैसा कि पैरा 3.10.2 में पहले ही निर्दिष्ट है) ने अन्य बातों के साथ-साथ, धूम्र संसूचक एवं अग्निसूचक प्रणाली की स्थापना की अनुशंसा की। तथापि, भारतीय संग्रहालय ने नवम्बर 2004 तक किसी उपस्कर की स्थापना नहीं की। इसके अतिरिक्त, सुरक्षा उपस्करों के क्रय पर किया गया पूँजीगत व्यय संग्रहालय की सुरक्षा पर किए गए राजस्व व्यय की तुलना में नगण्य था जैसा कि सारणी 8 में दृष्टव्य है:

## सारणी 8 : भारतीय संग्रहालय द्वारा सुरक्षा पर किया गया पूँजीगत व्यय

(लाख रु. में)

वर्ष	पूँजीगत व्यय (क)	राजस्व (ख)	क, ख की प्रतिशतता के रूप में
1999-00	14.95 <sup>4</sup>	25.78	58.00
2000-01	6.95	122.25	5.69
2001-02	2.78	37.49	7.41
2002-03	0	60.43	0
2003-04	असत्यापनीय	46.46	0
<b>कुल</b>	<b>24.68</b>	<b>231.98</b>	<b>10.63</b>

प्रत्यक्ष अवलोकन की प्रक्रिया के माध्यम से, लेखापरीक्षा ने भी जनता के लिए खोली गई गैलरियों में अनेक सुरक्षा कमियों को पाया। आम जनता की कई अमूल्य कलावस्तुओं तक पहुँच हो सकती थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि आगंतुकों द्वारा प्रतिमाओं के कहीं-कहीं एकदम आधार के पास उन एन्क्लोज़रों तथा उन बुतों की पीठिका के नीचे जिनमें शिल्प वस्तुएं रखी गई थी, के ऊपर खरोंचें लगा दी थी और उन पर लिख दिया गया था।

दिसम्बर 2004, में पांचवीं सदी की बुद्ध शीर्ष (सारनाथ) नामक मूर्ति की संग्रहालय से गुम होने की सूचना दी गई थी। जिस क्षेत्र से चोरी हुई वह निकट परिपथ दूरदर्शन प्रणाली द्वारा आवृत नहीं किया गया था। संग्रहालय ने चोरी की बात स्वीकार की। उसने 30 दिसम्बर 2004 को यह भी बताया कि उस पुरावस्तु का मूल्यांकन नहीं किया गया था। मूल्यांकन के अभाव में क्षति का परिमाण नहीं बताया जा सका।

दीर्घाओं की सुरक्षा व्यवस्था मज़बूत करने की दृष्टि से मई 1990 में **विक्टोरिया मेमोरियल** ने 14.02 लाख रु. लागत की निकट परिपथ दूरदर्शन प्रणाली की स्थापना की। तथापि, प्रणाली अप्रचलित एवं पुरानी होने के कारण नवम्बर 2002 से ठप्प पड़ी थी।

गृह मंत्रालय के मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने सितम्बर-अक्तूबर 1993 में **एसियाटिक सोसाइटी** की सुरक्षा व्यवस्था का सर्वेक्षण किया और अक्तूबर 1993 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में और बातों के अलावा निम्नलिखित अनुशंसाएं थी;

1. निकट परिपथ दूरदर्शन के कैमरों की संख्या में वृद्धि।
2. आगंतुक पास प्रणाली को प्रारम्भ करना।

<sup>4</sup> निकट परिपथ दूरदर्शन प्रणाली के स्थापना के कारण

3. मुख्य द्वार पर परिवर्तन एवं जीर्णोद्धार कार्य।
4. वाकी-टाकी रेडियो दूरसंचरण प्रणाली की स्थापना।

लेखापरीक्षा ने यह पाया कि सोसाइटी ने नवम्बर 2004 तक इन उपायों को लागू करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की।

### **3.11.2 पर्याप्त प्रशिक्षण तथा अनुभव के बिना सुरक्षाकर्मियों की भर्ती**

भारतीय संग्रहालय की कर्मचारी सेवा नियमावली में यह व्यवस्था है कि केवल आठवीं कक्षा उत्तीर्ण भूतपूर्व सैनिक, जिन्होंने न्यूनतम 10 साल की नियमित सेवा की हो, वे ही सुरक्षा कर्मियों के रूप में सीधी भर्ती के योग्य हैं। यह देखा गया कि 52 सुरक्षाकर्मियों, जिनकी नियुक्ति नवम्बर 1984 और अप्रैल 2003 के बीच हुई, में से कम से कम 30 भूतपूर्व सैनिक नहीं थे। इनमें से किसी को भी संग्रहालय द्वारा सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण नहीं दिया गया था जिससे संग्रहालय की सुरक्षा हितों को दाव पर लगाया और जोखिम में डाला।

सोसाइटी की दिसम्बर 1998 से प्रभावी कर्मचारी सेवा नियमावली में यह भी व्यवस्था की गई कि केवल आठवीं उत्तीर्ण भूतपूर्व सैनिक, जिनके पास अग्निशमन उपस्करों के प्रयोग करने की प्रवीणता एवं प्रमाण-पत्र हों, सुरक्षाकर्मियों के रूप में सीधी भर्ती के पात्र थे। यह पाया गया था कि 32 सुरक्षाकर्मियों, जो भूतपूर्व सैनिक नहीं थे और 1998 से पूर्व नियुक्त किए गए थे, में से केवल छः सुरक्षाकर्मियों को अग्निशमन का प्रशिक्षण दिया गया था। शेष 26 सुरक्षाकर्मियों को अग्निशमन प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। इसने सोसाइटी की वस्तुओं की सुरक्षा को संकट में डाला था।

### **3.11.3 भारतीय संग्रहालय एवं विक्टोरिया मेमोरियल द्वारा कलाकृतियों का अनुपयुक्त भंडारण**


कलाकृतियों को क्षति से बचाने के लिए प्रभावी वातानुकूलन एवं पर्याप्त वायुसंचरण सहित उपयुक्त भंडारण सुविधाओं का होना आवश्यक है। लेखापरीक्षा ने पाया कि भारतीय संग्रहालय एवं विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के भंडार कक्ष न तो वातानुकूलित थे न ही उनमें वायुसंचरण सुविधाएं थीं। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के भंडार कक्ष में कम रोशनी और पानी के निरन्तर रिसाव के कारण सीलन भी थी। कलावस्तुओं के अनुपयुक्त संरक्षण के कारण उनकी स्थिति अनिवार्य रूप से बिगड़ सकती थी। मेमोरियल ने बताया कि दशकों तक स्मारक की मरम्मत न होने के कारण भवन एवं छत की स्थिति छिन्न-

भिन्न थी। फलतः भंडार आदर्श स्थिति में नहीं थे। तथापि, एसियाटिक सोसाइटी के भंडार अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति में थे।

### 3.11.4 अनुशंसाएँ

- संस्थान, विशेषतः भारतीय संग्रहालय एवं विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, वर्तमान निधियों की आवृत्ति अथवा पुनः विनियोजन द्वारा अपने अधीन सभी कलावस्तुओं के भंडारण स्थिति के व्यापक परिवर्धन हेतु एक कालबद्ध योजना तुरन्त सूत्रबद्ध की जानी चाहिए।
- इन संस्थाओं द्वारा अधिकृत अमूल्य वस्तुओं की चोरी अथवा क्षति अथवा विकृत होने से बचाने के लिए समुचित क्रियाविधि को अपनाया जाना चाहिए।
- कलावस्तुओं की उचित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में स्थापित निकट परिपथ दूरदर्शन प्रणाली को तुरन्त संचालनीय बनाया जाना चाहिए।
- एसियाटिक सोसाइटी द्वारा अपने अधीन अमूल्य कलावस्तुओं एवं पांडुलिपियों की सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करने हेतु समुचित एवं तत्काल उपाय किए जाने चाहिए।
- भारतीय संग्रहालय एवं एसियाटिक सोसाइटी द्वारा नियुक्त सुरक्षाकर्मियों के समुचित एवं पर्याप्त प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए।

मामला मंत्रालय को दिसम्बर 2004 में भेजा गया था; उसका उत्तर जनवरी 2005 तक प्रतीक्षित था।



शहरी विकास मंत्रालय

दिल्ली विकास प्राधिकरण

शैक्षिक संस्थाओं को  
भूमि का आबंटन



## अध्याय IV : शहरी विकास मंत्रालय

### दिल्ली विकास प्राधिकरण

#### 4.1 शैक्षिक संस्थाओं को भूमि का आबंटन

दि.वि.प्रा. शैक्षिक संस्थाओं को रियायती दरों पर शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना के लिए कुछ अनिवार्य अनुबंधों और शर्तों के अधीन भूमि का आबंटन करता है। ऐसे आबंटन का मुख्य उद्देश्य विशेषतः समाज के कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिक सुविधाओं का प्रावधान करना है। यद्यपि 381 में से 133 सोसाइटियां, जिन्हें रियायती दरों पर भूमि का आबंटन किया गया था, मार्च 2004 तक कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए निर्धारित 25 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने में विफल रही, जबकि 343 विद्यालयों ने आबंटन की शर्तों का उल्लंघन करते हुए शिक्षा निदेशालय के अपेक्षित अनुमोदन के बिना मार्च 2004 तक पाँच प्रतिशत से 44 प्रतिशत तक ट्यूशन फीस बढ़ा दी। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण के लिए केन्द्रीय सरकार के अनुदेशों की अवहेलना की गई थी। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में नमूना जांच किए गए 90 में से 46 विद्यालय दो वर्ष की निर्धारित अवधि समाप्त होने के बावजूद अभी क्रियाशील किए जाने थे। इसकी विफलता के लिए दि.वि.प्रा. अंशतः उत्तरदायी था जो कि नाजुल नियमों के अंतर्गत भूमि आबंटन से पहले सोसाइटियों द्वारा अपेक्षित निधियों की पर्याप्तता को सुनिश्चित नहीं करवा सका। अंत में, दि.वि.प्रा. बकाया भूमि राजस्व के बकायों के रूप में देयों की वसूली करने के पर्याप्त अधिकारों के बावजूद 89 सोसाइटियों से 1.88 करोड़ रु. के बकाया देयों की वसूली करने के लिए कोई कार्रवाई करने में विफल रहा। भूमि मालिक एजेन्सी के रूप में दि.वि.प्रा., और उसके साथ-साथ प्रायोजित विभाग के रूप में शिक्षा निदेशालय, दोनों ही रियायती दरों पर भूमि के आबंटन की शर्तों के अनुपालन की सुनिश्चितता की अपनी संयुक्त जिम्मेदारी को पूरा करने में असफल रहे। आबंटन की शर्तों के उल्लंघन की जाँच करने के लिए कोई सुदृढ़ क्रियाविधि नहीं थी ताकि उपचारी कार्रवाई की जा सके।

#### 4.2 प्रस्तावना

दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नाजुल भूमि का निपटान) अधिनियम 1981, नाजुल भूमि का शैक्षिक संस्थाओं अर्थात् विद्यालयों, कालेजों और विश्व विद्यालयों के लिए रियायती दरों पर आबंटन का प्रावधान करते हैं। इसके साथ-साथ नियम 20 निर्धारित करता है कि रियायती दरों पर भूमि का आबंटन ऐसी संस्था को किया जाए जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत है मुनाफा नहीं कमाने वाले स्वरूप की हैं और जिसे दिल्ली सरकार के विभाग अथवा केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय द्वारा प्रायोजित अथवा सिफारिश किया जाता है। शैक्षिक संस्थाओं को भूमि का

ऐसा आबंटन कुछ अनिवार्य अनुबंधों और शर्तों के अधीन किया जाता है। रियायती दरों पर भूमि के ऐसे आबंटन का मुख्य उद्देश्य विशेषतः समाज के कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिक सुविधाओं को स्थापित करके या बढ़ावा देकर जन उद्देश्य को पूरा करना है।

#### 4.3 आबंटन प्रक्रिया

भूमि आबंटन के कार्य की दि.वि.प्रा. के भूमि निपटान विभाग द्वारा देखभाल की जाती है जिसकी अध्यक्षता आयुक्त (भूमि निपटान) द्वारा की जाती है। उनकी सहायता के लिए निदेशक (भूमि), उप-निदेशक (संस्थागत भूमि) और अन्य अधीनस्थ स्टाफ होता है।

शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना के लिए रियायती दरों पर भूमि आबंटन के लिए आवेदन-पत्रों पर आरम्भ में रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय की भूमि आबंटन सलाहकार समिति द्वारा विद्यमान मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार विचार किया जाता है। समिति की अध्यक्षता दिल्ली सरकार के आयुक्त-एवं-सचिव (शिक्षा) द्वारा की जाती है। इस समिति की सिफारिशें दि.वि.प्रा. की संस्थागत आबंटन समिति (सं.आ.स.) को प्रस्तुत की जाती हैं जिसकी अध्यक्षता दि.वि.प्रा. आयुक्त (भूमि) द्वारा की जाती है। एक बार सं.आ.स. द्वारा आबंटन का अनुमोदन हो जाने पर, भूमि आबंटन-पत्र, दि.वि.प्रा. की संस्थागत शाखा द्वारा जारी किए जाते हैं। आवेदन-पत्र की तिथि से कब्जा देने तक तीन महीने की अवधि के बीच में आबंटन की पूरी प्रक्रिया समाप्त की जानी होती है। तत्पश्चात्, सोसाइटियों द्वारा, भूमि का कब्जा लेने की तिथि से दो वर्ष के बीच, विद्यालय के भवनों के निर्माण को पूरा करना और कार्य करना आरम्भ किया जाना अपेक्षित होता है। इन समितियों की यह जिम्मेदारी है कि आबंटन अनुमोदित करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आवेदक-सोसाइटी निर्धारित शर्तों को पूरा करती है।

#### 4.4 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

अप्रैल से जुलाई 2004 तक एक लेखापरीक्षा प्रयास यह मूल्यांकन करने के लिए किया गया था कि किस सीमा तक शैक्षिक संस्थाओं को रियायती दरों पर भूमि के आबंटन का कथित जन उद्देश्य प्राप्त किया गया था। लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य आबंटन की शर्तों के अनुपालन का पुनरीक्षण करना था। इस उद्देश्य के लिए लेखापरीक्षा ने 1990-91 से 2003-04 की अवधि के दौरान शैक्षिक संस्थाओं को भूमि आबंटन से संबंधित दि.वि.प्रा. के संस्थागत भूमि शाखा के अभिलेखों की जांच की। लेखापरीक्षा ने शिक्षा निदेशालय, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार, जो कि रियायती दरों पर भूमि आबंटन के लिए प्रायोजित विभाग था, से भी संबंधित संबद्ध अभिलेखों की मांग की और उनकी जांच की। 1990-

91 से 2003-2004 की अवधि के दौरान दि.वि.प्रा. ने 381 पंजीकृत सोसाइटियों को विद्यालय स्थापित करने के लिए भवन के निर्माण हेतु भूमि का आबंटन किया। लेखापरीक्षा ने इन में से, 90 मामलों का विस्तृत संवीक्षा के लिए चयन किया। 70 मामलों में आबंटियों द्वारा भूमि का कब्जा लेने के बाद दो वर्ष की निर्धारित अवधि समाप्त हो चुकी थी। इन में से छियालीस विद्यालय कार्य नहीं कर रहे थे।

#### 4.5 भूमि आबंटन में कमियां-आबंटन अनुमोदित करने से पहले निधियों की पर्याप्तता सुनिश्चित करने में विफलता।

नाजुल नियमों का नियम 20 (डी) निर्धारण करता है कि जब तक संस्था के पास भूमि की लागत और भवनों का निर्माण करने के लिए पर्याप्त निधियां नहीं होंगी, तब तक कोई आबंटन नहीं किया जाएगा। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि संस्था द्वारा इमारतों का निर्माण उचित समय में किया जाए ताकि आबंटन के उद्देश्य को पूरा किया जा सके। इस स्पष्ट धारणा के बावजूद, दि.वि.प्रा. भूमि आबंटन से पहले, भूमि की लागत और इमारतों के निर्माण को पूरा करने के लिए सोसाइटियों के वित्तीय स्तर को सुनिश्चित करने में असफल रहा। परिणामस्वरूप निम्नलिखित अनियमितताएं हुईं:

- क) चयन किए गए मामलों में से 27 सोसाइटियों के घोषित वित्तीय संसाधन भूमि की लागत को भी पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। इन 27 मामलों में से 15 में दो वर्ष की निर्धारित अवधि समाप्त हो गई थी।
- ख) निधियों की अपर्याप्तता के आधार पर, 27 सोसाइटियों ने समय बढ़ाने की मांग की और उनको स्वीकृति दी गई थी।
- ग) सत्रह सोसाइटियों को निर्माण की लागत को पूरा करने हेतु कर्ज लेने के लिए, आबंटित भूमि को गिरवी रखने की स्वीकृति दी गई थी।

इस प्रकार, सोसाइटियों को रियायती दरों पर भूमि का आबंटन किया गया था जो अन्य प्रकार से अयोग्य थीं क्योंकि उनके पास आवश्यक संसाधन नहीं थे।

#### 4.6 आबंटन की शर्तों को लागू न करना।

##### 4.6.1 समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण से संबंधित शर्तों को लागू न करना।

रियायती दरों पर भूमि के आबंटन के संबंध में निर्धारित मुख्य शर्तों में से एक शर्त यह है कि वे 25 प्रतिशत की सीमा तक समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों का

प्रवेश सुनिश्चित करेंगे और समय-समय पर दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार ट्यूशन फीस से छूट प्रदान करेंगे।

लेखापरीक्षा के लिए चयनित 24 क्रियाशील विद्यालयों में लेखापरीक्षा ने पता लगाया कि, 19 विद्यालय कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को कोई आरक्षण अथवा शुल्क छूट नहीं दे रहे थे जबकि पांच विद्यालयों ने 31 मार्च 2004 तक 25 प्रतिशत के अनिवार्य आरक्षण/शुल्क छूट के प्रति केवल तीन प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक प्रदान किया गया था। इस प्रकार, ऐसे क्रियाशील विद्यालयों में से किसी ने भी शर्तों का अनुपालन नहीं किया। परिणामस्वरूप न केवल कमजोर वर्गों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए रियायती दरों पर भूमि के आबंटन का सामाजिक उद्देश्य विफल हो गया था बल्कि दि.वि.प्रा. को इन 24 भूखण्डों में 125.15 करोड़ रु. का अतिरिक्त राजस्व भी अनावश्यक रूप से छोड़ना पड़ा था जो कि वह वाणिज्यिक रूप से आबंटित भूखण्डों पर अर्जित कर सकता था।

उपर्युक्त 24 मामलों के अतिरिक्त, शिक्षा निदेशालय ने ऐसे अन्य 109 मामलों की पहचान की जहाँ कमजोर वर्गों के लिए सीटों के आरक्षण की शर्त का उल्लंघन किया गया था। 69 मामलों में कोई आरक्षण प्रदान नहीं किया गया था जबकि शेष 40 मामलों में इसमें एक प्रतिशत से चौबीस प्रतिशत के बीच की भिन्नता थी। इस प्रकार मार्च 2004 को कुल 133 क्रियाशील विद्यालयों के 66 प्रतिशत विद्यालय कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण से संबंधित आबंटन की शर्तों का अनुपालन नहीं कर रहे थे।

लेखापरीक्षा ने यह भी पता लगाया कि आबंटन की शर्तों के उल्लंघन की पहचान करने के लिए कोई स्थापित क्रियाविधि विद्यमान नहीं थी जिससे कि सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। यह स्पष्टतया भूमि स्वामित्व एवं आबंटन करने वाली एजेन्सी के रूप में दि.वि.प्रा. और प्रायोजित विभाग के रूप में शिक्षा निदेशालय दोनों का संयुक्त उत्तरदायित्व था कि भूमि का आबंटन जो जन उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सम्भव राजस्व को छोड़ते हुए रियायती दरों पर किया जा रहा था, की शर्तों की अनुपालना को सुनिश्चित करें।

दिल्ली उच्च न्यायालय के 20 जनवरी 2004 के निर्देशों के अनुसरण में, शिक्षा निदेशालय ने अप्रैल 2004 में दि.वि.प्रा. को 133 विद्यालयों की एक सूची आवश्यक कार्रवाई करने के लिए भेजी। तदनंतर दि.वि.प्रा. ने जून 2004 में 55 दोषी सोसाइटियों और सितम्बर 2004 में 76 सोसाइटियों को कारण बताओ नोटिस यह निर्देश देते हुए जारी किये कि नोटिस जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर उत्तर न देने पर

आबंटनों को रद्द समझा जाएगा। यद्यपि, 131 दोषी विद्यालयों में से किसी ने भी नोटिस का प्रत्युत्तर नहीं दिया हालांकि आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई थी (नवम्बर 2004)।

इस प्रकार, न तो दि.वि.प्रा. और न ही शिक्षा निदेशालय ने आबंटन की शर्तों को लागू करने के लिए कोई कार्रवाई आरंभ की जब तक कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उल्लंघनों की तरफ ध्यान देने के लिए बाध्य नहीं किया गया।

#### 4.6.2 आबंटन की शर्तों की अवहेलना करते हुए ट्यूशन फीस की वृद्धि

रियायती दरों पर भूमि के आबंटन की शर्तों तथा अनुबंधों के अनुसार, शिक्षा निदेशक, दिल्ली सरकार की पूर्व अनुमति के बिना ट्यूशन फीस की दरों में कोई वृद्धि लागू नहीं की जाएगी। संस्थानों को, दिल्ली विद्यालय शिक्षा (दि.वि.शि.) अधिनियम, 1973 के उपबन्धों और इसके अंतर्गत इस संबंध में बनाये नियमों का भी अनुसरण करना था।

लेखापरीक्षा ने पता लगाया कि 11 विद्यालयों ने शिक्षा निदेशालय की पूर्व अनुमति के बिना 10 प्रतिशत से 13 प्रतिशत तक अपनी ट्यूशन फीस में वृद्धि की थी। दिल्ली उच्च न्यायालय में फाइल किए गए पी.आई.एल. के परिणामस्वरूप शिक्षा निदेशालय ने मार्च 2004 में 332 अतिरिक्त विद्यालयों का पता लगाया जिन्होंने निदेशालय की पूर्व अनुमति के बिना इस प्रकार अपनी ट्यूशन फीस बढ़ाई थी अथवा उच्चतर फीसों और अन्य प्रभारों को लगाकर दि.वि.शि. अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन किया था। वृद्धि की मात्रा पांच प्रतिशत से 44 प्रतिशत के बीच में थी। तथापि, शिक्षा निदेशालय द्वारा कुल 343 दोषी विद्यालयों में से केवल 185 विद्यालयों को मई 2004 में कारण बताओ नोटिस जारी किया जा सका और दिसम्बर 2004 तक उनका अगला उत्तर प्रतीक्षित है। अतः न तो दि.वि.प्रा. और न ही निदेशालय ने सोसाइटियों द्वारा आबंटन की शर्तों और दि.वि.शि. अधिनियम के उपबन्धों के अनुपालन को मॉनीटर किया। इसके अतिरिक्त, दिल्ली सरकार से अनुपालन नहीं करने की सूचना प्राप्त होने के बाद भी दि.वि.प्रा. ने कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की थी।

#### 4.6.3 केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित शर्तों को शामिल न करना

जुलाई 1990 में, केन्द्रीय सरकार ने दि.वि.प्रा. के केवल ऐसे संगठनों को पब्लिक विद्यालयों के लिए भूमि के आबंटन हेतु एक नीति विकसित करने के निर्देश दिए जो दिल्ली में तैनात केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटों के आरक्षण हेतु तैयार थे। यह भी निर्देश दिया गया था कि ऐसे विद्यालयों के प्रबन्धन बोर्ड अथवा प्रवेश समिति में केन्द्रीय सरकार का एक प्रतिनिधि शामिल किया जाना चाहिए।

इन दोनों शर्तों को पट्टे के करार में शामिल किया जाना था। यदि संगठन केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चों की आवश्यक न्यूनतम प्रतिशतता का दाखिला करने में विफल रहा तो सरकार द्वारा आबंटित भूमि पुनर्ग्रहण कर ली जायेगी।

लेखापरीक्षा ने पता लगाया कि इस शर्त को न तो जारी किए गए किसी भी आबंटन पत्र में और न ही पट्टे के करारों में शामिल किया गया था। इस प्रकार, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी अभीष्ट लाभ से वंचित रहे थे।

#### 4.7 जमीन किराया और लाइसेंस फीसों के बकाया देय

दि.वि.प्रा. में निदेशक (भूमि लागत) विद्यालयों की स्थापना हेतु शैक्षिक संस्थाओं की आबंटित भूमि के संबंध में प्रीमियम, जमीन किराया और लाइसेंस शुल्क के कारण देय वसूलियों के उचित अभिलेखों को रखने के लिए उत्तरदायी है। आबंटि द्वारा अदा किए जाने वाले जमीन किराया और लाइसेंस शुल्क अग्रिम रूप से देय होते हैं जिसके न देने से 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज उद्ग्राह्य है। जमीन किराया व लाइसेंस शुल्क की बकाया राशि दि.वि.प्रा. अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत भूमि राजस्व के बकायों के रूप में वसूल किए जा सकते हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 31 मार्च 2004 को 89 सोसाइटियों के प्रति 1.88 करोड़ रु. (1.70 करोड़ रु. जमीन किराया व लाइसेंस शुल्क + 18.05 लाख रु. ब्याज) की राशि बकाया थी। बकाया जमीन किराया, लाइसेंस शुल्क और उस पर ब्याज 1997-98 से 2003-2004 की अवधि से संबंधित थे। इन बकायों को वसूल करने के लिए दि.वि.प्रा. द्वारा कोई कार्रवाई आरंभ नहीं की गई थी (जुलाई 2004)।

#### 4.8 निष्कर्ष

शैक्षिक संस्थाओं को रियायती दरों पर भूमि के आबंटन के लिए शर्तों तथा अनुबन्धों को न तो भूमि स्वामित्व एजेन्सी के रूप में दि.वि.प्रा. द्वारा और न ही प्रायोजित विभाग के रूप में शिक्षा निदेशालय द्वारा लागू किया गया था। परिणामस्वरूप 381 में से 133 सोसाइटियां, जिनको रियायती दरों पर भूमि का आबंटन किया गया था, कमजोर वर्गों के लिए आरक्षणों के अपने दायित्व को पूरा करने में विफल रहीं। ट्यूशन फीस शिक्षा निदेशालय की पूर्व अनुमति के बिना विद्यमान नियमों का उल्लंघन करते हुए बढ़ाई गई थीं जबकि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के लिए आरक्षण से संबंधित अनुदेशों को करार में शामिल भी नहीं किया गया था। आबंटन में अपने आप में कमियां थी जैसा कि विद्यालय के निर्माण और आरम्भ करने के लिए निधियों की पर्याप्तता को सुनिश्चित

करने की पूर्व-शर्त को आबंटन का अनुमोदन करने से पूर्व सुनिश्चित नहीं किया गया था। आबंटियों द्वारा भूमि के आबंटन की अनिवार्य शर्तों तथा अनुबंधों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा निदेशालय और दि.वि.प्रा. के बीच समन्वय नहीं था और न ही दोषियों के प्रति कार्रवाई करने या अनुपालन को मॉनीटर करने और परिवर्तनों की जाँच करने के लिए कोई क्रियाविधि थी।

मामला मंत्रालय को अगस्त 2004 में भेजा गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 2004 तक प्रतीक्षित था।



भाग ख - लेन-देन लेखापरीक्षा पैराग्राफ



## अध्याय V : वाणिज्य मंत्रालय

## भारतीय चाय बोर्ड, मास्को

## 5. त्रुटिपूर्ण रोकड़ प्रबन्धन एवं ब्याज की हानि

भारतीय चाय बोर्ड, मास्को स्थित कार्यालय द्वारा त्रुटिपूर्ण रोकड़ प्रबन्धन करने के परिणामस्वरूप आठ सप्ताह की आवश्यकता से अधिक रोकड़ शेषों का अवरोधन हुआ तथा 38.29 लाख रु. के अनुवर्ती ब्याज की हानि हुई।

भारतीय चाय बोर्ड की वित्तीय एवं लेखाकरण प्रक्रिया के उपबन्धों के अनुसार, चाय बोर्ड के मुख्यालय कार्यालय को उनके विदेश स्थित कार्यालयों में द्विमासिक रूप से निधियाँ प्रेषित करनी होती हैं।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की मार्च 1999 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संघ सरकार (सिविल) स्वायत्त निकाय की प्रतिवेदन सं.4 के पैरा 3.2 में त्रुटिपूर्ण रोकड़ प्रबन्धन एवं ब्याज की हानि को उजागर किया गया था। सितम्बर 2000 में, मंत्रालय ने अपनी कार्रवाई टिप्पणी में बताया कि सभी चाय बोर्ड के विदेश में स्थित कार्यालयों को उनकी संवर्धनात्मक आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर रोकड़ शेष की समीक्षा करने की सलाह दी गई थी। सितम्बर 2002 में भारतीय चाय बोर्ड, कोलकाता ने भी दोहराया कि रखे गए रोकड़ का अंतशेष आठ सप्ताह की आवश्यकता से अधिक नहीं होना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने अप्रैल 2000 से मार्च 2004 के लिए भारतीय चाय बोर्ड, मास्को के अभिलेखों से यह पाया कि मासिक रोकड़ शेष जो कि आठ सप्ताह<sup>1</sup> की आवश्यकता के अनुसार 26.16 लाख रु. से 54.08 लाख रु. के बीच होना था, के विपरीत 96.05 लाख रु. और 247.29 लाख रु. के बीच था। इसके अतिरिक्त, मूल्य वर्धित चाय के संवर्धन पर व्यय, वर्ष 2000-01, 2001-02 और 2003-04 के दौरान बजटीय व्यय का केवल 24.34, 29.80 और 24.47 प्रतिशत था जबकि 2002-03 में वह 141.42 प्रतिशत था।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि इसी अवधि के दौरान फरवरी और मार्च 2003 के माह में, जब विशेष टी.वी. अभियान के लिए भुगतान किया गया था, को छोड़कर अधिकतम

<sup>1</sup> आठ सप्ताह की आवश्यकता को सम्बन्धित वर्षों के लिए मूल्य वर्धित चाय के लिए कार्यालय व्यय और विशेष संवर्धन व्यय के प्रावधानों पर बजटीय प्रावधानों के संदर्भ में परिकल्पित किया गया है।

मासिक व्यय कभी भी 32.64 लाख रु.<sup>2</sup> से अधिक नहीं हुआ जो कि सम्बन्धित वर्षों के लिए पाँच सप्ताह की आवश्यकता से कम था। इस प्रकार, रोकड़ शेष हमेशा आवश्यकता से अधिक थे। यह 69.89 लाख रु. और 193.21 लाख रु. के बीच थे तथापि, अधिक रोकड़ को कभी भी वापस नहीं लौटाया गया था।

उत्तर में, मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2004) कि उसकी अनुमोदन की प्रक्रिया समय लगने वाली प्रक्रिया थी और इसमें कुछ माह लगे थे। इसलिए, विदेश में स्थित चाय बोर्ड कार्यालयों के लिए केवल आठ सप्ताह की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शेषों को रखना व्यावहारिक रूप से उपयुक्त नहीं था। मंत्रालय ने और स्पष्ट किया कि सितम्बर 2002 से फरवरी 2003 तक अधिक रोकड़ शेष विशिष्ट टेके के लिए प्रेषण के संबंध में था। मंत्रालय ने यह भी स्वीकार किया कि प्रेषणों को विदेश में स्थित चाय बोर्ड के पास वास्तविक रोकड़ शेष के सत्यापन के पश्चात ही भेजा जाना चाहिए।

विदेश मंत्रालय द्वारा अपनायी गई पद्धति के अनुरूप, प्रत्येक प्रेषण के लिए अनुमोदन लेने की प्रक्रिया को छोटा किए जाने की आवश्यकता है। आगे, चाय बोर्ड मॉस्को का अपने मुख्यालय को रोकड़, वास्तविक रोकड़ शेष एवं प्रत्याशित व्यय के सत्यापन के पश्चात ही भेजना चाहिए था, जैसा कि मंत्रालय द्वारा स्वीकार किया गया था।

इस प्रकार, आठ सप्ताह की आवश्यकता से अधिक रोकड़ के अवरोधन के परिणामस्वरूप 38.29 लाख रु.<sup>3</sup> के ब्याज<sup>4</sup> की हानि हुई।

---

<sup>2</sup> अक्टूबर 2003

<sup>3</sup> मंत्रालय द्वारा समर्थित सितम्बर 2002 से फरवरी 2003 की अवधि को छोड़कर अप्रैल 2000 से मार्च 2004 तक की अवधि के दौरान।

<sup>4</sup> वर्ष 2002-03 के दौरान 10.03 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर भारत सरकार के औसत उधार दर पर परिकलित।

## अध्याय VI : उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

### उपभोक्ता मामले विभाग

### नेशनल टेस्ट हाउस, कोलकाता

### 6. निधियों का अवरोधन

वारंटी का लाभ उठाने में नेशनल टेस्ट हाउस की विफलता तथा संविदात्मक प्रावधानों के उल्लंघन में एजेंट की कमीशन का भुगतान एवं कार्य निष्पादन प्रतिभूति को जारी करने के फलस्वरूप 52.18 लाख रु. का निवेश निष्फल रहा।

नेशनल टेस्ट हाउस (ने.टे.हा.) कोलकाता ने फरवरी 1999 में मै. एंटर कारपोरेशन, यू.एस.ए. को थर्मल पृथक्करण और भवन सामग्री, फाइबर ग्लास और बोर्ड, खनिज रेशा, पाऊडर एवं विविक्त सामग्री आदि की जाँच के लिए थर्मल कंडक्टिविटी जांच उपकरण का 1,16,870 यू.एस.\$ (52.18 लाख रु. के बराबर) में आपूर्ति का आदेश दिया। इसमें उपकरण के प्रतिष्ठापन, चालू करने और सफल कार्य निष्पादन के बाद भारतीय मुद्रा में मै. एवक सिस्टम, मुम्बई को भुगतान योग्य यू.एस.\$ 11,687 की कमीशन राशि भी शामिल थी।

आपूर्तिकर्ता द्वारा मार्च 1999 में स्वीकार किए गए क्रय आदेश की शर्तों के अनुसार, उपकरण की लागत का 90 प्रतिशत, भेजने के प्रमाण पर तथा शेष 10 प्रतिशत का भुगतान सफल प्रतिष्ठापन और चालू करने के बाद किया जाना था। उपकरण की वारंटी चालू करने की तिथि से 12 माह या उपकरण की आपूर्ति करने की तिथि से 18 माह, जो भी पहले हो, थी। कथित वारंटी में यह भी अनुबद्ध था कि उपकरण गुणवत्ता के अनुकूल न होने पर क्रेता उसे अस्वीकार करने का हकदार होगा तथा यदि कहा जाएगा तो आपूर्तिकर्ता को उसे एक माह की अवधि में निःशुल्क बदलना होगा। इसके अतिरिक्त, आपूर्तिकर्ता नेमी रखरखाव और उपकरण को निर्विघ्न चलाने के लिए ने.टे.हा. के कम से कम दो वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण देने के लिए उत्तरदायी था।

उपकरण मई 2000 में हवाई जहाज से भेजा गया और जून 2000 में ने.टे.हा. में प्राप्त हुआ था। विदेशी आपूर्तिकर्ता के भारतीय एजेंट ने आदेश किए गए सामान की जाँच जुलाई 2000 में की थी। नब्बे प्रतिशत लागत 15 मई 2000 को दी गई थी। नवम्बर 2000 में उपकरण को प्रारंभ में मौसम-विज्ञान भवन में प्रतिष्ठापित किया गया था। उसका प्रतिष्ठापन एवं कार्य ने.टे.हा. के एक वैज्ञानिक द्वारा प्रमाणित किया गया था। अतः उपकरण का शेष 10 प्रतिशत का भुगतान मार्च 2001 में कर दिया गया था। जून

2001 में ने.टे.हा. ने नमूनों की जाँच करनी चाही, लेकिन उपकरण कार्य करने में असफल रहा। सूचित करने पर, विदेशी आपूर्तिकर्ता ने त्रुटि ठीक करने के सुझाव दिए यद्यपि जिससे काम नहीं चला। अगस्त 2001 में, उपकरण किसी दूसरे स्थान पर पुनः स्थापित किया गया। तथापि, उपकरण कार्य करने में असफल रहा।

लेखापरीक्षा ने यह पाया कि निरन्तर अपक्रिया के बावजूद, ने.टे.हा. ने वारंटी अवधि के दौरान उपकरण को बदलने को नहीं कहा, जो नवम्बर 2001 में समाप्त हो गई थी। इसके अतिरिक्त, संविदात्मक निबन्धन एवं शर्तों के अनुसार आपूर्तिकर्ता ने ने.टे.हा. के वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण नहीं दिया था। इन कारणों की उपेक्षा करते हुए, ने.टे.हा. (मार्च 2002) ने आपूर्तिकर्ता को निष्पादन प्रतिभूति इस आधार पर जारी कर दी कि विदेशी आपूर्तिकर्ता की राशि रोकने में समझदारी नहीं थी। मार्च 2003 में ने.टे.हा. ने उपकरण के लंबित सफल कार्य निष्पादन संविदात्मक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए एजेन्सी कमीशन भी जारी कर दिया। इस बीच, भारतीय एजेन्ट ने सूचित किया कि यू.एस.ए. से सर्विस इंजीनियर दोष का सुधार करने के लिए 2003-04 के दौरान दौरा करेगा। तथापि, दौरा कभी नहीं किया गया और न ही विदेशी फर्म या भारतीय एजेन्ट द्वारा उपकरण का परिचालन करने के लिए कोई ठोस कार्रवाई की गई। उपकरण अनुत्पादक और बेकार पड़ा रहा (सितम्बर 2004)।

इस प्रकार, ने.टे.हा. द्वारा वैधता अवधि के अन्दर वारंटी का लाभ उठाने में विफलता के परिणामस्वरूप उपकरण अप्रयुक्त रहा और 52.18 लाख रु. का निवेश निष्फल रहा। एजेन्ट कमीशन को अनियमित भुगतान एवं कार्य निष्पादन प्रतिभूति जारी करने के लिए कोई उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया था।

मामला मंत्रालय को जुलाई 2004 में भेजा गया था, उसका उत्तर दिसम्बर 2004 तक प्रतीक्षित था।

## अध्याय VII : संस्कृति केंद्रालय

### उत्तर-पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, दीमापुर

#### 7. संग्रह निधि के अप्राधिकृत निवेश के परिणामस्वरूप राजस्व की हानि

निदेशक, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, दीमापुर ने एक गैर बैंकिंग वित्त कम्पनी से संग्रह निधि से 1.00 करोड़ रु. का शासी निकाय की अनुमति के बगैर निवेश किया जिसके परिणामस्वरूप 1.60 करोड़ रु. का घाटा हुआ क्योंकि कम्पनी ने अपनी यह शाखा बन्द कर दी थी। प्रभावशाली वाण्डिक कार्रवाई नहीं की गई है।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, (उ.पू.क्षे.सां.के.), दीमापुर की निधियों के निवेश और इस तरह के निवेश की बिक्री और प्रत्यावर्तन शासी निकाय में निहित हैं।

लेखापरीक्षा ने यह पाया कि शासी निकाय की अनुमति के बगैर निदेशक, उ.पू.क्षे.सां.के. ने 1.00 करोड़ रु. एक गैर बैंकिंग वित्त कम्पनी (मै. लीफिन इंडिया लिमिटेड) दीमापुर शाखा (पंजीकृत कार्यालय हैदराबाद में स्थित था) में 6 अगस्त 1999 से 30 सितम्बर 2001 तक की दो वर्षों की अवधि के लिए सावधि जमा योजना में रखा। जमा पर ब्याज की दर 15 प्रतिशत मासिक देयता आधारित थी। जमा की परिपक्व तिथि 30 सितम्बर 2001 थी। मै. लीफिन इंडिया लिमिटेड, दीमापुर शाखा, के साथ किए गए समझौते की प्रतियाँ लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई थीं।

लेखापरीक्षा ने यह पाया कि जमा पर ब्याज के रूप में (अगस्त 1999 से सितम्बर 2001 तक) 31.25 लाख रु. प्राप्त किए जाने थे। तथापि, उ.पू.क्षे.सां.के. ने 1.25 लाख रु. की 7 किस्तों में नवम्बर 1999 से सितम्बर 2001 के दौरान केवल 8.75 लाख रु. ही प्राप्त किए। शासी निकाय के कहने पर, निदेशक ने सितम्बर 2000 में मै. लीफिन इंडिया लिमिटेड से सावधि जमा की राशि को वापस करने का अनुरोध किया लेकिन कम्पनी ने उत्तर नहीं दिया और उनका दीमापुर शाखा का कार्यालय बन्द हो गया।

उ.पू.क्षे.सां.के. ने जून 2001 में धन सम्बन्धी मुकदमा दायर किया, जोकि विधि न्यायालय में निपटारे के लिए लम्बित है (नवम्बर 2004)।

इस प्रकार, संस्थापन प्रलेख में निर्धारित नियमों का उल्लंघन करते हुये निदेशक द्वारा किए गए निधियों के अप्राधिकृत निवेश के कारण, केन्द्र ने मूल राशि (1.00 करोड़ रु.) और ब्याज (मार्च 2004 तक परिकलित ब्याज 0.60 करोड़ रु.) 1.60 करोड़ रु. की हानि उठाई।

केन्द्र द्वारा मामले को अगस्त 2002 में सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मणिपुर सरकार के साथ मणिपुर सरकारी कर्मचारी आचरण, अनुशासन और अपील नियमों के अनुसार निदेशक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही आरंभ के लिए उठाया गया था। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (नवम्बर 2004)।

मामला मंत्रालय को अगस्त 2003 तथा दोबारा अप्रैल 2004 में भेजा गया था; उसका उत्तर नवम्बर 2004 तक प्रतीक्षित था।

## अध्याय VIII : विदेश मंत्रालय

### भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद

#### 8. अनियमित व्यय

भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद ने सरकार के अनुदेशों के उल्लंघन करके वर्ष 2004 के लिए कैलेण्डरों के मुद्रण और वितरण पर 27.60 लाख रु. खर्च किए। परिषद मुद्रण कार्य हेतु ठेका सौमते समय संहिता के प्रावधानों का पालन करने में भी विफल रही।

वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के अक्टूबर 1992 के अनुदेशों के अनुसार नव वर्ष तथा अन्य समारोहों के संबंध में डायरियों, कैलेण्डरों, शुभकामना कार्डों, विजिटिंग कार्डों तथा इसी तरह की अन्य मदों के मुद्रण तथा वितरण पर सरकारी निधि में से कोई व्यय नहीं किया जाना था। वित्त मंत्रालय (वि.मं.) द्वारा इन अनुदेशों की मार्च 2002 में पुनरावृत्ति की गई थी तथा उनके अधीन सभी मंत्रालयों/विभागों तथा स्वायत्त निकायों द्वारा इनका सख्ती से पालन किया जाना था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि प्रतिबंध आदेशों के बावजूद भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद (परिषद) ने वर्ष 2004 के लिए 11.24 लाख रु. की कुल लागत पर 4700 कैलेण्डर मुद्रित कराए तथा इन कैलेण्डरों का कोरियर के माध्यम से वितरण करने पर 16.36 लाख रु. का और व्यय किया। इस प्रकार, परिषद ने इस क्रियाकलाप पर 27.60 लाख रु. खर्च किए।

लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया था कि सामान्य वित्तीय नियमावली (सा.वि.नि.), जिसमें यह अनुबद्ध है कि पांच लाख रु. या इससे अधिक के मूल्य की खरीद हेतु खुली निविदाओं का राष्ट्रीय दैनिक में विज्ञापन किया जाए, के प्रावधानों का उल्लंघन करके परिषद ने सितम्बर 2003 में तीन मुद्रकों से मौखिक उद्धरण प्राप्त किए। दिसम्बर 2003 में सबसे निम्नतम बोलीकर्ता फर्म 'क' को 11.24 लाख रु. की लागत पर कैलेण्डरों की आपूर्ति हेतु मुद्रण आदेश दिए थे। खुली निविदाओं के अभाव में लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा सकी कि क्या अधिक मितव्ययी विकल्प का चयन किया था तथा अधिक प्रतियोगी दरें प्राप्त की गई थीं।

परिषद ने अपने उत्तर में बताया (मई 2004) कि उसे वि.मं. द्वारा जारी मितव्ययी अनुदेशों के बारे में मंत्रालय द्वारा परामर्श नहीं दिया गया था। परिषद ने यह भी बताया कि वह, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने, जिस कार्य के लिए भा.सां.स.प. का सृजन किया गया था, के उद्देश्य से विदेशी राजनयिक संगठनों तथा भारत में रह रहे राजनयिक मिशनों को देने के लिए नियमित रूप से कैलेण्डर/डायरियां आदि का मुद्रण कार्य करा रही थी और भा.सां.स.प. की वित्त समिति इस क्रियाकलाप के लिए वार्षिक रूप से 25 से 30 लाख रु. प्रदान कर रही थी।

परिषद का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि उसका 25 से 30 लाख रु. का वार्षिक बजट (2003-04 में 27.00 लाख रु.) पुस्तकों तथा कला-वस्तुओं के उपहार के लिए था न कि नव वर्ष के कैलेण्डर तथा डायरियों के प्रस्तुतीकरण के लिए। परिषद ने सितम्बर 2004 में लेखापरीक्षा को यह और सूचित किया कि पिछले वर्ष में कोई कैलेण्डर मुद्रित और वितरित नहीं किए गए थे इस प्रकार, उसका अपना मई 2004 का कथन परस्पर विरोधी हो गया। इसके अतिरिक्त 4700 कैलेण्डरों में से 27.7 प्रतिशत (1304) भारतीयों (भा.सां.स.प. के 261 सदस्यों के बीच तथा अन्य अ.वि. व्यक्तियों को 1043) को वितरित किए गए थे। अन्य 105 कैलेण्डर, जो कुल मुद्रित हुए कैलेण्डरों का 2.2 प्रतिशत बने, अवितरित रहे जबकि विदेश में भारतीय मिशनों को आपूर्त किए गए 2800 कैलेण्डरों के वितरण के बारे में अभिलेख में उपलब्ध नहीं थे।

मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2004) कि सरकार के मितव्ययिता संबंधी अनुदेशों में अनुत्पादक प्रशासनिक व्यय में कमी करने के निदेश दिए गए थे न कि विदेश में भारतीय संस्कृति के प्रक्षेपण, जोकि इन कैलेण्डरों के मुद्रण का एक प्रमुख तथा एकमात्र उद्देश्य था, पर व्यय में कमी करने के लिए। उत्तर न्यायसंगत नहीं है क्योंकि 30 प्रतिशत के लगभग कैलेण्डर या तो भारतीय लोगों को स्थानीय रूप से वितरित किए गए थे या अवितरित रहे तथा परिषद को मितव्ययिता अनुदेशों को लागू करने से छूट नहीं दी गई थी। सीमित पूछताछ के संबंध में मंत्रालय ने बताया कि परिषद ने सा.वि.नि. 102 के नियम 36, पैराग्राफ 1 के अंतर्गत सीमित निविदा प्रणाली का सहारा लिया था क्योंकि सक्षम प्राधिकारी को यह संतुष्टि थी कि उसे संभावित आपूर्ति के स्रोतों का जिनसे सम्पर्क किया जा रहा था निश्चित रूप से पता था तथा इसके अतिरिक्त नए स्रोत, की संभाव्यता बहुत कम थी। तथापि, सीमित पूछताछ का सहारा लेकर परिषद ने प्रतियोगी दरें प्राप्त करने का लाभ उठाने का अवसर भी खो दिया था।

## अध्याय IX : वित्त मंत्रालय

### आर्थिक कार्य विभाग

### बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

#### 9.1 अनियमित व्यय

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने बीमा और जोखिम प्रबंधन संस्थान को अनियमित रूप से 11.00 करोड़ रु. अंतरित किए।

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बी वि वि प्रा) ने बीमा और जोखिम प्रबंधन संस्थान (बी.जो.प्र.सं.) की स्थापना करने के लिए आन्ध्र प्रदेश औद्योगिक अवसंरचना निगम (आ.प्र.औ.अ.नि.) के साथ एक समझौता ज्ञापन (स.ज्ञा.) पर जनवरी 2002 में हस्ताक्षर किए। आ.प्र.औ.अ.नि. का निवेश बी.जो.प्र.सं. को स्थानांतरित की जाने वाली भूमि की लागत के बराबर किया जाना था तथा बी.वि.वि.प्रा. को बी.जो.प्र.सं. की ईक्विटी पूंजी में अंशदान करना था। बी.जो.प्र.सं. को कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत जुलाई 2002 में एक कम्पनी के रूप में स्थापित किया गया था। बी.वि.वि.प्रा. के चैयरमैन को बी.जो.प्र.सं. के चैयरमैन के रूप में भी नियुक्त किया गया था। बी.वि.वि.प्रा. ने 2002-03 के दौरान बी.जो.प्र.सं. को 11 करोड़ रु. दिए। आ.प्र.औ.अ.नि. द्वारा बी.जो.प्र.सं. को दिसम्बर 2004 तक भूमि स्थानान्तरित अभी की जानी थी।

तथापि, बी.वि.वि.प्रा. ने मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त किए बिना बी.जो.प्र.सं. की स्थापना करने के लिए आ.प्र.औ.अ.नि. को सहयोग दिया था। यह नवम्बर 2002 में मंत्रालय के ध्यान में आया। मंत्रालय ने इस मामले पर जनवरी 2003 में बी.वि.वि.प्रा. से स्पष्टीकरण मांगा। बी.वि.वि.प्रा. ने प्रत्युत्तर दिया (जनवरी 2003) कि वह बी.वि.वि.प्रा. अधिनियम के अंतर्गत ऐसा करने में सक्षम था तथा मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तथापि विधि, न्याय और कम्पनी मामले मंत्रालय ने राय व्यक्त की (जून 2003) कि बी.नि.वि.प्रा. को बी.वि.वि.प्रा. अधिनियम 1999 के अंतर्गत बी.जो.प्र.सं. की स्थापना करने का अधिकार नहीं दिया गया था। तदनुसार, मंत्रालय ने बी.वि.वि.प्रा. को निर्देश दिया (जून 2003) कि बी.जो.प्र.सं. की स्थापना से संबंधित समस्त कार्यवाही रद्द करें तथा परवर्ती को अंतरित किए गए 11 करोड़ रु. वापस प्राप्त करें।

लेखापरीक्षा ने मार्च 2004 में 11 करोड़ रुपये के इस अनियमित अंतरण की ओर ध्यान दिलाया। प्रत्युत्तर में, मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2004) कि उन्होंने उस समय बी.वि.वि.प्रा. के माध्यम से बी.जो.प्र.सं. को प्रोत्साहित करने का निर्णय किया गया था तथा परवर्ती को उसके क्रियाकलापों को नियंत्रित करने के लिए दिशानिर्देश बनाने के लिए कहा गया था। तथापि, मंत्रालय का उत्तर उनके पहले के उत्तर जिसमें यह कहा गया था कि बी.वि.वि.प्रा. का कार्य बीमा तथा पुनः बीमा व्यापार से संबंधित व्यावसायिक संगठनों को नियंत्रित करने का था, तथा प्राधिकरण के कर्तव्यों, शक्तियों तथा कार्यों में ऐसे संस्थानों की स्थापना तथा उनको चलाना शामिल नहीं था, के परस्पर-विरोधी था। आगे मंत्रालय का यह मत था कि नियंत्रणकर्ता को पद्धति से अलग हटकर सौंपे गए कार्य विशेष के लिए वस्तुगत दृष्टि से कार्य करना था तथा ऐसे संस्थान की स्थापना करना बी.वि.वि.प्रा. अधिनियम की धारा 14 की सीमा में नहीं आता था। इस प्रकार, कानूनी ढाँचे जिसके अंतर्गत बी.वि.वि.प्रा. का गठन किया गया था में परिवर्तन किए बिना और विधि न्याय और कम्पनी मामले, मंत्रालय से नई राय प्राप्त किए बिना मंत्रालय अपनी पूर्व स्थिति से बिल्कुल पलट गया।

## 9.2 नवीकरण शुल्क का परिहार्य प्रत्यर्पण

**बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का पूर्वव्यापी प्रभाव से नवीकरण शुल्क 0.2 प्रतिशत से घटाकर 0.1 प्रतिशत करने के अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण 8.94 करोड़ रु. का अनियमित प्रत्यर्पण हुआ।**

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बी.वि.वि.प्रा.) की स्थापना बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के अंतर्गत बीमा पॉलिसी के धारकों के हितों के संरक्षण हेतु की गई थी। अधिनियम के नियम 16 में बीमा विनियामक और विकास निधि (निधि) के गठन का प्रावधान है जिसमें प्राधिकरण द्वारा प्राप्त होने वाले सभी अनुदानों, शुल्कों एवं प्रभारों को क्रेडिट किया जाता है। अधिनियम के प्रावधानों में वसूल/प्राप्त किये गये शुल्क और प्रभार पर छूट, अधित्याग अथवा वापसी इत्यादि का प्रावधान नहीं था और इन्हें निधि में संचित किया जाना था।

बी.वि.वि.प्रा. विनियमन 2000 की धारा 20 (भारतीय बीमा कम्पनी पंजीकरण) में प्रावधान है कि बीमाकर्ता को, जिसे अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है प्राधिकरण को नवीकरण के प्रमाणपत्र के लिए प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर से पूर्व आवेदन करना होगा। ऐसे आवेदन के साथ शुल्क के भुगतान का प्रमाण संलग्न होना चाहिए जो 50,000 रु. से कम का नहीं होना चाहिए अथवा वित्तीय वर्ष से पूर्व जिसमें प्रमाण-पत्र के नवीकरण के लिए आवश्यकता है, के कुल

सकल प्रीमियम का 0.2 प्रतिशत तथा जिसकी अधिकतम सीमा 5 करोड़ रु. है, तक सीमित होना चाहिए।

अक्टूबर 2001 में बी.वि.वि.प्रा. की शासी निकाय की बैठक में नवीकरण शुल्क को सकल प्रीमियम के 0.2 प्रतिशत से घटाकर 0.1 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया था। इस निर्णय के अनुसार 26 फरवरी 2003 को बी.वि.वि.प्रा. (भारतीय बीमा कम्पनी पंजीकरण) विनियमन के विनियम 20(1) में संशोधन किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि कार्यवृत्त में इस निर्णय के तर्कधार को दर्ज नहीं किया गया था और केवल अध्यक्ष द्वारा सदस्यों को स्पष्ट करने का उल्लेख था। नवीकरण शुल्क में कटौती 1 अप्रैल 2001 पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू की गई थी और वर्ष 2001-02 में नवीकरण शुल्क के 8.94 करोड़ रु. की राशि को बीमा कम्पनियों को वापिस कर दिया गया था। बी.वि.वि.प्रा. का पहले से एकत्रित और संचित किये गये नवीकरण शुल्क की वापसी का निर्णय अनियमित था क्योंकि अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्राधिकरण को पहले से एकत्रित और क्रेडिट किये गये प्राप्ति/राजस्व को न तो वापस करने का अधिकार था और न ही नवीकरण शुल्क नियमों के दुरुपयोग से प्राप्त किए गए थे। आगे, नवीकरण शुल्क की दरों में कटौती अग्रदर्शी तिथि अर्थात् अक्टूबर 2001 के उपरान्त से की जानी चाहिए थी क्योंकि नवीकरण शुल्क के उच्च दर का बोझ पहले ही बीमा कम्पनी द्वारा उच्च प्रीमियम इत्यादि के रूप में पॉलिसी धारकों के ऊपर डालने की संभावना थी।

प्राधिकरण के अप्रैल 2001 से पूर्वव्यापी प्रभाव से नवीकरण शुल्क में कटौती करने के निर्णय के कारण वर्ष 2001-02 में बीमा कम्पनियों को 8.94 करोड़ रु. का अनियमित और अविवेकपूर्ण शुल्क प्रत्यर्पण किया गया।

प्रत्युत्तर में, मंत्रालय ने लेखापरीक्षा के विचार को माना (अक्टूबर 2004) कि पूर्वव्यापी प्रभाव से नवीकरण शुल्क में कटौती नियमानुसार सही नहीं थी।

## अध्याय X : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

### अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

#### 10.1 वाहन भत्ते का अनियमित भुगतान

मंत्रालय के स्पष्ट आदेशों के विपरीत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा अपात्र स्टाफ को वाहन भत्ते का भुगतान किया गया था। केवल 2002-03 और 2003-04 के दौरान 68.59 लाख रु. की राशि का अनियमित भुगतान हुआ।

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत कार्य कर रहे केन्द्रीय चिकित्सा सेवा (के.चि.से.) के विशेषज्ञों/जनरल ड्यूटी चिकित्सा अधिकारियों और अस्पतालों में कार्य कर रहे गैर के.चि.से. चिकित्सा अधिकारियों/विशेषज्ञों को विभिन्न दरों पर जुलाई 1987 से पूर्वव्यापी प्रभाव से नवम्बर 1987 में वाहन भत्ते की संस्वीकृत प्रदान की थी। एक माह के दौरान औसतन कम से कम 20 घरेलू निरीक्षण करने, अथवा कार्यसमय के बाद बराबर संख्या में अस्पताल निरीक्षण करने तथा कुछ निर्धारित शर्तों, के पूर्ण होने के अध्यक्षीन जिसमें घरेलू/अस्पताल में निरीक्षण करने पर हुआ व्यय, वाहन भत्ते के दावे की राशि से कम नहीं होने का प्रावधान शामिल था, को पूरा करने पर भत्ते का भुगतान किया जाना था। भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मार्च 1990 में गैर चिकित्सा (वर्ग 'क') विशेषज्ञों/वैज्ञानिकों के लिए भी 1 अप्रैल 1989 के पूर्वव्यापी प्रभाव से ये आदेश लागू किए गए थे। तदनुसार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संस्थान) ने जून 1992 में वर्ग 'क' वैज्ञानिकों/विशेषज्ञों की 14 श्रेणियों की पहचान की थी और इन अधिकारियों को पूर्वव्यापी प्रभाव से 1 अप्रैल 1989 से वाहन भत्ता प्रदान किया था।

अपने अधिकारी-संघ द्वारा किए गए निवेदन के आधार पर संस्थान ने अप्रैल 1993 में सभी 'क' और 'ख' अधिकारियों को वाहन भत्ता प्रदान करने का प्रस्ताव मंत्रालय को भेजा था। मंत्रालय ने जुलाई 1993 में प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और कहा कि वाहन भत्ता प्रदान करने के लिए निर्धारित शर्तों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। मंत्रालय के प्रस्ताव को अस्वीकृत करने के बावजूद संस्थान ने जनवरी 1999 में, पूर्वव्यापी प्रभाव 1 अप्रैल 1989 से शेष वर्ग 'क' अधिकारियों को भी वाहन भत्ता प्रदान किया था। इसमें शामिल किये गये अधिकारियों में रजिस्ट्रार, शिक्षाशास्त्री, मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष, सहायक परीक्षा नियंत्रक, प्रकाशन और जनसंपर्क अधिकारी, वित्तीय सलाहकार, वित्त एवं मुख्य लेखा अधिकारी इत्यादि के पद शामिल थे। वाहन भत्ता प्रदान करने की मूल शर्त के अनुसार इन अधिकारियों को प्रत्यक्षतः कार्यसमय के बाद

अस्पताल में निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं थी। सितम्बर 2002 में संस्थान द्वारा वाहन भत्ते का लाभ आगे बढ़ाकर सभी वर्ग 'ख' अधिकारियों को दिया गया हालांकि भारत सरकार के आदेशों के अंतर्गत वे हकदार नहीं थे। केवल 2002-03 और 2003-04 के दौरान 549 अपात्र वर्ग 'क' और 'ख' अधिकारियों को 68.59 लाख रु. की राशि के वाहन भत्ते का भुगतान किया गया था।

लेखापरीक्षा में मामला उठाने के उपरान्त, संस्थान ने वाहन भत्ते प्रदान करने की कार्योत्तर मंजूरी के लिए मामला मंत्रालय को भेजा (जुलाई 2003)। मंत्रालय ने संस्थान को सुस्पष्ट निर्देश दिया (जून 2004) कि अपात्र अधिकारियों को वाहन भत्ते का भुगतान बन्द किया जाये और पहले किये गये अनियमित भुगतान की वसूली की जाये।

संस्थान ने बताया (अक्टूबर 2004) कि वर्ग 'क' और 'ख' अधिकारियों और अन्य तकनीकी अधिकारियों को वाहन भत्ते का भुगतान अब बन्द कर दिया गया था। उत्तर से यह स्पष्ट नहीं होता है कि मंत्रालय के निदेशानुसार क्या अपात्र अधिकारियों से पिछले वर्षों में किए गए अधिक भुगतान की वसूली कर ली गई थी।

मामला मंत्रालय को अगस्त 2004 में भेजा गया था, उसका उत्तर फरवरी 2005 तक प्रतीक्षित था।

### 10.2 अनियमित वित्तीय सहायता प्रदान करना

**अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने अपने स्टाफ सदस्यों को 42.97 लाख रु. की वित्तीय सहायता का अनियमित भुगतान किया।**

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संस्थान) के शासी निकाय द्वारा संकाय के सदस्यों को विदेश में विभिन्न वैज्ञानिक सम्मेलनों, वर्कशाप और सम्मेलन में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बनाए गए मार्गदर्शी सिद्धान्त में वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रावधानों के अनुसार सहायता तभी दी जानी चाहिए जब संकाय के सदस्यों ने संस्थान में कम से कम तीन वर्ष की सेवा की हो और कम से कम तीन वर्ष या अधिक की सेवा, सेवा निवृत्ति से पूर्व शेष हो। वित्तीय सहायता, जिसमें हवाई किराया, पंजीकरण शुल्क और दैनिक भत्ता शामिल थे, को दो वर्ष में एक बार दिया जाना था और उसे वास्तविक व्यय अथवा यात्रा करने वाले देश के अनुसार 0.10 लाख रु. से 1.00 लाख रु. के बीच का एकमुश्त भुगतान, जो भी कम हो, से सीमित करना था।

2002-03 और 2003-04 के दौरान जारी वित्तीय सहायता सम्बन्धी अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से निम्नलिखित अनियमितताएं प्रकट हुईं:-

- क) 26 गैर-संकाय सदस्यों को वित्तीय सहायता के रूप में 25.60 लाख रु. का भुगतान किया गया था।
- ख) संकाय के 19 सदस्यों को 16.27 लाख रु. का भुगतान किया गया था जिन्हें तीन वर्षों के अन्दर सेवानिवृत्त होना था अथवा जिन्होंने संस्थान में तीन वर्ष से कम काम किया था। एक मामले में निर्धारित सीमा से 0.50 लाख रु. का अधिक भुगतान किया गया था।
- ग) संकाय के दो सदस्यों को 1.10 लाख रु. का भुगतान किया गया था जिन्हें पिछले वर्ष के दौरान वित्तीय सहायता दी जा चुकी थी।

संस्थान ने बताया (फरवरी 2004) कि संकाय के सदस्यों और अन्य गैर शैक्षणिक स्टाफ से प्राप्त सभी प्रस्तावों को संस्थान की वित्तीय अनुदान समिति के सामने रखा गया था जिसकी अध्यक्षता संस्थान के निदेशक द्वारा की गई थी और उक्त समिति ने इन सभी प्रस्तावों को मंजूरी दी थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि संस्थान के शासी निकाय द्वारा बनाये गये मार्गदर्शी सिद्धान्त और इसमें समय-समय पर किये गये संशोधन में उपरोक्त श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने से विशेष रूप से रोका गया था। समिति का निर्णय संस्थान द्वारा बनाए गए मार्गदर्शी सिद्धान्त का अध्यारोही नहीं हो सकता था।

इस प्रकार, संस्थान द्वारा बनाये गये मार्गदर्शी सिद्धान्त का पालन न करने के परिणामस्वरूप अपात्र स्टाफ सदस्यों को 42.97 लाख रु. की वित्तीय सहायता का अनियमित भुगतान किया गया था यह राशि भी वसूल नहीं की गयी है।

मामला अगस्त 2004 में मंत्रालय को भेजा गया था, उसका उत्तर फरवरी 2005 तक प्रतीक्षित था।

### 10.3 त्रुटिपूर्ण अधिप्राप्ति योजना के परिणामस्वरूप उपस्कर का निष्क्रिय रहना

14.30 लाख रु. की कीमत का उपस्कर, स्थापना के लिए स्थान की उपलब्धता को सुनिश्चित किए बगैर, अधिप्राप्त किया गया जिसके परिणामस्वरूप चार वर्षों से अधिक के लिए यह भण्डार में निष्क्रिय पड़ा रहा।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (अ.भा.आ.सं.) ने 14.30 लाख रु. की लागत वाले 'इन्वर्टिड माइक्रोस्कोप विद क्लोज्ड सर्किट टेलिविजन सिस्टम एण्ड मोटोराइज्ड

माइक्रोमैनिपुलेटर सिस्टम' की खरीद के लिए एक विदेशी फर्म को आदेश दिया (जुलाई 1999)। उपस्कर, जो कि संस्थान में अक्टूबर 1999 में प्राप्त हुआ था, को प्रसूति रोग-विज्ञान एवं स्त्री रोग-विज्ञान विभाग को नवम्बर 2000 अर्थात् एक वर्ष की समाप्ति के बाद सौंपा गया। लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ (नवम्बर 2003) कि मशीन चार वर्षों से अधिक की अवधि की समाप्ति के बाद भी नवम्बर 2003 तक स्थापित नहीं की गई थी।

प्रसूति रोग-विज्ञान एवं स्त्री रोग विज्ञान विभाग ने बताया (नवम्बर 2003) कि उपस्कर स्थान की कमी के कारण स्थापित नहीं किया जा सका था। इसने आगे बताया (जुलाई 2004) कि उपस्कर की, विभाग में नवीकरण-कार्य के पूर्ण होने पर सितम्बर 2004 तक स्थापित किए जाने की सम्भावना थी। यद्यपि निदेशक (अ.भा.आ.सं.) ने फरवरी 2003 में निर्णय लिया था कि इस मामले में उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाने और अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता थी, फिर भी अ.भा.आ.सं. ने की गई कार्यवाही के विवरण, यदि कोई थे, लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए थे।

इस प्रकार, स्थापना के लिए मूल आधारिक संरचना की उपलब्धता सुनिश्चित किए बगैर, उपस्कर की खरीद त्रुटिपूर्ण योजना को दर्शाती थी जिसके परिणामस्वरूप 14.30 लाख रु. का निवेश व्यर्थ रहा। चार वर्षों से अधिक तक इसके भण्डारण के दौरान उपकरण की क्षति के जोखिम के अलावा, रोगी भी इस उपकरण की सहायता से उन्नत उपचार के लाभ से वंचित हुए थे।

मामला मंत्रालय को जून 2004 में भेजा गया था, उनका उत्तर फरवरी 2005 तक प्रतीक्षित था।

## अध्याय XI : मानव संसाधन विकास मंत्रालय

### माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग

### अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद

#### 11.1 सेल्यूलर फोन्स पर अनियमित व्यय

अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने भारत सरकार के आदेशों का उल्लंघन करके अपात्र अधिकारियों के प्रयोग के लिए सेल्यूलर फोन्स की खरीद अनुमोदित की जिसके परिणामस्वरूप 1999-2004 के बीच 18.10 लाख रु. का अनियमित व्यय हुआ।

भारत सरकार (वित्त मंत्रालय) ने संघ सरकार के राजकीय कार्य के लिए सेल्यूलर फोन्स/पेजर की खरीद पर पाबंदी लगाई थी (सितम्बर 1995)। सभी मंत्रालयों/विभागों से इन अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने तथा उनके अधीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/स्वायत्त निकाय को तदनुसार परामर्श देने का अनुरोध किया गया। तदनन्तर सरकार ने जनवरी 2003 में पाबंदी पर आंशिक छूट देते हुए निर्णय किया कि भारत सरकार के सचिव और सचिव स्तर के अधिकारियों को सेल्यूलर फोन्स की अनुमति दी जाये बशर्ते कि किराये और कॉल चार्ज पर मासिक व्यय 1500 रु. से अधिक न हो। सेल्यूलर फोन्स के हैंड सेट की कीमत भी 10,000 रु. तक सीमित की जानी थी। जनवरी 2004 में बी. एस. एन. एल./एम. टी. एन. एल. की डब्लू. एल. एल. फोन योजना के अंतर्गत मोबाईल फोन की सुविधा टेलीफोन कॉल चार्ज की 500 रु. मासिक सीमा निर्धारित करते हुए संयुक्त सचिव और अतिरिक्त सचिव स्तर के अधिकारी को दी गई। इस प्रकार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (अ.भा.त.शि.प.) में केवल अध्यक्ष और स्तर-I के चार सलाहकार, जिनका पद क्रमशः सचिव और संयुक्त सचिव के बराबर का था, सेल्यूलर फोन्स की सुविधा के हकदार थे।

लेखापरीक्षा ने पता लगाया (सितम्बर 2003) कि सरकार के निदेशों का उल्लंघन करते हुए अ.भा.त.शि.प. ने अध्यक्ष की स्वीकृति से अपात्र अधिकारियों के प्रयोग हेतु नवम्बर 1999 और अगस्त 2003 के बीच में 3.18 लाख रु. की लागत से सेल्यूलर फोन्स के 25 हैंडसेट (क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए 10 सेट शामिल करते हुए) खरीदे थे। अ.भा.त.शि.प. और उनके क्षेत्रीय कार्यालयों ने भी 1999-2000 से 2003-2004 की अवधि के दौरान अपात्र अधिकारियों को दिये गये सेल्यूलर फोन्स के किराये और कॉल चार्ज पर 14.92 लाख रु. का आवर्ती व्यय भी वहन किया था। इस प्रकार मार्च 2004

तक अपात्र अधिकारियों को। दिये गये सेल्यूलर फोन्स के प्रयोग पर कुल 18.10 लाख रु. का अनियमित व्यय हुआ।

मंत्रालय ने अगस्त 2004 में अ.भा.त.शि.प. को अपात्र अधिकारियों से सेल्यूलर फोन्स की सुविधा वापस लेने और उनसे वसूली करने का निर्देश दिया।

### दिल्ली विश्वविद्यालय

#### 11.2 ब्याज के भुगतान पर परिहार्य व्यय

दिल्ली विश्वविद्यालय ने उसको चिरस्थायी पट्टे पर आबंटित भूमि के लिए भू-किराए का विलम्बित भुगतान किया जिसके परिणामस्वरूप ब्याज के प्रति 22.30 लाख रु. का परिहार्य व्यय हुआ।

भूमि और विकास कार्यालय (भू.वि.का.) निर्माण और आवास मंत्रालय (अब शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय) ने दिल्ली विश्वविद्यालय को धौला कुँआ सांस्थानिक क्षेत्र नई दिल्ली में 65.913 एकड़ माप वाला एक भूखण्ड आबंटित किया (जुलाई 1977)। तदनन्तर भू.वि.का. ने इस आबंटन को कम करके 64.999 एकड़ तक कर दिया (नवम्बर 1978)। भूमि 26.45 लाख रु. के कुल प्रीमियम पर चिरस्थायी पट्टे पर दी गई थी। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय ने विभिन्न दरों पर विविध उपयोगों हेतु (प्रशासनिक खंड, संकाय भवन, पुस्तकालय आदि के लिए 12,500 रु. प्रति वर्ष, स्टाफ क्वार्टरों तथा छात्रावासों के लिए 60,000 रु. प्रति वर्ष की दर पर तथा खेल के मैदान, स्टेडियम तथा जिमनेजियम के लिए एक रु. प्रति वर्ष पर) 72,501 रु. प्रतिवर्ष के कुल किराए का भुगतान करना था। किराए का डिमांड नोटिस का ध्यान किए बिना प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी तथा 15 जुलाई को अग्रिम रूप में अर्धवार्षिकी भुगतान किया जाना था। भूमि-किराए के विलम्बित भुगतान या भुगतान न करने से विलम्ब की अवधि के लिए 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज देय था।

लेखापरीक्षा ने यह पता लगाया (जनवरी 2004) कि विश्वविद्यालय ने आबंटन के समय से ही भू-किराए के विभिन्न घटकों का या तो भुगतान नहीं किया या कम भुगतान किया। विश्वविद्यालय का विलम्बित भुगतानों पर ब्याज छोड़ने का अनुरोध (अप्रैल 2003) शहरी विकास मंत्रालय द्वारा माना नहीं गया था (जून 2003)। परिणामतः उसे विलम्बित भुगतानों पर जुलाई तथा नवम्बर 2003 के बीच ब्याज के रूप में 22.30 लाख रु. का भुगतान करना पड़ा।

विश्वविद्यालय ने बताया (जून 2004) कि भू-किराए का भुगतान नहीं किया गया था क्योंकि भू.वि.का. से कोई मांग प्राप्त नहीं हुई थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि भूमि के आबंटन की शर्तों के अनुसार भू-किराया डिमांड नोटिस का ध्यान किए बिना अग्रिम रूप में अर्धवार्षिकी देय था। दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा कार्रवाई न करने के कारण ब्याज प्रभारों के प्रति 22.30 लाख रु. का परिहार्य व्यय हुआ।

मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2004) कि विश्वविद्यालय ने भू-किराए का भुगतान नहीं किया क्योंकि उक्त भूमि के पट्टे का निष्पादन उसके पक्ष में नहीं किया गया था। उत्तर न्यायसंगत नहीं है क्योंकि भूमि के आबंटन से ही भू-किराया देय हो जाता है और आबंटन की शर्तों का पालन न करने से विश्वविद्यालय ने 22.30 लाख रु. का परिहार्य व्यय किया।

### भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद

#### 11.3 घर से चलाए जा रहे कार्यालयों पर अनियमित व्यय

मंत्रालय ने भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद को उसके चेयरमैनों द्वारा घर से चलाए जा रहे कार्यालयों पर 1997-98 से फरवरी 2004 तक की अवधि के दौरान 12.92 लाख रु. का अनियमित व्यय करने से रोक नहीं था।

भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत एक पंजीकृत समिति है। संघ सरकार द्वारा संपूर्ण रूप से वित्तपोषित होने के कारण परिषद, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों एवं विनियमों का पालन करने के लिए बाध्य है। सरकार द्वारा परिषद के चेयरमैन को अवैतनिक आधार पर नियुक्त किया जाता है।

लेखापरीक्षा ने पाया (अगस्त 2003) कि सरकार द्वारा 1997-98 से 1999-2000 के दौरान तथा जुलाई 2001 के आगे से नियुक्त परिषद के चेयरमैनो ने धारवाड़ (कर्नाटक) तथा कालीकट (केरल) में उनके संबंधित आवासों में मंत्रालय के अनुमोदन के बिना कार्यालय स्थापित किए तथा 23 फरवरी 2004 तक स्टाफ के वेतन एवं भत्तों, भवन के किराए, दूरभाष प्रभारों आदि पर 12.92 लाख रु. का व्यय किया था। लेखापरीक्षा ने यह भी अवलोकित किया कि यद्यपि परिषद इस अनियमित व्यय को अपने बजट एवं वार्षिक लेखाओं में दर्शा रही थी, मंत्रालय इसे इंगित करने तथा इस अनियमितता को अस्वीकार करने में विफल रहा।

इसके प्रत्युत्तर में परिषद ने सूचित किया (फरवरी 2004) कि चेयरमैन का गृह कार्यालय 10 दिसम्बर 2003 से बन्द कर दिया था तथा सभी परिसम्पत्तियां उनके दक्षिणी क्षेत्र केन्द्र, बंगलौर में पहुँचा दी गई थी। परिषद द्वारा उल्लिखित तथ्यों को पृष्ठांकित करते हुए मंत्रालय के उत्तर में यह और बताया गया (अप्रैल 2004) कि नई दिल्ली से बाहर रहने वाले अवैतनिक चेयरमैनो के उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने के लिए अत्यल्प स्टाफ तथा अन्य सुविधाएं आवश्यक थी। उसने यह और बताया (अगस्त 2004) कि भा.ऐ.अ.प. एक स्वायत्त निकाय थी और उन मर्दों पर किया गया व्यय उनकी प्रशासनिक समिति तथा परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया था। मंत्रालय का उत्तर घर से चलाए जा रहे कार्यालयों को बन्द करने के परिषद को दिये गये अनुदेश उसकी अपनी कार्यवाही का खण्डन करते हैं। इसके अतिरिक्त, उसने भा.ऐ.अ.प. के भूतपूर्व सचिव सदस्य को कालीकट में भवन किराए पर लेने तथा उसके पूर्वानुमोदन के बिना एक कार्यालय खोलने के संबंध में स्पष्टीकरण भी मांगा था। इसके अतिरिक्त, उसने नियुक्ति की शर्तों के अनुसार चेयरमैन को घर से चलाए जा रहे कार्यालयों की सुविधा नहीं दी थी। यद्यपि लेखापरीक्षा ने अनुरोध किया था (सितम्बर 2004) फिर भी मंत्रालय ने भा.ऐ.अ.प. के भूतपूर्व सचिव सदस्य से मांगे गए स्पष्टीकरण के संबंध में आगे की कार्रवाई सूचित नहीं की।

इस प्रकार, चेयरमैन के गृह कार्यालय पर व्यय रोकने में मंत्रालय की विफलता के परिणामस्वरूप 12.92 लाख रु. का परिहार्य अनियमित व्यय हुआ।

#### भारतीय प्रबंधन संस्थान, कलकत्ता

#### 11.4 निवेश पर परिहार्य हानि

भारतीय प्रबंधन संस्थान, कलकत्ता की यू.एस.64 की गिरती प्रवृत्ति का मूल्यांकन करने तथा योजना में उसके निवेश के परिशोधन के संबंध में समय पर निर्णय लेने में विफलता के परिणामस्वरूप 66 लाख रु. की परिहार्य पूंजीगत हानि हुई।

भारतीय प्रबंधन संस्थान कलकत्ता (संस्थान) के शासी बोर्ड ने अपनी धर्मस्व निधि का प्रबन्ध करने के लिए जून 1994 में एक प्रबन्ध समिति का गठन किया। संस्थान ने फरवरी 1994 तथा जनवरी 1995 के बीच भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यू.टी.आई.) की यू.एस.64 योजना के 11,57,400 यूनिटों में धर्मस्व निधि<sup>1</sup> में से 1.94 करोड़ रु. का निवेश किया। यू.टी.आई. ने जून 1995 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यू.एस.-64 पर 2.60 रु. प्रति यूनिट का लाभांश घोषित किया। संस्थान ने दिसम्बर 1996 में उसके

<sup>1</sup> इसमें मानव मूल्य संस्थान प्रबंधन केन्द्र से संबंधित 56 लाख रु. शामिल हैं।

द्वारा रखे गए प्रत्येक दस यूनिटों के लिए एक बोनस यूनिट प्राप्त किया जिससे यूनिटों की कुल संख्या 12,73,140 तक पहुंच गई। यू.टी.आई. ने जून 1996 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभांश 2 रु. प्रति यूनिट तक घटा दिया तथा बाद के दो वर्षों के लिए उसी दर को बनाए रखा।

यू.टी.आई. ने जुलाई 1998 में घोषित किया कि यू.एस.-64 की रिजर्व राशियां उसके निवेशों में तीव्र मूल्यहास होने के कारण 1,098 करोड़ रु. की सीमा तक नकारात्मकता में परिवर्तित हो गई थी। इसके बाद जून 1999 को समाप्त होने वाले राजकोषीय वर्ष के पहले छः महीनों में 1,500 करोड़ रु. के यू.एस.-64 का परिशोधन किया गया। यू.टी.आई. ने जून 1999 को समाप्त वर्ष के लिए यू.एस.-64 पर लाभांश को कठोरता से 1.35 रु. प्रति यूनिट तक घटा दिया था। लेकिन योजना के निष्पादन में कमी के बावजूद संस्थान ने यू.एस.-64 में निवेश करना जारी रखा। यू.टी.आई. ने जून 2000 को समाप्त वर्ष के लिए यू.एस.-64 पर लाभांश 1.375 रु. प्रति यूनिट घोषित किया जो पिछले वर्ष से सीमान्त रूप से अधिक था लेकिन उसने अगले वर्ष पुनः लाभांश को 1 रु. प्रति यूनिट तक घटा दिया। यू.टी.आई. ने जुलाई 2001 में यू.एस.-64 की पुनः खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया तथा तत्पश्चात् कोई लाभांश घोषित नहीं किया। यू.टी.आई. ने मार्च 2003 में योजना को वर्तमान रूप में जून 2003 से समाप्त करने का अपना निर्णय सूचित किया। परिणामतः संस्थान ने यू.एस.-64 की 12,73,140 यूनिटों को मई 2003 में परिशोधन कर लिया तथा 1.94 करोड़ रु. के निवेश के विपरीत 1.28 करोड़ रु.<sup>2</sup> प्राप्त किए जिससे 66 लाख रु. की पूंजीगत हानि हुई।

लेखापरीक्षा ने यह पाया कि यू.एस.-64 में निवेश पर संस्थान की प्रभावी आय में जून 1995 को समाप्त हुए वर्ष के लिए 16.09 प्रतिशत से जून 1999 को समाप्त हुए वर्ष के लिए 8.35 प्रतिशत तक गिरावट आई। इसकी तुलना में 1998-99 के दौरान अन्य निवेशों पर आय की औसत दर 12.5 प्रतिशत के आस-पास थी। यह भी देखा गया था कि संस्थान ने जुलाई 2000 में आई.सी.आई.सी.आई बांड में 12 प्रतिशत ब्याज की दर पर निवेश किए थे। तथापि धर्मस्व निधि प्रबन्धन समिति (ध.नि.प्र.स.) ने यू.एस.-64 में अवरोही प्राप्तियों के मामले पर विचार नहीं किया था तथा संस्थान ने योजना में बिना किसी औचित्य के मई 2003 तक अपना निवेश करना जारी रखा।

इस प्रकार संस्थान की यू.एस.-64 में गिरती प्रवृत्ति का मूल्यांकन करने तथा योजना में उसके निवेश के परिशोधन के संबंध में समय पर कार्यवाही करने में विफलता के परिणामस्वरूप 66 लाख रु. की पूंजीगत परिहार्य हानि हुई।

<sup>2</sup> इसमें 7.60 लाख रु. मूल्य के बांड शामिल हैं।

मंत्रालय ने सितम्बर 2004 में बताया कि यू.एस.-64 की वसूली की आशा में निवेश को मई 2003 तक जारी रखा गया था।

तथापि, संस्थान इस संबंध में ध.नि.प्र.स. का कोई संकल्प प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके अतिरिक्त ध.नि.प्र.स. ने किसी भी स्तर पर यू.एस.-64 के गिरते हुए कार्यनिष्पादन पर विचार नहीं किया था। इस प्रकार, संस्थान ने केवल चूक से योजना में निवेश करना जारी रखा।

### भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान

#### 11.5 गलत वेतन निर्धारण के कारण अधिक भुगतान

वेतन निर्धारण के आदेशों के अपनिर्वाचन के परिणामस्वरूप भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों द्वारा मार्च 2004 तक 479 सहायक प्रोफेसरों को 2.44 करोड़ रु. का अधिक भुगतान किया गया। संस्थानों ने मंत्रालय के आदेशों के बावजूद अधिक भुगतान की राशि वसूल नहीं की।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (संस्थान)<sup>3</sup> के संकाय और वैज्ञानिक/डिजाइन स्टाफ के वेतनमानों में संशोधन के लिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा फरवरी 1999 में जारी किए गए आदेशों में प्रावधान था कि 3700-125-4950-150-5700 रु. के संशोधन पूर्व वेतनमान में सहायक प्रोफेसर जिन्होंने 1 जनवरी 1996 को इस वेतनक्रम में पांच वर्ष पूरे कर लिए थे, का वेतन, केन्द्रीय सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) अधिनियम, 1997 के निबन्धन में 12000-420-18300 रु. के संशोधित वेतनमान में प्रारम्भिक रूप से निर्धारित किया जाए और यदि 1 जनवरी 1996 को इस प्रकार निर्धारित किया गया वेतन, 14940 रु. की स्टेज से कम हो, तो इसे 14940 रु. तक स्टेप-अप किया जाए। तत्पश्चात् मंत्रालय ने मार्च 2001 के अपने पत्र में स्पष्ट किया कि सहायक प्रोफेसरों का वेतन जिन्होंने 1 जनवरी 1996 को इस वेतनक्रम में सेवा के पांच वर्ष पूरे नहीं किए थे उनकी सेवा के पांच वर्ष पूरे हो जाने पर, उनका वेतन 14940 रु. के स्टेज पर स्टेप अप किया जाना था, यदि के.सि.से. (सं.वे.) नियमावली 1997 के अनुबन्धों में अन्य प्रकार से ग्राह्य वेतन 14940 रु. की स्टेज से कम था। इसी प्रकार सहायक प्रोफेसर जो, पूर्व संशोधित वेतनमान में, चाहे पहली बार अथवा स्थानान्तरण अथवा पदोन्नति से 1 जनवरी 1996 के बाद नियुक्त हुए थे, का वेतनमान प्रारम्भ में संशोधित वेतनमान में निर्धारित किया जा सकता था और उन्हें पांच वर्ष के

<sup>3</sup> भा.प्रौ.सं. दिल्ली, भा.प्रौ.सं. गुवाहाटी, भा.प्रौ.सं. कानपुर, भा.प्रौ.सं. खड़गपुर, भा.प्रौ.सं. मद्रास, भा.प्रौ.सं. बम्बई

पूरा होने पर 14940 रु. की स्टेज पर स्टेप-अप किया जा सकता था, यदि वेतन संशोधित वेतनमान में अन्य प्रकार से ग्राह्य वेतन 14940 रु. के स्टेज से कम था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि संस्थानों ने उन सहायक प्रोफेसरों जिन्होंने 1 जनवरी 1996 तक वेतनक्रम में पांच वर्ष पूरे नहीं किए थे अथवा 1 जनवरी 1996 के बाद नियुक्त हुए थे, के वेतन का निर्धारण करने के अनुबन्ध का अपनिर्वचन किया। के.सि.से.(सं.वे.) नियमावली 1997 के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार, उनका वेतन प्रारम्भिक रूप से निर्धारित करने और पांच वर्ष पूरे होने पर अन्तिम रूप से 14940 रु. की स्टेज यदि वेतन इस स्टेज से कम था तक स्टेप-अप करने के बजाय वेतन पांच वर्ष पूरा होने की भावी तिथि पर पहले 14940 रु. के स्टेज पर निर्धारित किया गया था और बाद में वर्तमान तिथि पर वेतन का पता लगाने के लिए अभिप्रायात्मक रूप से घटाया गया था। वेतन निर्धारण की इस त्रुटिपूर्ण प्रणाली के परिणामस्वरूप 1996 -2004 की अवधि के दौरान 479 सहायक प्रोफेसरों को उनके परिलामों में 2.44 करोड़ रु. का अनभिप्रेत लाभ हुआ जैसा कि नीचे विवरण में दिया गया है:

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	संस्थान का नाम	सहायक प्रोफेसरों की संख्या	वसूल किए जाने वाले अधिक भुगतान की राशि	आवृत्त अवधि
1.	भा.प्रौ.सं.दिल्ली	71	39.94	01.01.96 से 31.3.2004
2.	भा.प्रौ.सं. गुवाहाटी	41	22.92	01.01.96 से 31.3.2004
3.	भा.प्रौ.सं.कानपुर	59	37.43	01.01.96 से 31.3.2004
4.	भा.प्रौ.सं.खड़गपुर	137	62.82	01.01.96 से 31.3.2004
5.	भा.प्रौ.सं.मद्रास	101	47.57	01.01.96 से 31.3.2004
6.	भा.प्रौ.सं.बम्बई	70	33.02	01.01.96 से 31.3.2004
	<b>जोड़</b>	<b>479</b>	<b>243.70</b>	

भा.प्रौ.सं. दिल्ली ने बताया (सितम्बर 2004) कि इस प्रकार वेतन निर्धारण का निर्णय सभी भा.प्रौ.सं. ने उनके निदेशकों के बीच इस चर्चा के बाद कि जबकि भा.प्रौ.सं. निकाय में ऐसी नियुक्ति के लिए पी.एच.डी. न्यूनतम योग्यता थी, तथा विश्वविद्यालय निकाय में कोई व्यक्ति पी.एच.डी. की डिग्री धारण किए बिना सेवारम्भ कर सकता है, किया गया था। विश्वविद्यालय निकाय में भी, किसी व्यक्ति के पी.एच.डी. प्राप्त करने पर दो अतिरिक्त वेतनवृद्धि दी गई थी। भा.प्रौ.सं. दिल्ली ने यह भी तर्क दिया कि सभी भा.प्रौ.सं. ने मंत्रालय के अनुदेशों की उपयुक्तता पर एकरूपता की नीति अपनायी थी और इसने शासी मंडल का अनुमोदन भी प्राप्त किया था। इसने आगे बताया कि

भा.प्रौ.सं. के शासी मंडल/निदेशक ने अवलोकित किया (अप्रैल 2004) कि उपरोक्त कारणों के लिए इस स्टेज पर कोई वसूली करना कठिन होगा। भा.प्रौ.सं. बम्बई ने भी इसी प्रकार उत्तर दिया (अक्टूबर 2003) और आगे बताया कि भा.प्रौ.सं. के निदेशकों ने निर्णय लिया कि इस स्टेज पर वसूली वाछनीय नहीं है क्योंकि यह युवा प्राध्यापक वर्ग के लिए गलत संकेत होगा और परिणामतः अच्छे प्राध्यापक-वर्ग को बनाए रखने में कठिनाइयां होंगी। भा.प्रौ.सं. कानपुर ने बताया (सितम्बर 2003) कि वेतन, मंत्रालयों के परिपत्रों और शासी मंडल के निर्णयों के अनुसार निर्धारित किया गया था। भा.प्रौ.सं. का तर्क युक्तिसंगत नहीं है क्योंकि वेतन के निर्धारण के मामलों में संस्थान को सरकार के आदेशों का अनुसरण करना होता है। वे निर्वचन और योक्तितीकरण की जैसी पहले थी उसी तरह की विशेष सुविधा का उपयोग नहीं करते हैं। वेतन निर्धारण के नियम भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं और अनुदान ग्राही निकायों के रूप में संस्थानों को इन नियमों का पालन करना होता है। इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने, मार्च 2001 में पहले जारी किए गए स्पष्टीकरण की अनुरूपता में वेतन निर्धारित करने के लिए और राशि की वसूली करने के लिए अगस्त 2002 में संस्थानों को निर्देश दिया। तथापि, संस्थानों ने इन अनुदेशों की अवहेलना करते हुए, वसूली नहीं करने का निर्णय लिया। इसके परिणामस्वरूप 2.44 करोड़ रु. का अधिक भुगतान वसूली किए बिना पड़ा रहा।

मंत्रालय ने भा.प्रौ.सं. के उपरोक्त विचारों को पृष्ठांकित किया (अक्टूबर 2004)। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि यह वेतन निर्धारण के अपने आदेशों और वेतन पुनःनिर्धारण करने और अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली करने के लिए, भा.प्रौ.सं. को दिए गए अपने अनुदेशों का खण्डन करता है।

#### 11.6 बोनस का अनियमित भुगतान

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, बम्बई, मद्रास और रुड़की ने भारत सरकार के आदेशों का उल्लंघन करके अपात्र कर्मचारियों को 84.24 लाख रु. के बोनस का भुगतान किया।

भारत सरकार वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) ने केन्द्रीय सरकार के वर्ग ग और घ कर्मचारियों और वर्ग ख के सभी अराजपत्रित कर्मचारियों को जो किसी उत्पादक सम्बद्ध बोनस योजना के अंतर्गत नहीं आते थे, उन्हें लेखाकरण वर्ष 1996-97 से 30 दिन वेतन के सम तदर्थ बोनस की स्वीकृति (अक्टूबर 1997) प्रदान की थी। इन आदेशों का विस्तार सभी स्वायत्त निकाय में भी किया गया था। अक्टूबर 1999 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय की सहमति से केन्द्रीय विद्यालय संगठन और सभी अन्य स्वायत्त निकायों को स्पष्ट किया था कि चूंकि स्वायत्त निकाय में राजपत्रित

कर्मचारियों के रूप में कोई वर्गीकरण नहीं था, बोनस का भुगतान केवल उन वर्गों में किया जाये जो कि केन्द्र सरकार के समान वर्गों के साथ सभी प्रकार से तुलनीय था। मंत्रालय ने आगे स्पष्ट किया कि कर्मचारी जिनका वेतन 1640-2900 रु. (पूर्व संशोधित) वेतनमान जो संशोधित होकर 5500-9000 रु. हो गया था से अधिक था, तदर्थ बोनस के हकदार नहीं थे। सभी स्वायत्त निकायों से अनुरोध किया गया था कि वे उपरोक्त स्पष्टीकरण को ध्यान में रखकर बोनस का भुगतान करें और उन मामलों में वसूली की जाये जहाँ वर्ष 1996-97 और 1997-98 में अधिक भुगतान किया जा चुका था। मंत्रालय ने भा.प्रौ.सं. कानपुर के उल्लेख पर दोहराया (सितम्बर 2000) कि स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों जिसमें भा.प्रौ.सं. शामिल था जिनका वेतन पूर्व संशोधित वेतनमान 2000-3200 रु. और 2000-3500 रु. (वेतन के संशोधित वेतनमान 6500-10,500 रु.)में था वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आदेशों के आधार पर तदर्थ बोनस के हकदार नहीं थे।

लेखापरीक्षा ने पाया (अप्रैल 2004) कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (भा.प्रौ.सं.) दिल्ली के शासक-मंडल ने मार्च 2003 में 6500-10500 रु. और 7500-12000 रु. के वेतनमान में अपने कर्मचारियों को वर्ष 1999-2000 से 2002-03 की अवधि के लिए तदर्थ बोनस के भुगतान को अनुमोदित किया था। शासक-मंडल द्वारा दिया गया अनुमोदन भारत सरकार के आदेश का उल्लंघन था और परिणामस्वरूप वर्ष 1999-2003 में बोनस की 22.90 लाख रु. की राशि का अनियमित भुगतान हुआ। लेखापरीक्षा से आगे प्रकट हुआ कि वर्ष 1999-2000 एवं 2002-03 की अवधि के लिए भा.प्रौ.सं. मुम्बई, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास और रूड़की द्वारा इसी प्रकार क्रमशः 17.52 लाख रु., 9.14 लाख रु., 19.01 लाख रु., 10.81 लाख रु. एवं 4.86 लाख रु. का अनियमित भुगतान किया गया था। इस प्रकार इस पर कुल 84.24 लाख रु. का अनियमित भुगतान हुआ था।

प्रत्युत्तर में, भा.प्रौ.सं. दिल्ली ने बताया (अप्रैल 2004) कि 6500-10500/7500-12000 के वेतनमान में वर्ग ख के कर्मचारी बोनस प्राप्त करने के हकदार थे क्योंकि वे केवल अराजपत्रित पद के समकक्ष थे। मंत्रालय के विशिष्ट स्पष्टीकरण कि कर्मचारी जिनका आहरित वेतन 5500-9000 रु. के वेतनमान से अधिक था तदर्थ बोनस के हकदार नहीं थे, को ध्यान में रखते हुए, उत्तर तर्कसंगत नहीं है।

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2004) कि उसने अपने आन्तरिक वित्त प्रभाग के साथ मामले पर विचार विमर्श किया है और भा.प्रौ.सं. दिल्ली को आवश्यक वसूलियाँ करने के

लिए सूचित किया गया है। अन्य भा.प्रौ.सं. द्वारा किए गए अनियमित भुगतानों की भी वसूलियाँ की जाने की आवश्यकता है।

### भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई

#### 11.7 लाइसेंस शुल्क की कम वसूली

कर्मचारियों को आबंटित क्वार्टरों के लाइसेंस शुल्क की वसूली को संशोधित दरों से लागू न करने के कारण संस्थान को 29.16 लाख रु. की राजस्व हानि हुई।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बम्बई के शासी-मण्डल की 121वीं बैठक (मई 1989) में कैम्पस में निर्मित तथा उनके कर्मचारियों को आबंटित आवासीय इकाइयों के अधिभोगियों से लाइसेंस शुल्क की वसूली शहरी विकास मंत्रालय द्वारा परिचालित दरों पर किये जाने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार, संस्थान को भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित दरों पर शासी बोर्ड का अनुमोदन होने के पश्चात लाइसेंस शुल्क की वसूली करना अपेक्षित था। भारत सरकार द्वारा जुलाई 1990, जुलाई 1993, जुलाई 1996, जुलाई 1999 और अप्रैल 2001 में लाइसेंस शुल्क की दरों में संशोधन किया गया था।

लेखापरीक्षा ने यह पाया (नवम्बर 2003) कि संस्थान द्वारा लाइसेंस शुल्क के पहले किये गये संशोधनों को लागू किया गया था परन्तु जुलाई 1999 और अप्रैल 2001 में भारत सरकार द्वारा किये गये संशोधनों को लागू नहीं किया गया था। इस संशोधन को लागू न करने के कारण 29.16 लाख रु. (फरवरी 2004 तक) के लाइसेंस शुल्क की कम वसूली हुई।

प्रत्युत्तर में, संस्थान ने बताया (जनवरी और मई 2004) कि मंत्रालय से सूचना प्राप्त होने के अभाव में लाइसेंस शुल्क में संशोधन नहीं किया जा सका। संस्थान ने अगस्त 2004 में आगे उत्तर दिया कि भारत सरकार के आदेश के अनुसार मार्च 2004 से संशोधित लाइसेंस शुल्क की कटौती की जा रही थी और सितम्बर 2004 से बकाया लाइसेंस शुल्क की 24 मासिक किश्तों में कटौती की जायेगी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संस्थान को भारत सरकार के सभी सम्बन्धित आदेशों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए एक प्रक्रिया की व्यवस्था करनी चाहिए थी। आगे, संस्थान ने पिछली बार (जनवरी 1997) निजी प्रकाशन में छपे सरकारी आदेशों के आधार पर लाइसेंस शुल्क का संशोधन किया था।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2004) कि मामले की और जाँच की जायेगी और आवश्यक उपचारी कदम उठाए जायेंगे।

**भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर**

### **11.8 ठेकेदार को अनुचित लाभ**

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर ने पूर्व योग्यता प्राप्त निविदाकर्ता के न्यूनतम प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अनुदेश और के.लो.नि.वि. नियम - पुस्तक के उपबंधों के उल्लंघन में दूसरे ठेकेदार को कार्य सौंपा जिसके परिणामस्वरूप 51.08 लाख रु. का परिहार्य व्यय हुआ।

निविदा करने की प्रक्रिया में भ्रष्टाचार रोकने और पारदर्शी प्रभावी पद्धति को प्रारंभ करने को ध्यान में रखते हुए, नवम्बर 1998 में केन्द्रीय सतर्कता आयोग (के.स.आ.) ने न्यूनतम निविदाकर्ता के अतिरिक्त अन्य सभी से निविदोत्तर बातचीत पर प्रतिबन्ध लगा दिया था। यह प्रतिबंध के.लो.नि.वि. नियमपुस्तक (नियम-पुस्तक) में भी निर्धारित है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर (भा.प्रौ.सं.) ने 7.60 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर अपने कैम्पस में व्याख्यान हॉल परिसर के निर्माण के कार्य के लिए ठेकेदार का चयन करने के लिए पूर्व योग्यता सहित आवेदन आमंत्रित करने की फरवरी 1999 में एक प्रैस विज्ञप्ति जारी की। तेरह फर्माँ ने पूर्व योग्यता सहित आवेदन प्रस्तुत किए थे। पूर्व योग्यता सहित आवेदनों की जांच के बाद, मार्च 1999 में भा.प्रौ.सं. ने केवल चार फर्माँ को ही निविदा दस्तावेज जारी किए।

चार फर्माँ में से, एल एन्ड टी<sup>4</sup> ने 10.09 करोड़ रु. (अनुमानित लागत से 32.67 प्रतिशत अधिक) का उच्चतम मूल्य उद्धृत किया जबकि ई.पी.आई.एल.<sup>5</sup> ने 7.98 करोड़ रु. (अनुमानित लागत से 4.92 प्रतिशत अधिक) का न्यूनतम मूल्य उद्धृत किया।

भा.प्रौ.सं. ने ई.पी.आई.एल. - न्यूनतम निविदाकर्ता का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। उसने के.स.आ. के अनुदेशों और विशिष्ट नियम - पुस्तक उपबंध<sup>6</sup> के उल्लंघन में सभी चार निविदाकर्ताओं के साथ निविदोत्तर बातचीत की थी। बातचीत के पश्चात् एल एन्ड टी. ने 8.82 करोड़ रु. (अनुमानित लागत से 16 प्रतिशत अधिक) तक अपना मूल्य कम कर दिया परन्तु ई.पी.आई.एल. अपने पूर्व मूल्य में परिवर्तन किए बिना भी न्यूनतम निविदाकर्ता रहा।

<sup>4</sup> लारसन एन्ड टुबरो लिमिटेड

<sup>5</sup> इंजीनरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड

<sup>6</sup> के.लो.नि.वि. नियम - पुस्तक (खण्ड-II) का पैरा 18.16

इसके अतिरिक्त, भा.प्रौ.सं. ने ई.पी.आई.एल. को ठेका देने के बजाय चार निविदाकर्ताओं को निष्पादन का मूल्यांकन उनकी क्षमता, प्रतिस्पर्धता और विश्वसनीयता के आधार पर अंक देते हुए किया। विश्वसनीयता के अंतर्गत समय पर कार्य की समाप्ति एक कारण थी। तथापि, इस प्रकार की कोई प्रक्रिया नियम-पुस्तक में निर्धारित नहीं की है। मूल्यांकन करने पर, भा.प्रौ.सं. ने एल एन्ड टी को अधिकतम अंक दिये और उसको कार्य के लिए चुना।

अप्रैल 1999 में भा.प्रौ.सं. ने 24 माह के अन्दर कार्य पूरा हो जाने के लिए 8.82 करोड़ रु. का एल.एन्ड टी. को कार्य आदेश दिया। एल.एन्ड टी. ने जून 1999 में कार्य आरंभ कर दिया परन्तु निर्धारित समय में पूरा नहीं कर सका। भा.प्रौ.सं. ने अप्रैल 2003 तक समय बढ़ा दिया। कुछ मर्दों को हटाकर एवं परिवर्धन सहित, एल.एन्ड टी. ने 6.36 करोड़ रु. की लागत पर मार्च 2003 में निर्माण कार्य पूरा किया। इसमें कार्य की अतिरिक्त मर्दों की लागत के प्रति 59.41 लाख रु. शामिल थे।

नवम्बर 2003 में निपटान किए गए एल एन्ड टी. के अंतिम बिल का ई.पी.आई.एल. द्वारा उद्धृत मूल्य के साथ तुलनात्मक अध्ययन से पता चला कि भा.प्रौ.सं. ने कार्य की निर्धारित मर्दों पर 51.08 लाख रु. का अतिरिक्त व्यय किया।

इस प्रकार भा.प्रौ.सं. ने ई.पी.आई.एल. को जो पूर्व योग्यता सहित न्यूनतम निविदाकर्ता था, के बजाय एल.एन्ड टी. को, के.स.आ. अनुदेशों और नियम-पुस्तक प्रावधान के उल्लंघन में कार्य सौंपा और अनुचित पक्षपात किया जिसके फलस्वरूप 51.08 लाख रु. का परिहार्य व्यय हुआ। कार्य भी समय पर पूरा नहीं किया गया था।

भा.प्रौ.सं. ने अगस्त 2004 में बताया कि संस्थान में के.स.आ. के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा। उसने संस्थान में सभी सम्बन्धितों को भी केवल के.लो.नि.वि. के प्रतिमानों का पालन करने के अनुदेश जारी कर दिए हैं।

मामला मंत्रालय को जुलाई 2004 में भेजा गया, उसका उत्तर दिसम्बर 2004 तक प्रतीक्षित था।

**इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय**

**11.9 अपव्यय**

वास्तविक आवश्यकता से अत्यधिक अध्ययन सामग्री को मुद्रित करने के परिणामस्वरूप परिहार्य अधिशेष भण्डार के रूप में 58.20 लाख रु. का अपव्यय हुआ क्योंकि जिस पाठ्यक्रम के लिए सामग्री मुद्रित की गयी थी उसे बन्द कर दिया गया था जिससे सामग्री अप्रयोज्य हो गई।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इं.गा.रा.मु.वि.) इं.गा.रा.मु.वि. ने एक अकादमिक पाठ्यक्रम "कार्यालय प्रबन्धन में कम्प्यूटर डिप्लोमा" (डी.सी.ओ.) शुरू किया

जिसे 1991 से 1999 के दौरान 26837 छात्रों को पढ़ाया गया। यह पाठ्यक्रम जनवरी 2000 से बन्द कर दिया गया था।

पाठ्यक्रम को अध्ययन सामग्री की पुस्तिका के रूप में विभिन्न इकाइयों में विभाजित किया गया था। इं.गा.रा.मु.वि. ने भर्ती किए गए छात्रों की संख्या एवं छपाई के समय पर अपने पास उपलब्ध अध्ययन सामग्री भण्डार की मांग की स्थिति को ध्यान में नहीं रखा, जिसके परिणामस्वरूप एक बड़े भण्डार का अनावश्यक संचय हो गया। उदाहरणार्थ 1997 में डी.सी.ओ. कार्यक्रम के लिए 7935 छात्रों को दाखिला दिया गया था प्रत्येक छात्र को अध्ययन सामग्री की 18 पुस्तिकाएं दी जानी थीं। लेखापरीक्षा ने पाया कि आवश्यक 1,42,830 पुस्तिकाओं (7,935 छात्र x 18 पुस्तिकाएं) के विपरीत इं.गा.रा. मु.वि. ने प्रति इकाई के औसतन 50,000 प्रति छात्र की दर से 9,01,500 पुस्तिकाएं मुद्रित करवाईं।

जिसके फलस्वरूप 31 मार्च 2000 को इं.गा.रा.मु.वि. के भण्डार में 58.20 लाख रु. उत्पादन लागत मूल्य की 5,62,268 पाठ्यक्रम पुस्तिकाएं पड़ी थीं। उपकुलपति ने एक कमेटी गठित की (फरवरी 2001) जिससे सुझाव लिया जा सके कि पाठ्यक्रम बन्द होने से बेकार हुई अध्ययन सामग्री के संबंध में क्या कार्रवाई की जाए। कमेटी ने सुझाव दिया (दिसम्बर 2001) कि सामग्री को थोक रूप में केन्द्रीय विद्यालयों तथा नवोदय विद्यालयों को “जैसा है जहां पर है” के आधार पर उन्हें अपने सम्बद्ध विद्यालयों में बांटने के लिए दिया सकेगा अथवा इसे विश्वविद्यालय के सर्टीफिकेट इन कम्प्यूटिंग तथा अन्य कम्प्यूटर से सम्बन्धित कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री के रूप में उपलब्ध कराया जा सकेगा। कमेटी ने पाया कि पहला विकल्प लागत प्रभावशील था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि अभिलेखों में इस बात का उल्लेख नहीं था कि क्या सामग्री दोनों विद्यालयों को दी गई थी अथवा नहीं तथा उनकी क्या प्रतिक्रिया थी।

लेखापरीक्षा की अभ्युक्तियों के प्रत्युत्तर में इं.गा.रा.मु.वि. ने बताया (मई 2004) कि विश्वविद्यालय के मौजूदा नियम, विनियम तथा कार्यविधियों के अनुसार अप्रयुक्त डी.सी.ओ. सामग्री का निपटारा किया जाएगा। एक अन्य उत्तर में इं.गा.रा.मु.वि. ने बताया (जून 2004) कि राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों द्वारा उनकी सामग्री को उसी रूप में अपनाया जाता था, अतः अन्य विश्वविद्यालयों की मांग की प्रत्याशा में सामग्री की व्यवस्था की गई थी। इं.गा.रा.मु.वि. का उत्तर तथ्यों पर आधारित नहीं है क्योंकि 1997 की अन्तिम छपाई 9,01,500 प्रतियों में से उस वर्ष केवल 1,42,830 प्रतियां नये छात्रों को और 19,602 अन्य को जारी की गई थी।

इस प्रकार, वास्तविक आवश्यकता का मूल्यांकन किए बिना अध्ययन सामग्री की अधिक छपाई के परिणामस्वरूप अतिरिक्त भण्डार मूल्य 58.20 लाख रु. अधिक हो गया जिसे उप कुलपति द्वारा प्रारम्भ की गई प्रक्रिया के 3 वर्ष बीत जाने के बाद अभी भी निपटाया नहीं जा सका था।

मामला मंत्रालय को नवम्बर 2003 तथा पुनः सितम्बर 2004 में भेजा गया था; उनका उत्तर फरवरी 2005 तक प्रतीक्षित था।

### राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान

#### 11.10 ठेका देने में अनियमितताएँ

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा अरुने प्रत्यायित संस्थानों को पैकिंग, परिवहन एवं अध्ययन सामग्री के वितरण के लिए ठेका देने में हुई अनियमितताओं के परिणामस्वरूप ठेकेदार को अनुचित लाभ हुआ तथा 47 लाख रु. का अतिरिक्त व्यय हुआ।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान (संस्थान) संपूर्ण भारत में फैले अपने 2000 प्रत्यायित संस्थानों (प्र.सं.) के माध्यम से जुलाई/अगस्त माह में विभिन्न पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों को प्रवेश उपलब्ध करवाता है। विद्यार्थी इन प्र.सं.से अपनी अध्ययन सामग्री एकत्र करते हैं। अगस्त 2000 तक, संस्थान अध्ययन सामग्री की पैकिंग के लिए अनियत मजदूरों को कार्य पर लगाता था जिसके बाद किराए के परिवहन द्वारा सारे भारत के प्र.सं. को पैकेट भेजे जाते थे। अगस्त 2000 में, संस्थान ने देश को छः क्षेत्रों में विभाजित किया तथा विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित प्र.सं. को अध्ययन सामग्री की पैकिंग, परिवहन एवं वितरण के लिए निविदाएं आमंत्रित की थी। छः फर्मों में से न्यूनतम बोली लगाने वाले (मेसर्स बाम्बे साउथ फ्रेंट मूवर्स) के प्रस्तुत दरों को संस्थान ने इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया कि उसके पास अपना ट्रकों का फ्लीट नहीं था और संपूर्ण भारत में शाखाएं नहीं थी, जबकि इन दो शर्तों को निविदा दस्तावेजों में सम्मिलित नहीं किया गया था।

संस्थान ने तब शेष पांच निविदादाताओं से 13 सितम्बर 2000 तक अपने दरों को पुनः प्रस्तुत करने को कहा था। चार फर्मों ने उत्तर दिया और एक क्षेत्र को छोड़कर मेसर्स आर.एन. पालीप्लास्ट लिमिटेड की दर न्यूनतम थी। संस्थान की निविदा खोलने वाली समिति ने सितम्बर 2000 में मेसर्स आर.एन. पालीप्लास्ट लिमिटेड के परिसर में दौरा किया और बताया कि उनके पास उचित अवसंरचना थी और वह कार्य करने में सक्षम था। समिति ने इस फर्म से क्षेत्र-डी के लिए दर कम करने और न्यूनतम के साथ मिलाने को कहा। फर्म ने सितम्बर 2000 में अपने संशोधित दर प्रस्तुत किए जो स्वयं संस्थान

के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किए गए थे। मेसर्स आर.एन. पालीप्लास्ट लिमिटेड को प्रथमतः एक वर्ष के लिए सितम्बर 2000 में कार्य पंचाट किया गया था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि विभिन्न क्षेत्रों के लिए मेसर्स आर.एन. पालीप्लास्ट लिमिटेड द्वारा वारस्तविक रूप से प्रस्तुत दरों से मेसर्स बाम्बे साउथ फ्रेट मूवर्स की दरें 14 प्रतिशत से 39 प्रतिशत तक कम थीं। यह भी पाया गया कि उसके अपने ट्रकों का फ्लीट और संपूर्ण भारत में शाखाएँ होने की शर्त जिसके आधार पर मेसर्स बाम्बे साउथ फ्रेट मूवर्स की बोली को अस्वीकृत किया गया था, मेसर्स आर.एन. पालीप्लास्ट लिमिटेड द्वारा भी इसे पूरा नहीं किया गया था। अमान्य आधारों पर न्यूनतम बोली लगाने वाले (मेसर्स बाम्बे साउथ फ्रेट मूवर्स) की दरों को अस्वीकृत करने और मेसर्स आर.एन. पालीप्लास्ट लिमिटेड के साथ बातचीत करने की संस्थान की कार्रवाई अनियमित थी।

इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा ने यह पाया कि संस्थान ने वर्तमान निबंधन एवं शर्तों के आधार पर कि फर्म द्वारा उपलब्ध की गई सेवा संतोषजनक थी ठेके को दो बार मेसर्स आर.एन. पालीप्लास्ट लिमिटेड को क्रमशः जून 2001 और जून 2002 में वर्ष 2001-02 और 2002-03 के लिए बढ़ाया था। मार्च 2003 में संस्थान ने शैक्षणिक सत्र 2003-04 के लिए इसी कार्य के लिए नई निविदाएं आमंत्रित की थीं। कार्य मेसर्स ए.बी.सी. को सौंपा गया क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों के लिए पूर्व वर्षों के दौरान मेसर्स आर.एन. पालीप्लास्ट लिमिटेड द्वारा प्रभारित दरों की तुलना में 13 प्रतिशत से 34 प्रतिशत उसकी दरें कम थीं। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि वर्ष 2000-01 से 2002-03 के दौरान मेसर्स आर.एन. पालीप्लास्ट लिमिटेड द्वारा किए गए कार्य की दरों की तुलना में मेसर्स ए.बी.सी. की दरों को लागू करने से संस्थान ने 47.00 लाख रु. का अतिरिक्त व्यय किया था। इसके बावजूद, इस प्रकार के ज्यादा मूल्य वाले ठेके के लिए प्रतिस्पर्धी दरों को प्राप्त नहीं किया था। मेसर्स आर.एन. पालीप्लास्ट लिमिटेड को वर्ष 2000-01 के लिए 54.25 लाख रु., 2001-02 के लिए 69.79 लाख रु. और अनुवर्ती वर्ष 2002-03 के लिए 90.31 लाख रु. का भुगतान किया गया था। संस्थान ने संविदा को साधारणतया बढ़ा दिया। इससे आगे, लेखापरीक्षा में मामला इंगित किए जाने के बाद अप्रैल 2004 में संस्थान द्वारा शुरू की गई आंतरिक पृच्छाछ से यह स्पष्ट हो गया कि मेसर्स आर.एन. पालीप्लास्ट लिमिटेड को अनुचित लाभ पहुँचाया गया था।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि जबकि मार्च 2003 में आमंत्रित बोलियों के लिए निविदा दस्तावेजों में उल्लेख था कि अध्ययन सामग्री को 0.6 लाख पैकेटों में जूट/टाट बैगों में बांधा जाएगा, अगस्त 2000 में आमंत्रित निविदाओं में यह उल्लेख था कि सामग्री लगभग 10 लाख पैकेटों में जूट/टाट बैगों में बांधी जाएगी। लेखापरीक्षा ने पाया कि

अगस्त 2000 में अध्ययन सामग्री वास्तव में 0.40 लाख पैकेटों में बाँधी गई थी और न कि 10 लाख पैकेटों में जैसा कि निविदा दस्तावेजों में उल्लेख किया गया था। यदि कार्य की मात्रा का सही मूल्यांकन हुआ होता तो परिणामतः वर्ष 2000 में न्यूनतम बोलियाँ हो सकती थी।

प्रत्युत्तर में, संस्थान ने स्वीकार किया (मई 2004) कि निविदा शर्तों में अस्पष्टता थी और उसे सुस्पष्ट शब्दों में लिखा जाना चाहिए था। संस्थान ने उल्लेख किया (जुलाई 2004) कि पूछताछ रिपोर्ट में प्राप्त सुझावों के आधार पर, उसने निविदा दस्तावेजों में परिवर्तन किया था।

मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2004) कि आरोपित अनियमितताओं के संबंध में तथ्यों को जानने के लिए एक समिति का गठन किया गया है जिसने अभिलेखों की जाँच आरंभ कर दी है और जांच पूरी करने में कुछ और समय लगेगा। इसके बाद मंत्रालय ने सूचित किया (फरवरी 2005) कि समिति ने अनियमितताओं की पुष्टि की थी तथा जिम्मेदारी नियंत्रित करते हुए संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जा रही थी।

#### राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान

##### 11.11 निष्फल व्यय

माँग का अनुमान लगाये बिना राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान का 42 स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के अविवेकपूर्ण निर्णय के परिणामस्वरूप 24 अतिरिक्त क्वार्टरों के निर्माण में, जिनका पिछले छः वर्षों में कभी भी स्टाफ द्वारा अधिभोग नहीं किया गया, 1.60 करोड़ रु. का निष्फल व्यय हुआ था, इसके अतिरिक्त दो संगठनों से 16.17 लाख रु. किराया वसूल नहीं किया गया।

राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता (संस्थान)<sup>#</sup> के पास साल्ट लेक में छः विभिन्न प्रकार के 42 स्टाफ क्वार्टर हैं। क्वार्टरों का निर्माण मेकिन्टोश बर्न लिमिटेड द्वारा 3 करोड़ रु. की लागत पर किया गया था और ये अगस्त 1998 में संस्थान को सौंपे गये थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि संस्थान ने आवासीय स्थान के निर्माण का निर्णय लेते समय स्टाफ क्वार्टरों की माँग का कोई अनुमान नहीं लगाया। 42 क्वार्टरों में से, स्टाफ सदस्यों ने जनवरी 1999 से अगस्त 2004 की अवधि के दौरान अधिक से अधिक केवल

<sup>#</sup> पहले तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान के रूप में जाना जाता था।

11 क्वार्टर ही अधिकृत किए। शेष 31 क्वार्टरों की कोई माँग नहीं थी, जो कुल स्टाफ क्वार्टरों का 74 प्रतिशत है।

मई 1999 और अगस्त 2003 के बीच संस्थान ने कुछ अतिरिक्त क्वार्टरों को दो संगठनों\* को किराये पर दे दिया। संस्थान ने क्वार्टर के प्रकार और केन्द्रीय सरकार के लाइसेंस फीस मानदंडों के आधार पर 1,320 रु. से 6,720 रु. प्रति माह किराया प्रभारित किया था। संस्थान ने इन संगठनों से कोई भी औपचारिक समझौता नहीं किया। संगठनों की ओर से विद्युत प्रभार संस्थान द्वारा अदा किया गया था और बाद में प्रतिपूर्ति का दावा किया जाना था।

दोनों संगठनों ने किराये के भुगतान में चूक की। उन्होंने दिसम्बर 2002 और अगस्त 2003 में क्वार्टरों को खाली कर दिया। तथापि, संस्थान दोनों संगठनों से किराया, लाइसेंस शुल्क और विद्युत प्रभार के प्रति 16.17 लाख रु. वसूल करने में असफल रहा। प्राप्तियाँ अभी भी वसूल करनी बाकी हैं (नवम्बर 2004)।

चूँकि 31 क्वार्टर खाली पड़े हुये थे, नवम्बर 2003 में संस्थान ने छः क्वार्टरों को गैस्ट हाउसों में परिवर्तित कर दिया और एक क्वार्टर विद्युत कक्ष के रूप में उपयोग में लाया गया था। शेष 24 क्वार्टर जिनके निर्माण की समानुपाती लागत 1.60 करोड़ रु. निकाली गई है, नवम्बर 2004 तक खाली पड़े हैं।

इस प्रकार, माँग का अनुमान लगाये बिना संस्थान का 42 स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के अविवेकपूर्ण निर्णय के परिणामस्वरूप 24 अतिरिक्त क्वार्टरों के निर्माण पर 1.60 करोड़ रु. का निष्फल व्यय हुआ। इन क्वार्टरों का स्टाफ सदस्यों द्वारा पिछले 6 वर्षों में अधिभोग भी नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, 16.17 लाख रु. का किराया भी वसूल नहीं किया गया।

संस्थान ने सितम्बर 2004 में बताया कि क्वार्टरों का निर्माण इस आशा से किया गया था कि रिक्तियाँ भर ली जायेंगी।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि क्वार्टरों का निर्माण माँग का निर्धारण किए बिना किया गया था।

मामला मंत्रालय को अगस्त 2004 में भेजा गया था, उनका उत्तर दिसम्बर 2004 तक प्रतीक्षित था।

---

\* पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय विश्वविद्यालय न्यायिक विज्ञान और शैक्षिक परामर्शदाता इंडिया लिमिटेड, कोलकाता।

## राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान

### 11.12 निधियों को अधिक जारी करना

मंत्रालय के निर्णय का उल्लंघन करके डेकन कालेज, पुणे को जारी वार्षिक अनुदान में से 20.19 लाख रु. की राशि की बिक्री की आय को समायोजित नहीं किया गया था इसके कारण निधियाँ अधिक जारी की गईं।

डेकन कालेज, पुणे, एक सम विश्वविद्यालय, ऐतिहासिक सिद्धान्तों का एक संस्कृत शब्दकोष तैयार करने के लिए संघ सरकार से 1948 से, वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहा था। मई 1990 में भारत सरकार (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) ने निर्णय लिया कि शब्दकोष की बिक्री प्राप्तियों/प्राप्त अनुदान से बचते, डेकन कालेज द्वारा सावधि जमा में जमा नहीं की जाएगी जैसा कि अप्रैल 1990 में, इनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था बल्कि इन्हें आगामी अनुदानों से समायोजित किया जाएगा। जुलाई 1991 में, मंत्रालय ने परियोजना को राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (रा.सं.सं.) के नियंत्रणाधीन अंतरित कर दिया तथा डेकन कालेज को जारी करने के लिए निधियां उनके प्रबन्धन में सौंप दी।

लेखापरीक्षा ने पाया (अक्टूबर 2003) कि रा.सं.सं. डेकन कालेज को शब्दकोश की बिक्री से आय की प्राप्ति के समायोजन के बिना निधियों को जारी कर रहा था। इस प्रकार मंत्रालय के निर्णय का उल्लंघन करके मार्च 2003 तक 20.19 लाख रु. राशि की निधियां जारी की गई थी।

प्रत्युत्तर में, रा.सं.सं. ने तथ्यों को स्वीकार किया (अक्टूबर 2003) तथा बताया कि राशि को 2003-04 के अनुदानों से समायोजित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने डेकन कालेज को निधियों को जारी करने की पुष्टि की (जनवरी 2004) और वर्ष 2003-04 के लिए अनुदान से अधिक जारी की गई निधियों को समायोजित करने की रा.सं.सं. की बचनबद्धता को भी पृष्ठांकित किया। तदनन्तर, लेखापरीक्षा टिप्पणियों के जवाब में, रा.सं.सं. ने सूचित किया (जुलाई 2004) कि बिक्री से प्राप्त राशि 21.83 लाख रु. थी, जिसमें से उसने वर्ष 2003-04 के लिए अनुदान से 15.95 लाख रु. समायोजित किया था और शेष राशि को वर्ष 2004-05 के दौरान समायोजित किया जायेगा। रा.सं.सं. ने दिसम्बर 2004 में सूचित किया कि शेष राशि को वर्ष 2004-05 के अनुदान से समायोजित कर दिया गया था।

## अध्याय XII : सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

### प्रसार भारती (दूरदर्शन)

#### 12.1 स्रोत पर कर की कटौती में विफलता के कारण अतिरिक्त व्यय

अधिनिर्णय का पालन करते समय दूरदर्शन की ओर से शेष आयकर का भुगतान करने में विफलता के कारण आयकर प्राधिकारियों द्वारा 4.43 करोड़ रु.की राशि के जुर्माने और ब्याज का उद्ग्रहण किया गया।

मई 1994 में दूरदर्शन (दू.द.) ने वर्ल्ड टैल के साथ 16.06 करोड़ रु. के बराबर 47.50 लाख अमरीकी डॉलर (समस्त करों का निवल) की लाइसेंस फीस पर भारत में विल्स विश्व कप क्रिकेट 1996 के मैचों के एकमात्र सीधे प्रसारण के लिए एक समझौता ज्ञापन (स.ज्ञा.) पर हस्ताक्षर किया। लाइसेंस फीस का भुगतान चार किस्तों में किया जाना था। दो किस्तों के भुगतान के बाद दोनों पार्टियों के बीच तीसरी किस्त के भुगतान की तिथि को लेकर विवाद हुआ और वर्ल्ड टैल ने स.ज्ञा. को एक पक्षीय रूप से रद्द कर दिया। दूरदर्शन ने दिल्ली उच्च न्यायालय (नवम्बर 1995) में मामला दायर किया। न्यायालय ने वर्ल्ड टैल को उसकी प्राप्त राशि को जमा करने और दूरदर्शन को वर्ल्ड टैल को देय शेष राशि को जमा कराने का निर्देश दिया (जनवरी 1996)। तदनुसार वर्ल्ड टैल ने 28.50 लाख अमरीकी डॉलर और दूरदर्शन ने 712.31 लाख रु. यूको बैंक (बैंक) में जमा किये। उसके बाद न्यायालय ने मामले को एक अकेले मध्यस्थ के पास भेज दिया (फरवरी 1996) जिसने दूरदर्शन को एक माह के भीतर वर्ल्ड टैल को 7 मिलियन अमरीकी डॉलर (29.75 करोड़ रु.) देने का अधिनिर्णय दिया (6 जनवरी 1998)। न्यायालय ने प्रोद्भूत ब्याज सहित बैंक में जमा राशियों को भुगतान के प्रति समायोजित किया जाना अनुमत किया। दूरदर्शन ने अधिनिर्णय के विरुद्ध अपील की (फरवरी 1999) परन्तु बाद में इसे वापस ले लिया। न्यायालय ने मामले को वापस लेने की अनुमति दी (नवम्बर 1999) और इस सीमा तक अधिनिर्णय में संशोधन किया कि 6 दिसम्बर 1998 से बैंक द्वारा जमा राशियों इत्यादि के लिए भेजी गई सूचना की तिथि तक जमा राशियों पर प्रोद्भूत ब्याज भी दूरदर्शन द्वारा वर्ल्ड टैल को देय होगा। इन अधिनिर्णयों का पालन करते हुए, बैंक ने दूरदर्शन से जमा में अन्तर (6.50 करोड़ रु.) और प्रोद्भूत ब्याज प्राप्त करने के बाद जनवरी 2000 में दो किस्तों में वर्ल्ड टैल को 31.27 करोड़ रु. प्रेषित किये।

लेखापरीक्षा ने पाया कि दूरदर्शन ने 5 फरवरी 1998 को 31.27 करोड़ रु. के सम्पूर्ण भुगतान में से केवल 16.06 करोड़ रु. पर देय आयकर जमा किया था। दूरदर्शन द्वारा.

15.21 करोड़ रु. की शेष राशि पर आयकर की कटौती करने में विफलता के कारण आयकर विभाग द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 195 के अंतर्गत 15.21 करोड़ रु. पर देय कर के बराबर 2.28 करोड़ रु. का जुर्माना करने के अतिरिक्त अधिनियम की अन्य धाराओं के अंतर्गत 2.15 करोड़ रु. का ब्याज और जुर्माना भी उद्ग्रहित किया गया।

इस प्रकार, अधिनिर्णय की अनुपालना में, दूरदर्शन द्वारा शेष आयकर का भुगतान करने में अपनी विफलता के कारण 4.43 करोड़ रु. (2.28 करोड़ रु.+2.15 करोड़ रु.) का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए प्रसार भारती ने बताया (दिसम्बर 2003) कि उनके द्वारा अदा किये गये जुर्माने और ब्याज दण्ड की कुल राशि 3.39 करोड़ रु. थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि 3.39 करोड़ रु. (जुर्माना और ब्याज) के अलावा, आयकर प्राधिकारियों द्वारा प्रसार भारती के बैंकर (भारतीय स्टेट बैंक) से 8 फरवरी 2000 को 80.06 लाख रु. की प्रत्यक्ष रूप से वसूली की गई थी और दूरदर्शन ने 15 जनवरी 2001 को 0.24 करोड़ रु. भी जमा किये थे जिससे कटौती की कुल राशि 4.43 करोड़ रु. हुई।

मामला मंत्रालय को दिसम्बर 2003 में भेजा गया था, उनका उत्तर फरवरी 2005 तक प्रतीक्षित है।

### 12.2 परिहार्य ब्याज का भुगतान

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को प्रसारण अधिकार फीस की भुगतान हेतु किशतों की समझौते पर अदायगी का मालन न किए जाने के परिणामस्वरूप 1.42 करोड़ रु. के ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ।

प्रसार भारती (प्र.भा.) ने 1 अक्टूबर 1999 से 30 सितम्बर 2004 तक पाँच वर्ष की अवधि के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (भा.क्रि.क.बो.) से क्रिकेट के टी.वी. प्रसारण के अधिकारों को उपाजित किया, जिसके लिए इन्होंने 46 करोड़ रु. प्रति वर्ष के भुगतान के लिए सहमति दी। सितम्बर 1999 में प्र.भा. तथा भा.क्रि.क.बो. के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। समझौते की धारा 12.3 के अनुसार प्र.भा. को प्रतिवर्ष तीन किशतों में भा.क्रि.क.बो. को करार की गई राशि का भुगतान करना था। पहले वर्ष में समझौते की तिथि से 30 दिन के अन्तराल में राशि का 50 प्रतिशत, प्रथम दौरा अथवा खेल प्रतियोगिता के शुरू होने के मौके से आठ सप्ताह पूर्व 25 प्रतिशत, तथा 25 प्रतिशत राशि का भुगतान अन्तिम दौरा अथवा नियत खेल प्रतियोगिता के अन्तिम दिन करना था। बाद के वर्षों में राशि का 50 प्रतिशत भुगतान प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को होना

था तथा दूसरी एवं तीसरी किश्त का भुगतान प्रथम वर्ष की भांति ही होना था। किसी किश्त का भुगतान नहीं करने की दशा में, उस किश्त की राशि पर भा.क्रि.क.बो. प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत ब्याज की दर का हकदार था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि प्र.भा. ने निर्धारित किश्तों का भुगतान करने का पालन नहीं किया तथा आठ मामलों में 1 दिन से 116 दिनों की देरी के बाद किश्तों का भुगतान हुआ। फलस्वरूप, किश्तों की राशि के प्रक्रियात्मक विलम्ब तथा उनकी समय से अदायगी न करने के कारण 1999-2000 से 2002-03 की अवधि के दौरान प्र.भा. को मई 2004 में भा.क्रि.क.बो. को ब्याज के 1.42 करोड़ रु. देने पड़े, जिनका विवरण नीचे दर्शाया गया है:-

(करोड़ रु. में)

अवधि	देय किश्तों का विवरण			किश्तों के भुगतान की तिथि	भुगतान करने में देरी (दिनों में)	देरी होने से राशि पर 15 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान
	किश्त संख्या	राशि	दिनांक			
1999-00	पहली (क)	3.00	25.10.1999	18.11.1999	24	0.03
	(ख)	20.00	18.11.1999	17.12.1999	29	0.23
	तीसरी	11.50	19.03.2000	02.05.2000	44	0.20
2000-01	पहली	23.00	01.10.2000	18.10.2000	17	0.16
	दूसरी	11.50	23.09.2000	17.01.2001	116	0.54
2001-02	तीसरी	11.50	19.03.2002	03.04.2002	15	0.07
2002-03	दूसरी	11.50	14.08.2002	23.09.2002	40	0.19
	तीसरी	11.50	24.11.2002	25.11.2002	1	0.00
<b>जोड़</b>						<b>1.42</b>

प्रत्युत्तर में प्र.भा. ने 1.42 करोड़ रु. ब्याज के भुगतान की पुष्टि की (नवम्बर 2004)। इस प्रकार, प्र.भा. में वित्तीय योजना एवं नियंत्रण की कमी के परिणामस्वरूप 1.42 करोड़ रु. के ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ।

मामला मंत्रालय को सितम्बर 2004 में भेजा गया था, उनका उत्तर फरवरी 2005 तक प्रतीक्षित था।

### आकाशवाणी, रामपुर

#### 12.3 परिहार्य व्यय

रामपुर में बन्द पड़े आकाशवाणी के अभिग्राही केन्द्र भवन का निपटान न करने के कारण 26.51 लाख रु. का परिहार्य व्यय हुआ।

आकाशवाणी (ए.आई.आर.) रामपुर के लिए एक अभिग्राही केन्द्र (अ.के.) की स्थापना वर्ष 1965 के दौरान हुई थी। रेडियो के अभिग्रहण और प्रसारण में नई प्रौद्योगिकी की शुरुआत के कारण अ.के. को जून 1994 में बन्द कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने स्टेशन इंजीनियर (स्टे.इं.), ए.आई.आर., रामपुर के अभिलेखों में पाया (मार्च 2004) कि अ.के. बन्द करते समय सभी तकनीकी संस्थापन विखण्डित करके स्थानान्तरित कर दिए गए थे परन्तु भवन और भूमि का निपटारा नहीं किया गया था। खाली पड़े अ.के. भवन पर ए.आई.आर. ने बन्द होने की तिथि से मार्च 2004 तक 26.51 लाख रु. (सुरक्षा : 22.19 लाख रु., बिजली : 4.32 लाख रु.) का व्यय किया था। अ.के. के बन्द होने के पाँच साल बाद स्टे.इं. द्वारा महानिदेशक (म.नि.), ए.आई.आर., नई दिल्ली को प्रस्ताव भेजा गया था (अगस्त 1999) कि या तो स्थल को दूरदर्शन अनुसंधान केन्द्र (दू.अ.के.) रामपुर को स्थानांतरित किया जाये जोकि किराये के भवन में कार्य कर रहा था अथवा इसे किसी केन्द्रीय/राज्य (अर्ध सरकारी) विभाग को किराये पर दिया जाये। तथापि अगस्त 2004 तक कोई निर्णय नहीं लिया गया था। उसी दौरान दू.अ.के., रामपुर ने किराये के भवन में कार्य करने पर जुलाई 1994 से जुलाई 2004 तक 5.54 लाख रु. किराये का भुगतान किया था।

प्रत्युत्तर में, स्टे.इं ने बताया (मार्च 2004) कि इस मामले में म.नि. के साथ पत्राचार किया जा रहा था। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि 10 वर्षों से अधिक बीत जाने पर भी परिहार्य आवर्ती व्यय को रोकने के लिए कोई सार्थक कार्रवाई नहीं की गई थी।

इस प्रकार अ.के. भवन के निपटान/स्थानान्तरित करने में कार्यवाही न करने के कारण मार्च 2004 तक 26.51 लाख रु. का परिहार्य व्यय हुआ जो समय के साथ और भी बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त, उसी संगठन के यूनिट दू.अ.के. को भवन स्थानांतरित करने के लिये समय पर निर्णय लिये जाने से कार्यालय भवन के किराये के भुगतान के कारण 5.54 लाख रु. बचाये जा सकते थे।

मामला मंत्रालय को सितम्बर 2004 में भेजा गया था, उनका उत्तर दिसम्बर 2004 तक प्रतीक्षित था।

#### 12.4 एजेन्सी कमीशन की अग्राह्य अनुमति

प्रसार भारती ने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को समझौते की शर्तों के विरुद्ध व्यय की एक मद अनियमित रूप से अनुमत की जिसके परिणामस्वरूप 22.68 लाख रु. की कम वसूली हुई।

प्रसार भारती (प्र.भा.) ने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (रा.फि.वि.नि.) के साथ दूरदर्शन-I चैनल पर जून 2001 से मई 2002 के दौरान क्रमशः हर शुक्रवार और शनिवार को 9.30 अपराह्न और 10.30 अपराह्न में हिन्दी फीचर फिल्मों के प्रसारण को उपलब्ध कराने के लिए, दो समझौते किये (मई 2001)। समझौते को दिसम्बर 2002 तक समय-समय पर बढ़ाया गया था और उसके बाद रा.फि.वि.नि. को बिना किसी औपचारिक समझौते के उन्हीं शर्तों के अन्तर्गत सितम्बर 2003 तक फिल्मों को उपलब्ध कराना अनुमत किया गया था। समझौते के अनुसार, रा.फि.वि.नि. को क्रमशः हर शुक्रवार और शनिवार को फिल्मों के प्रसारण के लिए प्र.भा. को कम से कम गारंटी राशि के रूप में क्रमशः 81 लाख रु. और 21.50 लाख रु. प्रति फिल्म देने थे। प्र.भा. को रा.फि.वि.नि.

को विपणन अधिकार की अनुमति देनी थी जिसमें निर्धारित दरों पर निःशुल्क वाणिज्यिक समय और अतिरिक्त वाणिज्यिक समय<sup>1</sup> शामिल था। इसके अतिरिक्त प्र.भा. को रा.फि.वि.नि. से हर फिल्म की ब्रांडिंग<sup>2</sup> के लिए 72,000 रु. लेने थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि प्र.भा. ने रा.फि.वि.नि. को 72,000 रु. ब्रांडिंग खर्चों पर 15 प्रतिशत एजेन्सी कमीशन की दर से (10,800 रु.) अनियमित रूप से छूट दी थी। रा.फि.वि.नि. के साथ प्रारम्भिक समझौते में रा.फि.वि.नि. को व्यय की इस मद का प्रावधान नहीं दिया गया था। जून 2001 और सितम्बर 2003 के बीच कुल 210 फिल्मों प्रसारित हुईं और व्यय की इस मद के लिए अनुमति देने से प्र.भा. को वास्तविक रूप में वसूली योग्य राशि से 22.68 लाख रु. कम प्राप्त हुये।

उत्तर में प्र.भा. ने स्वीकार किया (जुलाई 2004) कि ब्रांडिंग व्यय संशोधित किये जा रहे थे और बकाया रा.फि.वि.नि. के विरुद्ध जोड़े जा रहे थे। नवम्बर 2004 में इसने पुष्टि की कि बकायों को रा.फि.वि.नि. के विरुद्ध जोड़ा गया था लेकिन वे अभी तक वसूल किए जाने थे। मंत्रालय ने प्र.भा. के उत्तर को पृष्ठांकित किया और बताया (दिसम्बर 2004) कि प्र.भा. द्वारा आवश्यक सुधारात्मक उपाय किये गये थे। तथापि, ब्रांडिंग चार्ज के बकाया अभी वसूल किये जाने हैं।

<sup>1</sup> अतिरिक्त वाणिज्यिक समय, फिल्म का विपणन करने वाली एक एजेन्सी द्वारा खरीदा जाता है।

<sup>2</sup> पन्चलाइन का उपयोग

## अध्याय XIII : जहाजरानी मंत्रालय- पत्तन खण्ड

### चेन्नई पत्तन न्यास

#### 13.1 जलयान से सम्बन्धित प्रभारों का कम संग्रहण

जलयान से सम्बन्धित प्रभारों के उद्ग्रहण के लिए घटाए गए सकल टनभार के अनियमित अभिग्रहण के परिणामस्वरूप 4.58 करोड़ रु. की कम वसूली हुई। 3.25 करोड़ रु. की राशि, लेखापरीक्षा के कहने पर वसूल की गई।

चेन्नई पत्तन न्यास (चे.प.न्या.) पर लागू 'दरों के मापदण्ड' में अपेक्षित था कि जलयान से सम्बन्धित प्रभार (पत्तन देय, संचालन शुल्क और गोदी किराया प्रभार) जलयानों के सकल पंजीकृत टनभार (स.पं.ट.) के आधार पर उद्ग्रहित किए जाएंगे। महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 में किए गए एक संशोधन से नवगठित महापत्तन शुल्क प्राधिकरण<sup>1</sup> (म.प.शु.प्रा.) अप्रैल 1997 से दरों के मापदण्ड में किसी भी संशोधन का अनुमोदन करने के लिए उत्तरदायी था।

नवम्बर 1993 में, अन्तर्राष्ट्रीय समुद्रीय संगठन (अं.स.सं.) ने एक प्रस्ताव स्वीकार किया जिसमें (क) तेल प्रदूषण के जोखिम को कम करने के लिए अलग किए गए बालास्ट टैंकों सहित तेल टैंकों के प्रयोग को प्रोत्साहन देने की तुरन्त आवश्यकता पर बल देने और (ख) घटाए गए सकल टनभार<sup>2</sup> (घ.स.ट.) पर आधारित उन तेल टैंकों से सम्बन्धित टनभार आधारित शुल्कों की अनुशंसा करना शामिल था। इस पर आधारित महानिदेशक जहाजरानी (म.नि.ज.) ने अपने परिपत्र दिनांक 6 अगस्त 1999 में चेन्नई पत्तन न्यास को शामिल करते हुए, सभी सम्बन्धित न्यासों को सलाह दी कि इस प्रकार के जलयानों के अन्तर्राष्ट्रीय टनभार प्रमाणपत्र में अपने घ.स.ट. को भी दर्शाना चाहिए और इसका उपयोग टनभार आधारित शुल्क के परिकलन के लिए किया जाना चाहिए।

अप्रैल 2000 में, पारादीप पत्तन न्यास के प्रस्ताव के आधार पर म.प.शु.प्रा. ने सभी महापत्तनों को घ.स.ट. के संदर्भ में 'पत्तन देयों' का उद्ग्रहण करने के लिए दरों के अपने मापदण्ड में उपयुक्त परिवर्तनों को लागू करने के लिए निदेश दिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि म.प.शु.प्रा. का अनुमोदन प्राप्त करने से पहले भी सभी जलयान सम्बन्धित प्रभारों का उद्ग्रहण करने के लिए घ.स.ट. को आधार के रूप में, चे.प.न्या.

<sup>1</sup> अलग किये गये जल बालास्ट की दुलाई के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त टैंकों के कुल टनभार की जी.आर.टी. से घटाकर परिकलित किया गया था।

द्वारा अपनाया गया था (अगस्त 1999)। इस प्रकार, चे.प.न्या. ने संचालन शुल्क और गोदी किराया प्रभारों को शामिल करने के लिए छूट की गुंजाइश अनुचित रूप से प्रस्तुत की। इसके अतिरिक्त, ये छूटें गलत तिथि से लागू की गई थीं। लेखापरीक्षा आपत्ति (फरवरी 2002) के प्रत्युत्तर में अध्यक्ष, चे.प.न्या. ने बताया (अप्रैल 2002) कि भारत अं.स.सं. के संकल्प का एक हस्ताक्षरकर्ता था, इसलिए अं.स.सं. के संकल्प का और म.नि.ज. के निदेशों का पालन करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। तथापि, लेखापरीक्षा ने उल्लेख किया कि पत्तन न्यास ने जुलाई 2002 से संचालन शुल्क और गोदी किराया प्रभारों का संग्रहण करने के लिए घ.स.ट. का उपयोग बन्द कर दिया था। तदनन्तर, अक्टूबर 2002 में म.प.शु.प्रा. ने सभी मुख्य पत्तनों के विचारों को प्राप्त करने के बाद आदेश दिया कि अलग किए गए बालास्ट सहित तेल टैकरों के घ.स.ट. केवल पत्तन प्राप्यों का उद्ग्रहण करने के उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाना जारी रहेगा। चूंकि अधिनियम के प्रावधान अधिग्रहण से पहले दरों के मापदण्ड में किसी भी परिवर्तन के लिए म.प.शु.प्रा. के अनुमोदन का स्पष्ट रूप से अनुबद्ध करते हैं, अतः अध्यक्ष का दावा तर्कसंगत नहीं है (अप्रैल 2004)।

इन अनियमितताओं के सम्मिलित प्रभाव से अगस्त 1999 से जुलाई 2002 की अवधि के लिए 4.58 करोड़ रु. की कम वसूली हुई।

चेन्नई पत्तन न्यास ने उत्तर दिया (नवम्बर 2003 और जून 2004) कि 3.25 करोड़ रु. की वसूली कर ली गई थी और शेष 1.33 करोड़ रु. में से 1.25 करोड़ रु. सम्बन्धित पार्टियों द्वारा उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर लेने के कारण लम्बित थे।

मामला मंत्रालय को अगस्त 2004 में भेजा गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 2004 तक प्रतीक्षित था।

### **कोलकाता पत्तन न्यास**

#### **13.2 निष्फल व्यय**

**जलपोत, जिसका उपयोगी जीवन काल समाप्त हो चुका था, की मरम्मत के लिए पत्तन न्यास के दोषपूर्ण निर्णय के कारण 5.83 करोड़ रु. का निष्फल व्यय हुआ।**

आर.एस.वी.त्रिवेणी, कोलकाता पत्तन न्यास का एक नदी सर्वेक्षण जलपोत 1.10 करोड़ रु. की लागत पर 1965 में निर्मित किया गया था। इसको वार्षिक सर्वेक्षण मरम्मत के लिए जनवरी 1998 में भेजा गया था। चूंकि जलपोत ने 1995 में अपना आर्थिक सेवा

काल पहले ही समाप्त कर लिया था, मार्च 1998 में हुई बोर्ड की बैठक में आर.एस.वी. त्रिवेणी को एक बड़े जलयान से बदलने का निर्णय लिया गया था।

तथापि, जून 1998 में पत्तन न्यास ने यह महसूस किया कि जब तक नया सर्वेक्षण जलयान/नौका अधिप्राप्त हो तब तक आर.एस.वी. त्रिवेणी की सेवाएँ, कम दूरी तय किए जाने वाले सर्वे प्रचालनों के उपयोग में लाई जा सकती थीं और जलयान को कम से कम संभव समय में मरम्मत करने का निर्णय लिया। पत्तन न्यास ने अनुमान लगाया कि सर्वेक्षण मरम्मत के उपरान्त, जलपोत एक वर्ष के लिए कार्य करेगा।

हुगली गोदी तथा पत्तन इंजीनियर लिमिटेड, (हु.गो.प.इं.) को नवम्बर 1998 में, 1.24 करोड़ रु. की कुल लागत पर, मरम्मत कार्य दिया गया था। कार्य, आदेश प्रस्तुत करने की तिथि से, या सूखी गोदी में जलपोत के स्थापन से, जो भी बाद में था, से निर्धारित 120 दिनों में पूर्ण किया जाना था। यद्यपि, कार्य आदेश नवम्बर 1998 में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन अन्य जलपोतों की प्राथमिकताओं के कारण जलपोत को सूखी गोदी में वास्तविक रूप से जून 1999 में ही उतारा जा सका था। तथापि, सूखी गोदी में जलपोत की तिथि से 180 दिनों में भी हु.गो.प.इं. जलपोत की मरम्मत करने में असफल रहा और दिसम्बर 1999 में दूसरे जलपोत को जगह देने के लिए जलपोत को दोबारा सूखी गोदी से बाहर निकाला गया था। फरवरी 2000 में जलपोत को एकबार फिर सूखी गोदी में उतारा गया और मरम्मत के उपरान्त इसे दिसम्बर 2000 में चालू किया गया था। हु.गो.प.इं. द्वारा किए गए कार्य का कुल मूल्य 97.28 लाख रु. था। पत्तन न्यास ने कार्य के समापन में विलम्ब के लिए फर्म पर 9.73 लाख रु. का निर्णीत हर्जाना लगाया।

चालू करने के उपरान्त, विभिन्न तकनीकी समस्याओं के कारण, जलपोत केवल 14 दिनों के लिए अप्रैल 2002 तक ही कार्य कर सका। अप्रचालन अवधि के दौरान, आर.एस.वी. त्रिवेणी की सर्वेक्षण प्रतिबद्धताएँ, पत्तन न्यास द्वारा अगस्त तथा नवम्बर 1999 में दो अधिप्राप्त नौकाओं तथा समुद्री विभाग के अन्य प्रचालन मुद्दों के अन्य किराए के नौकाओं द्वारा पूर्ण की गयी थी। इसी बीच, एक सर्वेक्षण जलपोत, एम.वी. सरोजनी की भी सुपुर्दगी अप्रैल 2001 में की गयी थी। इस प्रकार आर.एस.वी. त्रिवेणी जो अनुरक्षण और प्रचालन के लिए खर्चीला था, अपेक्षाओं के अनुसार फालतू बन गया तथा निदेशक, समुद्री विभाग ने (दिसम्बर 2001) इसका निपटान प्रस्तावित किया। पत्तन न्यास ने अन्तिम रूप से जलपोत को अप्रैल 2002 में अनुपयोगी घोषित किया।

जलपोत का सितम्बर 2003 में 79.50 लाख रु. के लिए निपटान किया गया था। इसी बीच, पत्तन न्यास ने फरवरी 1998 से मई 2002 तक वेतन, मजदूरी तथा अन्य

आनुषंगिक प्रभारों, जलपोत का मरम्मत मूल्य शामिल करते हुए, के प्रति आर.एस.वी. त्रिबेणी के कर्मिदल सदस्यों पर 5.83 करोड़ रु. का व्यय वहन किया था। वहनित व्यय से कोई ठोस लाभ नहीं हुआ क्योंकि जलपोत की मरम्मत के उपरान्त, संभावित एक वर्ष की सेवा काल के बजाय केवल 14 दिनों तक ही इसका उपयोग किया जा सका था। आगे जिस अवधि के दौरान यह प्रचालन में नहीं था उस अवधि के लिए अन्य जलपोतों द्वारा सर्वेक्षण अपेक्षाएं पूर्ण की गयी थीं। इस प्रकार, पत्तन न्यास का आर.एस.वी. त्रिबेणी, जिसका अपनी उपयोगी जीवन काल से अधिक समय तक उपयोग हो चुका था, का मरम्मत करने का निर्णय अविवेकपूर्ण था।

पत्तन न्यास ने बताया (सितम्बर 2004) कि जलयान कर्मिदल सदस्यों का, अन्य जलयानों/ नौकाओं/समुद्री विभाग के अन्य सर्वेक्षण स्टेशनों पर, जहाज के रखरखाव की ड्यूटी पर लगाए गए अपूर्ण स्टाफ को छोड़कर, लाभकारी उपयोग किया गया था, इस प्रकार वहनित व्यय निष्फल नहीं था। यह उत्तर तर्कसंगत नहीं है चूंकि पत्तन न्यास ऐसे कर्मिदल सदस्यों की उपयोगिता के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य या प्रशासनिक आदेश प्रस्तुत नहीं कर सका था।

मामला मंत्रालय को जुलाई 2004 में भेजा गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 2004 तक प्रतीक्षित था।

### **मॉरमुगाव पत्तन न्यास**

#### **13.3 क्रेन चालकों के वेतन एवं भत्ते का निष्फल व्यय**

**अनावश्यक स्टाफ के पुनर्नियोजन में विलम्ब के कारण 99.83 लाख रु. का निष्फल व्यय हुआ था।**

मॉरमुगाव पत्तन न्यास (मॉ.प.न्या.) द्वारा पाँच जहाज-घाट क्रेन अनुपयोगी घोषित कर दी गई थी और अक्टूबर 1997 में निपटान के लिए प्रस्तुत की गई थी। लेखापरीक्षा ने पाया (अगस्त 2003) कि यद्यपि क्रेनें कार्य नहीं कर रही थीं, फिर भी क्रेन चालकों को पुनर्नियोजन करने के पर्याप्त प्रयास नहीं किये गये थे, जो बिना किसी लाभदायक कार्य के वेतन एवं भत्ते का आहरण कर रहे थे। 20 अतिरिक्त क्रेन चालकों में से 15 बाद में सेवा-निवृत्त हो गये थे और लेखापरीक्षा टिप्पणी के फलस्वरूप शेष पाँच को अप्रैल 2004 में वर्कशाप में तैनात कर दिया गया था। 1998-99 से 2003-04 की अवधि के दौरान अतिरिक्त क्रेन ड्राइवर्स को दी गई व्यर्थ मजदूरी पर 99.83 लाख रु. का व्यय हुआ था।

पत्तन न्यास ने व्यर्थ मजदूरी के भुगतान को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया (जुलाई 2004) कि क्रेन चालकों की सेवाओं का व्यावहारिक समस्याओं के कारण कहीं और उपयोग नहीं किया जा सकता था और क्योंकि वे योग्यता के मापदण्ड को पूरा नहीं करते थे, वे अन्य पदों पर तैनात नहीं किये जा सकते थे।

इस प्रकार, अनावश्यक स्टाफ की सेवाओं को पुनर्नियोजन करने के लिए समय पर कार्रवाई न करने के कारण पत्तन द्वारा पाँच वर्षों में 99.83 लाख रु. की व्यर्थ मजदूरी का निष्फल व्यय किया गया था।

मामला मंत्रालय को नवम्बर 2004 में भेजा गया था; उसका उत्तर दिसम्बर 2004 तक प्रतीक्षित था।

**मुम्बई पत्तन न्यास**

**13.4 प्रतिधारण राशि को समय से पूर्व जारी करके ठेकेदार को ब्याज का अनुचित लाभ प्रदान करना।**

परियोजन के समापन के लिए ठेकेदार को संविदा शर्तों में छूट देकर, द्वितीय सहायता उपलब्ध कराकर तथा देय तिथि से पूर्व 3.29 करोड़ रु. की प्रतिधारण राशि जारी करके पत्तन ने, ठेकेदार को अनुचित लाभ प्रदान किया। लेखापरीक्षा के कहने पर ब्याज की दर 15% की गई थी परन्तु कर दर पर की गई थी। ब्याज की दर 15% की राशि 1.24 करोड़ रु. थी तथा ब्याज की निम्नतर दर पर वसूली के कारण 15.45 लाख रु. की राशि का अनुचित लाभ हुआ।

मैसर्स अफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (अफकॉन्स) को 32 महीनों की अवधि में समापन सहित, 144.44 करोड़ रु. की लागत पर सरकारी अनुमोदन से, सितम्बर 2000 में जवाहर द्वीप समुद्री तेल टर्मिनल की तीन गोदियों के आधुनिकीकरण के लिए ठेका दिया था। संविदा में, अभिगम ट्रेसली के समापन तथा पाइप लाईन बिछाने (मील पत्थर सं.1) जेट्टी शीर्ष के विध्वंस और पुनर्निर्माण, पाइप लगाने तथा जेट्टी शीर्ष जे3, जे2, जे1 (मीलपत्थर 2, 3 एवं 4) में अग्निशमन सुविधाएँ आदि समाविष्ट थे।

संविदा में ठेकेदारों के अंतरिम बिलों से संबंधित मुद्राओं में देय राशि की 10 प्रतिशत प्रतिधारण राशि की कटौती का प्रावधान था। यह प्रतिधारण राशि दो किशतों में, आधी "अधीनीकरण" प्रमाण पत्र जारी करने के उपरान्त तथा शेष त्रुटि देयता अवधि की समाप्ति के उपरान्त, जारी की जानी थी।

ठेकेदारों के बिलों से जुलाई 2002 तक की अवधि के लिए वसूल की गयी कुल प्रतिधारण राशि 6.59 करोड़ रु. थी। कार्य की प्रगति धीमी थी। इसके लिए ठेकेदार ने नकद समस्याओं को उत्तरदायी ठहराया (अगस्त 2002) और पत्तन से, निधियां प्राप्त करने के लिए, परियोजना को समय पर समापन के आश्वासन सहित, बगैर किसी शर्त की बैंक गारंटी के प्रति, अवरोधन राशि जारी करने का अनुरोध किया। परियोजना के समापन में किसी भी विलम्ब से बचने के लिए पत्तन 50 प्रतिशत अवरोधन राशि को तुरन्त जारी करने तथा शेष को बैंक गारंटी के प्रति, तीन जेटीज (जे.3) में से एक का निर्माण और क्रियाशील होने के उपरान्त जारी करने के लिए सहमत हो गया (अक्टूबर 2002)। पत्तन ने अनुवर्ती अंतरिम बिलों से प्रतिधारण राशि की कटौती न करने तथा इसके एवज में बैंक गारंटी स्वीकार करने का भी निर्णय लिया। तदनुसार प्रतिधारण राशि का 50 प्रतिशत अर्थात् 3.29 करोड़ रु.<sup>1</sup> की राशि जारी की गयी थी (नवम्बर 2002)। संविदा की शर्तों में रियायत देने से पूर्व न्यासी संकल्प की अनुपालना में पत्तन ने सरकार से कोई अनुमोदन प्राप्त नहीं किया।

लेखापरीक्षा ने पाया (जनवरी 2003) कि देय तिथियों से पूर्व प्रतिधारण राशि का जारी किया जाना/कटौती न करने का पत्तन का निर्णय संविदा के प्रावधानों के प्रतिकूल था और उसके कारण जारी की गयी प्रतिधारण राशि पर ब्याज की संभाव्यता के रूप में ठेकेदार को अनुचित लाभ हुआ। वित्तीय सहायता के बावजूद ठेकेदार परियोजना को निर्धारित तिथि पर पूर्ण करने में असफल रहा जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

मील पत्थर	समापन	
	नियत तिथि	वास्तविक तिथि
मील पत्थर-1	15-01-2002	31-03-2003
मील पत्थर-2	15-07-2002	12-08-2003
मील पत्थर-3	15-12-2002	08-05-2004
मील पत्थर-4	15-06-2003	कार्य प्रगति पर है (नवम्बर 2004)

पत्तन ने तदनन्तर देय तिथियों से आगे, प्रतिधारण राशि को और आगे जारी न करने का निर्णय लिया (जून 2003)। ठेकेदार को समय से पूर्व जारी की गई राशि को तीन किशतों में वापस करने या जारी करने की तिथि से 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के भुगतान पर राशि रखने का विकल्प दिया था। ठेकेदार ने ब्याज का भुगतान करके राशि रखने का विकल्प चुना (दिसम्बर 2003)। तदनुसार पत्तन द्वारा, ठेकेदार के बिलों से

<sup>1</sup> प्रतिधारण राशि और वर्तमान मूल्य को छोड़ने की तिथि से डॉलर के मूल्य का अभिप्राय, अमरीकी डॉलर का 46.30 रु. की दर के परिवर्तन पर आधारित था।

नवम्बर 2002 से सितम्बर 2004 की अवधि के लिए ब्याज की 1.24 करोड़ रु. की राशि वसूल की गयी थी।

प्रतिधारण राशि का जल्दी जारी किया जाना विभाग द्वारा यह कहते हुए न्यायोचित ठहराया गया था (जुलाई 2004), कि निर्धारित समय में शेष कार्य के समापन के उद्देश्य को लेकर यह किया गया था क्योंकि परियोजना के समापन में किसी विलम्ब का पत्तन के कार्यकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव होता। यह भी कहा गया था कि राशि का जारी किया जाना निर्माण कार्य की प्रगति में सुधार के लिए सहायक सिद्ध हुआ था।

पत्तन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रतिधारण राशि का जारी किया जाना संविदा के प्रावधानों के अनुकूल नहीं था जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को अनुचित वित्तीय लाभ की प्राप्ति हुई। चूँकि बोली आमंत्रित करते समय, समय-पूर्व निधियों को जारी किए जाने के इस प्रावधान की जानकारी नहीं थी, संभवतः इसके कारण अन्य बोलीकर्ता नहीं थे और बेहतर प्रतियोगी दरें प्राप्त करने की संभावना समाप्त हो गई थी। इसके विपरीत, संविदा के दौरान निम्नतम बोली देने वाले को दी गयी अधिमान्य अभिक्रिया से पत्तन को कोई मूल्य लाभ प्राप्त नहीं हुआ चूँकि पत्तन के निर्णय के समय बैंक द्वारा प्रभारित बैंक की औसत ब्याज दर 11.25 प्रतिशत थी (जून 2003) जबकि पत्तन ने 10 प्रतिशत की दर से ब्याज का उद्ग्रहण किया जिसके कारण नवम्बर 2004 तक 15.45 लाख रु. का अवकलन हुआ। इसके अतिरिक्त, राशि जल्दी जारी करने का प्रयोजन व्यर्थ साबित हुआ क्योंकि ठेकेदार ने समय पर कार्य पूर्ण नहीं किया। इन तीन जेटियों में से एक (जे 1) जेटी का शेष कार्य, जून 2003 की मूल निर्धारित तिथि के लगभग 18 माह के उपरान्त दिसम्बर 2004 में पूर्ण किया जाना संभावित है।

मामला मंत्रालय को अगस्त 2004 में भेजा गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 2004 तक प्रतीक्षित था।

#### पारादीप पत्तन न्यास

#### 13.5 राजस्व की हानि

पत्तन उपभोक्ताओं से, बिखरे हुए माल को हटाने पर हुए व्यय की वसूली में विफलता के कारण पारादीप पत्तन न्यास को 86.49 लाख रु. के राजस्व की हानि हुई।

पारादीप पत्तन न्यास (पा.प.न्या.) के 1966 के नियम एवं विनियम के नियम 28 के अनुसार किसी जलयान में माल लादने एवं उतारने में लगे हुए, यदि किसी व्यक्ति अथवा किसी जलयान का कमांडर या मालिक अथवा जहाजीकुली को किसी जलयान

पोतघाट अथवा जहाजीघाट से बन्दरगाह के पानी में किसी माल को उतारने के लिए अनुमति देता है, तो उसे कथित माल को हटाने के लिए तुरन्त कार्यवाही करनी होगी। नियम 29 आगे यह भी वर्णित करता है कि यदि ऐसे व्यक्ति माल को हटाने में असफल रहते हैं, तो उप-संरक्षक को इसे हटाना चाहिए और इस प्रकार हटाए गए माल पर किये गए कोई भी व्यय, सम्बन्धित व्यक्तियों से, किसी अन्य जुर्माने जिनके लिए वे उत्तरदायी होंगे, का पूर्वाग्रह किए बगैर वसूल किये जायेंगे। इस नियम में यह सिद्धान्त अन्तर्निहित है कि प्रदूषणकर्ता को ही भुगतान करना चाहिए। यह एक मूलभूत सिद्धान्त है जो कि पर्यावरण पर बने अन्तर्राष्ट्रीय कानून को नियंत्रित करता है।

लेखापरीक्षा ने पाया (मई 2003) कि समुद्री विभाग ने फरवरी 2002 और मार्च 2003 के बीच पा.प.न्या. में गोदी के फलक पर बिखरे हुए माल को हटाने के लिए ग्रैब निकर्षण का उत्तरदायित्व लिया था। 34,596 मीट्रिक टन (मी.ट.) के बिखरे हुए माल का निकर्षण किया गया था जिसमें मुख्यतः थर्मल कोयला और कोकिंग कोयला अंतर्विष्ट था। निकर्षण पर 86.49 लाख रु. का व्यय हुआ था। तथापि पा.प.न्या. दोषी पत्तन उपयोगकर्ताओं से इस राशि को वसूल करने में विफल रहा परिणामतः 86.49 लाख रु. की राजस्व हानि हुई।

उत्तर में पा.प.न्या. ने माना (जुलाई 2003) कि किसी पत्तन उपयोगकर्ता/जहाजी कुली को बंदरगाह जल में माल बिखरने का जिम्मेदार पाये जाने पर उन्हें दण्डित किया जाना चाहिए।

तथापि, पा.प.न्या. ने बताया कि निम्नलिखित कारणों से गोदी के फलक पर किये गये निकर्षण पर हुए खर्च की राशि की वसूली नहीं की जा सकी:

- (i) प्रदूषक अभिज्ञेय नहीं थे;
- (ii) गोदी के फलक के निकर्षण पर हुआ व्यय, पत्तन न्यास के कुल निकर्षण व्यय का एक भाग था; और
- (iii) निकर्षित सामग्री का वर्तमान ढेर पिछले 10 वर्षों से एकत्रित सामग्री थी और विभिन्न उपयोगकर्ताओं के बीच निकर्षण की लागत को बाँटना मुश्किल था।

पा.प.न्या. का उत्तर स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि एकत्रित मात्रा फरवरी 2002 से मार्च 2003 की अवधि से सम्बन्धित थी। पा.प.न्या. के अन्य तर्क भी तर्कसंगत नहीं हैं क्योंकि जुलाई 2002 में, उप-संरक्षक द्वारा जून 2002 तक एकत्रित 18338.8 मी.ट. के बिखरे माल की लागत की वसूली जहाजी कुलियों से करने का प्रस्ताव किया था।

प्रभार को पिछले वर्ष में उनके द्वारा निपटाई गई माल की मात्रा के आधार पर बाँटने का प्रस्ताव था। इस प्रस्ताव में जहाजी कुली की पहचान करने के बारे में किसी कठिनाई का उल्लेख नहीं किया गया था। पा.प.न्या. के अध्यक्ष ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी (जुलाई 2002)। तथापि, जून 2002 तक बिखरे हुए 18338.8 मी.ट. माल अथवा उसके बाद मार्च 2003 तक बिखरे हुए 16257.2 मी.ट. माल की अतिरिक्त मात्रा को हटाने की कोई वसूली नहीं की गई थी।

मामला मंत्रालय को अगस्त 2004 में भेजा गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 2004 तक प्रतीक्षित था।

## अध्याय XIV : लघु उद्योग और कृषि ग्रामीण उद्योग मंत्रालय

### खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग

#### 14.1 ब्याज उपदान का परिहार्य अधिक भुगतान

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने ब्याज उपदान योजना के प्रावधान में संशोधन करने की अपनी विफलता के कारण एक प्रत्यक्ष रूप से सहायता प्राप्त संस्थान द्वारा बैंक से प्राप्त किए वित्त के लिए 1.03 करोड़ रु. के अतिरिक्त ब्याज उपदान का भुगतान किया।

भारत सरकार ने खादी एवं ग्रामोद्योग कार्यक्रम की सांस्थानिक वित्त व्यवस्था हेतु एक व्यापक ब्याज उपदान योजना (योजना) का अनुमोदन किया (मई 1977)। योजना के अंतर्गत, ब्याज उपदान कुछ वित्तीय संस्थानों से उगाही गई निधियों से निर्धारित संस्थाओं\* को दिया जाना था।

योजना के अनुसार, आयोग ने स्थायी वित्त समिति द्वारा अनुमोदित बैंक-वित्त की सीमाओं के संदर्भ में ब्याज उपदान पात्रता प्रमाणपत्र जारी किए। तत्पश्चात इन संस्थाओं ने वित्त की आवश्यकता के लिए बैंकों से बातचीत की। ब्याज उपदान की प्रमात्रा ब्याज की वास्तविक दर से चार प्रतिशत घटाकर सीमित होनी थी। चार प्रतिशत घटक उधारकर्ता द्वारा दिया जाना था।

भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज-दरों की नियम-व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जिनमें इन कर्जों पर लागू होने योग्य ब्याज की दरें भी समाविष्ट थीं। वाणिज्यिक बैंकों की उधार देने की दरें अक्टूबर 1994 से अविनियमित की गई थी जिससे बैंकों को पात्र उधारकर्ताओं को वास्तविक उधार देने की दरों में भिन्नता लाने की अनुमति मिली। इस प्रकार उधारकर्ता प्रतियोगी दरों पर मोल भाव करने की स्थिति में थे। तथापि, प्रतियोगी दरों पर बातचीत करने के लिए उधारकर्ताओं को प्रोत्साहन देने या ऐसी दरें प्राप्त करने में विफलता के लिए प्रोत्साहन न देने के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा योजना में कोई तदनुसूची परिवर्तन नहीं किए गए थे।

लेखापरीक्षा ने पाया (दिसम्बर 2003) कि आयोग ने श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ को ब्याज उपदान पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया था जिसने इस संस्था को 1998-

\* खा.ग्रा.उ. आ. उसकी सहायताप्राप्त एजेन्सियां, राज्य/संघ शासित क्षेत्र, खा.ग्रा.उ.आ.बोर्डों तथा खादी और ग्रामोद्योग क्रियाकलापों में कार्यरत उसकी सहायता प्राप्त एजेन्सियां

99 तथा 1999-2000 के दौरान 5.90 करोड़ रु. तथा 2000-01 से 2003-04 की अवधि के दौरान तीन बैंकों से ब्याज की भिन्न-भिन्न दरों पर 7.90 करोड़ रु. के बैंक-वित्त प्राप्त करने की अनुमति दी।

तीन बैंकों नामतः बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया तथा देना बैंक द्वारा अप्रैल 2002 से मार्च 2004 की अवधि के लिए प्रभारित दरें, संबंधित बैंकों द्वारा नियत उधार देने की मुख्य दरों से क्रमशः 0.5 प्रतिशत से 2 प्रतिशत, 1.36 प्रतिशत से 2.6 प्रतिशत, 3.06 प्रतिशत से 4 प्रतिशत तक अधिक थी। इस प्रकार, आयोग को 2002-03 तथा 2003-04 की अवधि के लिए 38.70 लाख रु. की अधिक ब्याज देयता सहन करनी पड़ी थी। इसके अतिरिक्त, ब्याज दरों में औसत अन्तर को ध्यान में रखते हुए 1998-99 से 2001-02 की अवधि के लिए ब्याज उपदान का अधिक भुगतान लगभग 64.47 लाख रु. परिकलित किया गया। इस प्रकार, आयोग की अविनियमित ब्याज दर व्यवस्था का योजना के साथ सही मेल होने में विफलता के परिणामस्वरूप केवल एक संस्थान को दिए गए बैंक वित्त के कारण मार्च 2004 तक की अवधि के लिए 1.03 करोड़ रु. राशि के ब्याज उपदान का अधिक भुगतान किया गया।

मामला मंत्रालय को सितम्बर 2004 में भेजा गया था, उसका उत्तर दिसम्बर 2004 तक प्रतीक्षित था।

#### 14.2 लाइसेंस फीस में संशोधन न करने के कारण हानि

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा मुम्बई स्थित 274 स्टाफ क्वार्टरों के सम्बन्ध में लाइसेंस शुल्क और सेवा प्रभारों में संशोधन की विफलता के कारण 20.60 लाख रु. की हानि हुई।

मूल नियम 45 ए IV (सी)(ii) में अनुबद्ध है कि मासिक लाइसेंस शुल्क की समान दर की वसूली निर्माण के मूल्य और प्लिनथ क्षेत्र और कर्मचारियों को आबंटित आवास की श्रेणी के आवास क्षेत्र पर आधारित था बशर्ते कि किसी अधिकारी से प्राप्त राशि उसके मासिक परिलब्धियों के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। आगे एस.आर. 324 के प्रावधान के अनुसार लाइसेंस शुल्क को पिछले परिकलन की तिथि से पांच वर्षों या तीन वर्षों, जैसा भी मामला हो, की समाप्ति पर पुनः परिकलित किया जाना होता है।

खा.ग्रा.उ.आ., वेतन और भत्ते और अन्य प्रशासनिक मामलों के लिए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को लागू नियमों और विनियमों का पालन करता है। आयोग के पास मुम्बई में विभिन्न स्थानों पर पात्र कर्मचारियों को आबंटित किए गए 274 क्वार्टर हैं जिनके लिए लाइसेंस शुल्क की वसूली की गई है। लेखापरीक्षा ने पाया कि खा.ग्रा.उ.आ. के

स्टाफ क्वार्टरों के लाइसेंस शुल्क में अगस्त 1994 से संशोधन नहीं किया गया था। इस अवधि के दौरान स्टाफ और अधिकारियों के वेतनमान, वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संशोधित किये गये थे, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लाइसेंस शुल्क में भी जुलाई 1996, जुलाई 1999 और अप्रैल 2001 में संशोधन किया गया था। लाइसेंस शुल्क में संशोधन न होने के कारण, खा.ग्रा.उ.आ. को जुलाई 1996 से मार्च 2004 की अवधि के दौरान 8.38 लाख रु. (लगभग) की हानि हुई।

इसके अतिरिक्त, खा.ग्रा.उ.आ. द्वारा अलग से जल प्रभार की वसूली नहीं की गई थी परन्तु आबंटितियों से क्वार्टरों के प्रकार के संदर्भ में अक्टूबर 1986 से जल प्रभार की नियत दर के स्थान पर सेवा प्रभार एकत्रित किया गया था।

लेखापरीक्षा ने आगे अभिनिश्चित किया कि सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकरण (ब्रिहान, मुम्बई नगर निगम) द्वारा जल प्रभारों की दरों में नियमित रूप से संशोधन किया गया था। तथापि, खा.ग्रा.उ.आ. सेवा प्रभारों में अनुरूप संशोधन करने में विफल रहा था। इसके परिणामस्वरूप, खा.ग्रा.उ.आ. द्वारा फरवरी 2002 से सितम्बर 2004 की अवधि के लिए मुम्बई स्थित स्टाफ क्वार्टरों के लिए 13.51 लाख रु. की राशि के जल प्रभारों का भुगतान किया गया था जबकि केवल 1.29 लाख रु. के सेवा प्रभारों की वसूली हुई थी। इस प्रकार खा.ग्रा.उ.आ. द्वारा अपने बजट स्रोतों से 12.22 लाख रु. वहन किये गये थे।

प्रत्युत्तर, में खा.ग्रा.उ.आ. ने बताया (मई 2004) कि लाइसेंस शुल्क में संशोधन से सम्बन्धित सरकारी परिपत्रों की प्राप्ति न होने के कारण उनमें संशोधन नहीं किया गया था और लाइसेंस शुल्क में अब अप्रैल 2004 से संशोधन कर दिया गया था। खा.ग्रा.उ.आ. ने यह भी बताया कि वह उच्च स्तर समिति के गठन द्वारा जल प्रभार के मामले की समीक्षा के सभी संभव प्रयास कर रहा था।

तथापि, खा.ग्रा.उ.आ. का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि नियमों में स्पष्ट अनुबद्ध है कि निर्धारित अवधि के बाद लाइसेंस शुल्क का पुनः परिकलन करने का प्रावधान है। इसके अलावा आयोग को भारत सरकार या मंत्रालय के सम्बद्ध आदेशों की प्रतियों की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक ध्यान रखना चाहिए था। खा.ग्रा.उ.आ. द्वारा भी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा संशोधित निर्धारित बढ़ी हुई जल प्रभार की दरों के संदर्भ में सेवा प्रभार की दरों में संशोधन किया जाना चाहिए था।

इस प्रकार, लाइसेंस शुल्क और सेवा प्रभारों में संशोधन न होने के कारण खा.ग्रा.उ.आ. को 20.60 लाख रु. की हानि हुई। खा.ग्रा.उ.आ. द्वारा विभिन्न राज्यों में स्थित क्वार्टरों पर हुई ऐसी हानियों का विवरण उपलब्ध नहीं था।

मामला मंत्रालय को जुलाई 2004 में भेजा गया था; उनका उत्तर नवम्बर 2004 तक प्रतीक्षित था।

अध्याय XV : सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

मौलाना आजाद शिक्षा संस्थापन

15. निवेश का निर्णय लेने में विलम्ब के कारण ब्याज की हानि

मौलाना आजाद शिक्षा संस्थापन द्वारा निवेश करने का निर्णय विलम्ब से लेने के परिणामस्वरूप 36.50 लाख रु. के ब्याज की हानि हुई।

मौलाना आजाद शिक्षा संस्थापन (संस्थापन), समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत एक समिति ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से 70.01 करोड़ रु. (मार्च 1993 और अगस्त 1997 के बीच) की संग्रह निधि प्राप्त की। संस्थापन द्वारा विभिन्न अल्पसंख्यक संस्थाओं को, वित्तीय सहायता देने के अपने कार्यक्रम के लिए राजस्व अर्जित करने हेतु इस निधि को विभिन्न प्रतिभूतियों में निवेश किया।

लेखापरीक्षा ने यह पाया (जनवरी 2004) कि 12.50 करोड़ रु. की राशि के सावधि जमा 21 अगस्त 2001 को परिपक्व हुये थे और संस्थापन को यह राशि 30 अगस्त 2001 को प्राप्त हुई। तथापि, संस्थापन द्वारा राशि को 8.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर तीनों बैंकों (5.00 करोड़ रु. ओरियन्टल बैंक आफ कॉमर्स, 5.00 करोड़ रु. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर और 2.50 करोड़ रु. आंध्र बैंक) में एक वर्ष के लिए सावधि जमा में केवल 31 जनवरी 2002 को राशि का पुनर्निवेश किया गया था। 30 अगस्त 2001 से 31 जनवरी 2002 तक के 154 दिनों के अन्तराल अवधि के दौरान, राशि को चार प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर बचत खाते में रखा गया था। इस प्रकार, राशि के पुनर्निवेश में विलम्ब के कारण, संस्थापन को बचत खाते में कम ब्याज मिला। इसके अतिरिक्त, एक वर्ष के लिए सावधि जमा के रूप में इसके पुनर्निवेश पर अर्जित ब्याज 9.5 प्रतिशत से घटकर 8.5 प्रतिशत हुआ। यदि जमा को 31 अगस्त 2001 से ही नवीकृत कर दिया गया होता तो उसने उस समय प्रचलित दर 9.5 प्रतिशत के दर पर ब्याज अर्जित किया होता। ब्याज की हानि की राशि 36.50 लाख रु. थी।

प्रत्युत्तर में, संस्थान ने बताया (अप्रैल 2004) कि धन की प्राप्ति पर इसके पुनर्निवेश की प्रक्रिया तुरन्त आरम्भ कर दी थी और शासी निकाय की सिफारिशें संस्थापन के अध्यक्ष के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की गई थीं। तथापि, मंत्रालय ने संग्रह निधि की सुरक्षा से सम्बन्धित मामले पर विचार करने और निवेश के विकल्पों का मूल्यांकन करने के लिए एक समिति बनाई (अक्टूबर 2001)। निवेश प्रस्ताव को संस्थापन अध्यक्ष का अनुमोदन

प्राप्त होने के समय तक, ब्याज की दर तीन बार गिरी। परिणामतः जितनी बार ब्याज की दर घटी संस्थापन ने निवेश के लिए अनुमोदन प्राप्त करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया को प्रत्येक बार अनुसरण किया। मंत्रालय ने यह भी स्वीकार किया (अगस्त 2004) कि उचित प्रक्रियाओं को अपनाने से विलम्ब हुआ। इस प्रकार, निवेश करने का निर्णय लेने में प्रक्रियात्मक विलम्बों के परिणामस्वरूप 36.50 लाख रु. के ब्याज की हानि हुई जो दर्शाता है कि संस्थापन को अपनी निवेश प्रक्रियाओं को सरल और कारगर बनाने की तुरन्त आवश्यकता है।

## अध्याय XVI : शहरी विकास मंत्रालय

### दिल्ली विकास प्राधिकरण:

#### 16.1 परिहार्य व्यय

दि.वि.प्रा. द्वारा मंत्रालय के अनुदेशों का पालन करने और अपनी विज्ञापन आवश्यकताओं को विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा भेजने में विफलता के परिणामस्वरूप 6.07 करोड़ रु. का परिहार्य व्यय हुआ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि.वि.प्रा.) विज्ञापन एजेन्सियों के माध्यम से विभिन्न समाचार-पत्रों में व्यापारिक कार्ड की दरों पर विज्ञापन जारी करता है। सदस्य (वित्त) दि.वि.प्रा. की मंजूरी से प्रत्येक वर्ष विज्ञापन की दरों और एजेन्सियों को अनुमोदित/नामिकागत किया जाता है।

अक्टूबर 2001 में, शहरी विकास मंत्रालय ने विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डी.ए.वी.पी.), सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से प्राप्त पत्र को मार्गदर्शन और आवश्यक कार्यवाही हेतु दि.वि.प्रा. को परिचालित किया था। इसमें डी.ए.वी.पी. ने सभी मंत्रालयों से अनुरोध किया था कि वे अपने प्रशासनिक अधीन सभी सा.क्षे.उ./स्वायत्त निकायों को सलाह दें कि वे अपने प्रचार आवश्यकताओं को डी.ए.वी.पी. के माध्यम से भेजें क्योंकि उनकी दरें व्यापारिक कार्ड की दरों का केवल 40 प्रतिशत थी। डी.ए.वी.पी. ने दिसम्बर 2001 में आगे बताया कि संघ सरकार के व्यवसाय आबंटन नियमों के अनुसार भारत सरकार की ओर से सभी प्रदर्शन के अलावा वर्गीकृत विज्ञापनों का निर्माण और जारी डी.ए.वी.पी. के माध्यम से किया जायेगा। तदनन्तर, दि.वि.प्रा. के प्रश्नों के प्रत्युत्तर में, डी.ए.वी.पी. ने फरवरी 2002 में स्पष्ट किया कि डी.ए.वी.पी. की दरें सभी सेवार्थी विभागों में एकसमान लागू थीं और सा.क्षे.उ./स्वायत्त निकायों द्वारा डी.ए.वी.पी. के माध्यम से विज्ञापन को भेजने में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया की एक प्रति प्रस्तुत की। तथापि दि.वि.प्रा. द्वारा विज्ञापन डी.ए.वी.पी. के बजाए उनकी अपनी नामिकागत एजेन्सियों के माध्यम से जारी किये जाते रहे। 2001-02 और 2002-03 के दौरान दि.वि.प्रा. ने विभिन्न समाचार-पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों पर 11.99 करोड़ रु. खर्च किये थे। यदि विज्ञापन डी.ए.वी.पी. के माध्यम से जारी किये जाते तो दि.वि.प्रा. 6.07 करोड़ रु. बचा सकता था। मामले को अप्रैल 2004 में मंत्रालय के साथ-साथ दि.वि.प्रा. को भेजा गया था।

दि.वि.प्रा. ने मई 2004 में बताया कि वह एक स्वायत्त निकाय थी और सरकारी विभागों से भिन्न, ऐसे स्वायत्त निकायों से विभिन्न समाचार-पत्रों द्वारा व्यापारिक दरों पर चार्ज लिया जाता है। आगे बताया गया कि वह डी.ए.वी.पी. की दरों को प्राप्त करने के सम्मिलित प्रयास कर रहा था परन्तु समाचार-पत्र बल दे रहे थे कि उनसे व्यापारिक दरें वसूल की जानी चाहिए थी।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि दि.वि.प्रा. ने स्पष्ट नहीं किया कि उसके द्वारा मंत्रालय के परिपत्र के अनुसार अपनी विज्ञापन और प्रचार आवश्यकताएं डी.ए.वी.पी. के माध्यम से भेजने के बजाए समाचार-पत्र/विज्ञापन एजेंसियों से प्रत्यक्ष बातचीत करने के प्रयास क्यों किये गये थे।

इस प्रकार, दि.वि.प्रा. द्वारा मंत्रालय के परिपत्र के अनुसार, डी.ए.वी.पी. के माध्यम से अपने विज्ञापन को भेजने में विफलता ने प्राधिकरण को रियायती दरों के लाभ से वंचित रखा और परिणामस्वरूप नवम्बर 2001 से मार्च 2003 के दौरान 6.07 करोड़ रु. का परिहार्य व्यय हुआ।

मामला मंत्रालय को अप्रैल 2004 में भेजा गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 2004 तक प्रतीक्षित था।

#### 16.2 उच्च आरक्षित मूल्य के निर्धारण के कारण हानि

आरक्षित मूल्य एवं अवास्तविक पार्किंग शुल्क की संरचना के दोषपूर्ण निर्धारण के परिणामस्वरूप नीलाम न किए जा सकें पार्किंग स्थलों के कारण 2.57 करोड़ रु. के राजस्व की हानि हुई।

दि.वि.प्रा. पार्किंग स्थलों का निर्माण करता है और निजी ठेकेदारों को आरक्षित मूल्य निर्धारित करने के बाद लाइसेंस फीस के आधार पर सार्वजनिक नीलामी के जरिये उन्हें आबंटित करता है। आरक्षित मूल्य, विभिन्न वाहनों के सम्बन्ध में पाँच से बारह घंटों के लिए दो रूपये से 20 रूपये के बीच की दरों से गुणा करके पार्किंग स्थल में वाहनों की क्षमता के आधार पर अथवा समान स्थल की अन्तिम नीलामी की कीमत के आधार पर जो भी अधिक हो, परिकल्पित किया जाता है। लाइसेन्स को देने की निबन्धन एवं शर्तों के अनुसार सफल ठेकेदार को मासिक आधार पर दि.वि.प्रा. के पास लाइसेन्स फीस जमा करना एवं उसके बाद दि.वि.प्रा. द्वारा निर्धारित दरों की अनुसूची के अनुसार उपभोक्ताओं से पार्किंग शुल्क की वसूली करना अपेक्षित है।

दि.वि.प्रा. ने मई 2000 में 17 पार्किंग स्थलों से पार्किंग शुल्क वसूलने के लिए निम्नलिखित दरों पर निविदाएं आमंत्रित की :

	4 घंटे तक	12 घंटे तक	24 घंटे तक	प्रतिमाह
कार	5	10	15	400
स्कूटर (प्रति हेल्मेट एक रूपया अलग से)	3	6	10	200
साइकिल	1	2	3	75
बस	15	25	40	900

तथापि, सत्रह स्थलों में से केवल सात के लिए निविदाएं प्राप्त हुई थी। परिणामस्वरूप, उपाध्यक्ष ने आरक्षित मूल्य का पुनरीक्षण करने के लिए कहा। आयुक्त (एल.डी.) की अध्यक्षता में, आरक्षित मूल्यों की समिति ने, जुलाई 2001 में पहले प्राप्त प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए वित्त प्रभाग द्वारा निर्धारित किए गए आरक्षित मूल्य और विशेष रूप से उन पार्किंग स्थलों जो कि नीलामी किए बगैर पड़े हुए थे और 10 से 40 प्रतिशत के आरक्षित मूल्य के अधोगामी संशोधन के लिए अनुशंसित किए गये थे, का पुनरीक्षण किया। यह अगस्त 2001 में उपाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया गया था।

घटाए गए आरक्षित मूल्य के आधार पर, अक्टूबर 2001 और मार्च 2003 के बीच चार बार निविदाएं आमंत्रित की गई थीं, छः स्थल बिना नीलामी के रह गये। लेखापरीक्षा में देखा गया कि प्रतिक्रिया की कमी का मुख्य कारण स्लैब दर प्रणाली पर पार्किंग फीस निर्धारित करना था। यह पार्किंग स्थलों की इसी प्रकार से व्यवस्था करने के लिए अन्य स्थानीय निकायों द्वारा अपनाई गई समान दर प्रणाली के विपरीत थी। मई 2001 में विभाग द्वारा सर्वेक्षण किया गया, जिसमें बताया गया कि ठेकेदार, वाणिज्यिक केन्द्र, जिसमें बनाए गए कार्यालयों में पार्किंग स्थल का प्रयोग करने वाले आगन्तुक लगातार आने वालों में से थे, जो अपने आने की संख्या की परवाह किए बगैर पूरे दिन के लिए समान पार्किंग शुल्क देना पसन्द करते थे, में स्थित पार्किंग स्थलों के लिए, निविदा करने में अनिच्छुक थे। तथापि, जुलाई 2001 में निविदा एवं आरक्षित मूल्य की निबन्धन एवं शर्तों का पुनरीक्षण करते समय सर्वेक्षण की उपलब्धियों का ध्यान नहीं रखा गया था। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में अवलोकित किया गया कि यद्यपि रोहतक रोड़ पर सातवें पार्किंग स्थल को एक ठेकेदार को आबंटित किया गया था, फिर भी, अक्टूबर 2004 तक कोई राजस्व प्राप्त नहीं किया गया था।

इस प्रकार पार्किंग शुल्क को वसूल करने की अवास्तविक पद्धति नियत करने तथा उच्च आरक्षित मूल्य के निर्धारित करने के परिणामस्वरूप छः पार्किंग स्थल नीलामी किए बगैर पड़े रहे जिससे फरवरी 2000 से अक्टूबर 2004 तक की अवधि के दौरान दि.वि.प्रा.

द्वारा पार्किंग स्थल के लिए निर्धारित न्यूनतम आरक्षित मूल्य के आधार पर परिकल्पित 2.57 करोड़ रु. के राजस्व की हानि हुई।

मामला मंत्रालय को अगस्त 2003 में भेजा गया तथा दुबारा जुलाई 2004 में अनुस्मारक जारी किया गया था, उनका उत्तर दिसम्बर 2004 तक प्रतीक्षित था।

### 1.6.3 आरक्षित मूल्य के गलत निर्धारण के कारण हानि

वाणिज्यिक भूखण्डों के आरक्षित मूल्य के गलत निर्धारण के कारण 1.79 करोड़ रु. की हानि हुई:

दिल्ली विकास प्राधिकरण, दि.वि.प्रा. (विकास नाजुल भूमि निपटान) नियमावली 1981 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किए गए प्रीमियम के भुगतान पर वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए नाजुल भूमि का या तो नीलामी द्वारा या निविदा द्वारा निपटान करता है। वर्तमान नियमों के अन्तर्गत, वाणिज्यिक भूखण्ड आरक्षित मूल्य निर्धारित करने के बाद नीलामी के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं। तात्कालिक पूर्ववर्ती वर्ष में औसत नीलामी मूल्य में 10 प्रतिशत इस शर्त के साथ घटाते हुए कि यह अधिग्रहण की लागत और भूखण्ड के विकास से कम न हो, आरक्षित मूल्य निर्धारित किया जाता है। इसे और आगे एक वर्ष बाद अथवा जब बाजार मूल्य दोबारा बढ़ता है, जो भी जल्दी हो, पुनरीक्षित किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आरक्षित मूल्यों के निर्धारण से सम्बन्धित उपरोक्त प्रावधानों का निम्नलिखित मामलों में उचित रूप से पालन नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप दि.वि.प्रा. को 1.79 करोड़ रु. की हानि हुई:-

25 वाणिज्यिक भूखण्डों की एक नीलामी 16 जनवरी 2002 को की गई थी। द्वारका में सेक्टर-XII, पॉकेट एम.एल.यू.<sup>1</sup> में भूखण्ड सं. 9 (260 वर्ग मीटर) के सम्बन्ध में आरक्षित मूल्य 1.56 करोड़ रु. निर्धारित किया गया था। तथापि आरक्षित मूल्य पर पहुंचते समय, दि.वि.प्रा. ने तात्कालिक पूर्ववर्ती वर्ष (नीलामी 30 अक्टूबर 2001 को की गई थी) के औसत नीलामी मूल्य पर विचार नहीं किया था, जिससे उसी क्षेत्र में तीन भूखण्ड 76,489.00 रु. प्रति वर्ग मी. के औसत मूल्य पर बेचे गये थे। इस प्रकार, आरक्षित मूल्य 1.56 करोड़ रु. के बजाय 1.79 करोड़ रु. निर्धारित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, 1.56 करोड़ रु. की एक मात्र बोली मै. सुन्दर कंस्ट्रक्शन कम्पनी से प्राप्त हुई थी क्योंकि बिल्डर्स एसोसिएशन ने नीलामी का बहिष्कार कर दिया था। इस एक

<sup>1</sup> पॉकेट का एल्फाबेटिकल नाम

मात्र बोली की स्वीकृति तथा आरक्षित मूल्य को उचित रूप से निर्धारित करने में विफलता के दोहरे कारण से कम से कम 22.98 लाख रु. की हानि हुई।

(क) कड़कड़डूमा में सामुदायिक केन्द्र सं.5, जोन ई-II में स्थित सम्पत्ति सं. 5 (396.31 वर्ग मी.) के 1.93 करोड़ रु. के प्रचलित आरक्षित मूल्य पर 3 अक्टूबर 2001 को नीलामी की गई थी। उपाध्यक्ष द्वारा 1.93 करोड़ रु. की एकमात्र बोली 15 अक्टूबर 2001 को स्वीकार की गई थी। लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 22 अगस्त 2001 में की गई अन्य नीलामी में उसी परिसर में चार भूखण्ड 92,354 रु. प्रति वर्ग मी. के औसत मूल्य पर बेचे गए थे। तदनुसार, आरक्षित मूल्य 1.93 करोड़ रु. की बजाय 3.30 करोड़ रु. निर्धारित किया जाना चाहिए। इस प्रकार, आरक्षित मूल्य के गलत निर्धारण के परिणामस्वरूप 1.37 करोड़ रु. की हानि हुई।

(ख) इसी प्रकार, द्वारका में एम.एल.यू. में भूखण्ड सं 11(210 वर्ग मी.), 6 फरवरी 2002 को हुई एक नीलामी के दौरान 1.26 करोड़ रु. में नीलाम किया गया था। उपरोक्त फारमूले के अनुसार उचित आरक्षित मूल्य 1.45 करोड़ रु. बनता था इसके परिणामस्वरूप दि.वि.प्रा. को 18.55 लाख रु. की हानि हुई।

मामला मंत्रालय को जून 2004 में सूचित किया गया था, उनका उत्तर दिसम्बर 2004 तक प्रतीक्षित है।

#### 16.4 निधियों का अवरोधन

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली के मास्टर प्लान 2001 के उल्लंघन और निर्माण कार्य को सौंपने से पहले अभिप्रेत उद्देश्य के लिए स्पष्ट स्थल की अनुपलब्धता के परिणामस्वरूप 1.49 करोड़ रु. का अवरोधन हुआ।

कै.लो.नि.वि. संहिता का पैरा 15.2.1.3 निर्धारित करता है कि स्पष्ट स्थल की उपलब्धता निर्माण कार्य सौंपने से पहले सुनिश्चित की जानी चाहिए। स्पष्ट स्थल की उपलब्धता सुनिश्चित करने में, यह सुनिश्चित करना शामिल है कि निर्माण कार्य के लिए प्रस्तावित स्थल, मास्टर प्लान में निर्धारित भूमि उपयोग मानदण्डों के अनुसार अभिप्रेत उद्देश्य के लिए उपलब्ध है।

दि.वि.प्रा. के अभिलेखों की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि इसने महारौली महिपालपुर रोड, वसंत कुँज, नई दिल्ली में 32.50 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर 852 उ.आ.व./म.आ.व./नि.आ.व. फ्लैटों के निर्माण के लिए अक्टूबर 2001 में निविदाएं

आमंत्रित की थीं। कार्यकारी अभियन्ता ने फरवरी 2002 में मै. लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड को 36.07 करोड़ रु. की वार्ता तय दर पर 30 महीनों के भीतर निर्माण पूर्ण करने के लिए ठेका दिया था। इसी प्रकार, दि.वि.प्रा. ने मई 2002 में मै. आहलूवालिया कांटेक्टर्स (इंडिया) लिमिटेड को सुल्तानगढ़ी, वसंतकुंज में 850 उ.आ.व./म.आ.व./ नि.आ.व. के फ्लैटों के निर्माण हेतु 35.27 करोड़ रु. की वार्ता तय दर पर अन्य कार्य दिया।

ठेकों को प्रदान करते समय, प्रस्तावित स्थल मास्टर प्लान 2001 में “ग्रामीण उपयोग” के रूप में श्रेणीकृत किए गए थे और जब तक कि पहले भूमि-उपयोग का ग्रामीण से आवासीय में परिवर्तन न हुआ हो तब तक वे आवासीय कालोनियों के निर्माण के लिए उपलब्ध नहीं थे। तदनन्तर, दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई, माननीय न्यायालय ने पाया (सितम्बर 2002) कि दि.वि.प्रा. एक सांविधिक प्राधिकरण होने के कारण, कानून को मानने के लिए बाध्य था और दि.वि.प्रा., अध्यक्ष को मामले की छानबीन करनी चाहिए कि कानून के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया को अपनाए बगैर निर्माण कैसे आरम्भ किया जा सकता था। न्यायालय ने निर्देश दिया कि निर्माण कार्य अविलम्ब रोक दिया जाना चाहिए और दिल्ली विकास अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करने के बाद ही पुनः आरम्भ किया जाना चाहिए।

माननीय न्यायालय के उपरोक्त निर्देशों के अनुसरण में दि.वि.प्रा. ने मै. लार्सन एवं टूब्रो लिमिटेड (सितम्बर 2002) और मै. आहलूवालिया कांटेक्टर्स लिमिटेड (नवम्बर 2002) को आगे के आदेशों तक निर्माण-कार्य रोकने के अनुदेश दिए। दि.वि.प्रा. ने तब तक दोनों ठेकेदारों को 1.49 करोड़ रु. की राशि (ला.एण्ड टू.:119.87 लाख रु. और मै. आहलूवालिया कंटेक्टर्स : 29.35 लाख रु.) दे दी थी। ठेकेदारों में से एक अर्थात् मै. आहलूवालिया कंटेक्टर्स लिमिटेड ने दि.वि.प्रा. के विरुद्ध, कार्य के निलम्बन के कारण उसकी गलती न होते हुए, उसके द्वारा उठाई गई हानियों के सम्बन्ध में 50 लाख रु. का दावा दाखिल किया (नवम्बर 2002)।

तथ्यों की पुष्टि करते हुए, दि.वि.प्रा. ने बताया (जुलाई 2004) कि मंत्रालय ने दि.वि.प्रा. को पूर्व सांविधिक अनुमोदन प्राप्त किए बगैर किसी ऐसे कार्य को आरम्भ करने और भविष्य में केवल मास्टर प्लान के प्रावधानों के अनुसार कार्य करने का जनवरी 2004 में निदेश दिया। दि.वि.प्रा. ने आगे कहा कि ग्रामीण से आवासीय के लिए भूमि उपयोग में परिवर्तन जनवरी 2004 में अनुमोदित किया जा चुका था और मै. लार्सन एण्ड टूब्रो लिमिटेड को कार्य पुनः आरम्भ करने के लिए कहा गया था।

इस प्रकार, कार्य को देने से पहले मास्टर प्लान के अनुसार भूमि उपयोग-मानदण्डों का अनुपालन सुनिश्चित करने में दि.वि.प्रा. की विफलता के परिणामस्वरूप 71.34 करोड़ रु. की लागत की दो आवासीय परियोजनाओं के पूरा होने में विलम्ब के अतिरिक्त ठेकेदारों को दिए गए 1.49 करोड़ रु. का अवरोधन हुआ। इसने कार्य के निलम्बन और ठेकेदारों को क्षतिपूर्ति के भुगतान करने के साथ-साथ परियोजना की लागत में वृद्धि के कारण अतिरिक्त देयता के कारण प्राधिकरण को हानियों के दावे प्रस्तुत कर दिए।

मामला मंत्रालय को जुलाई 2004 में सूचित किया गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 2004 तक प्रतीक्षित था।

### 16.5 निष्क्रिय निवेश

कार्य को सौंपने से पहले स्पष्ट स्थल और आवश्यक सामग्री की उपलब्धता के संबंध में संहिता प्रावधानों का पालन करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप 53.54 लाख रु. का निवेश निष्क्रिय पड़ा रहा।

के.लो.नि.वि. की नियमपुस्तक के अनुबन्ध में प्रावधान<sup>2</sup> है कि जब तक निर्धारित सामग्री उपलब्ध न हो जाए अथवा लोकनिर्माण कार्य को प्रारम्भ करने से पहले प्राप्ति की संभावना न हो तब तक कोई निविदा आमंत्रित नहीं की जाएगी। इसके अतिरिक्त, निविदा आमंत्रण सूचना (नि.आ.सू.) के अनुमोदन से पहले, स्पष्ट स्थल की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दल्लूपुरा/चिल्ला में सी-1 परिधीय जल आपूर्ति लाइन उपलब्ध कराने और बिछाने के लिए मै. सतीश कुमार गुप्ता को सितम्बर 2002 में अनुमानित लागत 61.06 लाख रु. के प्रति 80.57 लाख रु. में ठेका दिया। कार्य के आरम्भ तथा समापन करने की नियत तिथियां क्रमशः 12 सितम्बर 2002 तथा 11 जनवरी 2003 थीं।

मार्च 2004 में लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रारम्भ में स्थल की अनुपलब्धता के कारण 12 सितम्बर 2002 से 3 नवम्बर 2002 तक 53 दिन के लिए कार्य को रोक दिया गया था। उसके बाद ठेकेदार ने 400 मि.मि. व्यास की सी-1 पाइप जिसकी आपूर्ति विभाग द्वारा की जानी थी, को बिछाने का कार्य छोड़कर, सभी कार्यों को पूरा कर दिया था। 5 दिसम्बर 2002 के बाद, दि.वि.प्रा. के भण्डारों में पाइप उपलब्ध नहीं थे तथा उसके बाद भी पाइपों की व्यवस्था करने में प्राधिकरण विफल रहा। परिणामतः, कार्य पूरा नहीं हो

<sup>2</sup> के.लो.नि.वि. नियमपुस्तक खण्ड II के पैरा 17.3.1 और पैरा 15.2.1

सका तथा मार्च 2004 में सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के साथ अन्ततः कार्य बन्द कर दिया गया था। 53.54 लाख रु. के व्यय के बावजूद कार्य अधूरा रहा।

इस प्रकार कार्य संहिता में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आवश्यक सामग्री तथा स्पष्ट स्थल की उपलब्धता सुनिश्चित करने में प्राधिकरण की विफलता के परिणामस्वरूप 53.54 लाख रु. का निवेश निष्क्रिय बना रहा।

मामला मंत्रालय को जून 2004 में भेजा गया था, उसका उत्तर दिसम्बर 2004 तक प्रतीक्षित था।

अध्याय : XVII


17 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही - संक्षिप्त स्थिति

लोक सभा सचिवालय ने सभी मंत्रालयों को, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सदन के पटल पर प्रस्तुत किए जाते ही इन प्रतिवेदनों में उल्लिखित विभिन्न पैराग्राफों पर की गई उपचारात्मक/शोधक कार्यवाही को दर्शाते हुए, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) को टिप्पणियां प्रस्तुत करने हेतु, अप्रैल 1982 में अनुदेश जारी किए।

22 अप्रैल 1997 को संसद में प्रस्तुत अपने गौवें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में लोक लेखा समिति ने इच्छा व्यक्त की थी कि मार्च 1994 तथा 1995 को समाप्त हुए वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बन्धित लम्बित कार्यवाही टिप्पणियों (का.टि.) के प्रस्तुतीकरण को तीन महीने की अवधि के भीतर पूर्ण करें और सिफारिश की कि मार्च 1996 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बन्धित सभी पैराग्राफों पर का.टि. लेखापरीक्षा द्वारा भली-भांति पुनरीक्षित कराकर, संसद में प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण के चार महीनों के भीतर उन्हें प्रस्तुत करें।

31 मार्च, 2003 को समाप्त हुई अवधि तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (स्वायत्त निकायों) में शामिल पैराग्राफों पर का.टि. की प्राप्ति से सम्बन्धित स्थिति (परिशिष्ट-VIII) की समीक्षा से प्रकट हुआ कि उपरोक्त अनुदेशों के बावजूद, मंत्रालयों ने अधिकांश पैराग्राफों के सम्बन्ध में उपचारात्मक/शोधक का.टि. प्रस्तुत नहीं की थी। 112 पैराग्राफों, जिन पर का.टि. भेजी जानी अपेक्षित थीं, में से 27 पैराग्राफों पर अन्तिम का.टि. प्रतीक्षित थीं जबकि 85 पैराग्राफों के सम्बन्ध में का.टि. बिल्कुल प्राप्त नहीं हुई थी।

85 पैराग्राफों, जिन पर का.टि प्राप्त नहीं हुई थीं, में से 35 पैराग्राफ शहरी विकास मंत्रालय के मार्च 1989 से मार्च 1993 को समाप्त वर्षों के प्रतिवेदनों से सम्बन्धित थे।



(डॉ. अं.कु. बनर्जी)

महानिदेशक लेखापरीक्षा

केन्द्रीय राजस्व

नई दिल्ली

दिनांक 31 मार्च 2005

प्रतिहस्ताक्षरित



(विजयेन्द्र नाथ कौल)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली

दिनांक 1 अप्रैल 2005



## परिशिष्ट I

(पैसाग्राफ 1.1 देखें)

नि.म.ले.प. (क.श.से.) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) तथा 20(1) के अन्तर्गत लेखापरीक्षित  
केन्द्रीय स्वायत्त निकायों को 2003-2004 के दौरान जारी किए गए अनुदान/ऋण

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम	अनुदान	कर्ज
<b>कृषि और सहकारिता</b>			
1.	नारियल विकास बोर्ड, कोची	1.28	शून्य
2.	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली	2650.92	शून्य
3.	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुडगाँव	5625.00	शून्य
4.	राष्ट्रीय कृषि विस्तारण प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद	502.47	शून्य
5.	राष्ट्रीय तिलहन तथा वनस्पति तेल विकास बोर्ड, गुडगाँव	590.00	शून्य
		9369.67	शून्य
<b>पशु पालन और डेरी उद्योग</b>			
6.	भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली	37.44	शून्य
		37.44	शून्य
<b>रसायन एवं उर्वरक</b>			
7.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, मोहाली	1986.80	शून्य
		1986.80	शून्य
<b>कोयला एवं खान</b>			
8.	कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद	शून्य	शून्य
<b>वाणिज्य</b>			
9.	कृषि तथा प्रसंस्करण खाद्य पदार्थ, निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली	4215.22	शून्य
10.	काँफी बोर्ड (सामान्य निधि लेखे), बंगलौर	3862.55	शून्य
11.	काँफी बोर्ड (पूल निधि लेखे), बंगलौर	शून्य	शून्य
12.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, चेन्नाई	शून्य	शून्य
13.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, कोचीन	शून्य	शून्य
14.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, दिल्ली	0.61	शून्य
15.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, कोलकाता	शून्य	शून्य
16.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, मुम्बई	शून्य	शून्य
17.	निर्यात निरीक्षण परिषद, कोलकाता	642.04	शून्य
18.	समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोची	4790.55	शून्य
19.	खड़ बोर्ड, कोट्टायम	9133.22	शून्य
20.	मसाला बोर्ड, कोची	2480.00	शून्य
21.	चाय बोर्ड, कोलकाता	6273.39	शून्य
22.	तम्बाकू बोर्ड, गुन्टूर	2.19	शून्य
		31399.77	शून्य
<b>उपभोक्ता मामले</b>			
23.	भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली	0.10	शून्य
		0.10	शून्य

2005 का प्रतिवेदन संख्या 4 (सिविल)

क्र. सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम	अनुदान	कर्ज
<b>संस्कृति</b>			
24.	इलाहाबाद संग्रहालय समिति, इलाहाबाद	203.00	शून्य
25.	एसियाटिक सोसाइटी, कोलकाता	525.00	शून्य
26.	केन्द्रीय बुद्धिष्ठ अध्ययन संस्थान, लेह	566.00	शून्य
27.	केन्द्रीय उच्च तिब्बत अध्ययन संस्थान, सारनाथ, वाराणसी	538.27	शून्य
28.	सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली	679.00	शून्य
29.	दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय, नई दिल्ली	594.16	शून्य
30.	पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, कोलकाता	89.46	शून्य
31.	गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, नई दिल्ली	498.00	शून्य
32.	भारतीय संग्रहालय, कोलकाता	750.00	शून्य
33.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली	7.00	शून्य
34.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल	480.00	शून्य
35.	कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान, चेन्नई	391.00	शून्य
36.	खुदा वक्श प्राच्य सार्वजनिक पुस्तकालय, पटना	226.00	शून्य
37.	ललित कला अकादमी, नई दिल्ली	697.47	शून्य
38.	राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कोलकाता	3115.02	शून्य
39.	राष्ट्रीय जनसहयोग तथा बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली	1056.00	शून्य
40.	राष्ट्रीय कला संरक्षण इतिहास संग्रहालय तथा संग्रहालय विज्ञान, नई दिल्ली	128.00	शून्य
41.	राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली	1157.49	शून्य
42.	नेहरू स्मारक पुस्तकालय एवं संग्रहालय, नई दिल्ली	708.84	शून्य
43.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, दीमापुर	594.52*	शून्य
44.	राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कोलकाता	1203.21	शून्य
45.	रामपुर रजा पुस्तकालय बोर्ड, रामपुर	2420.00	शून्य
46.	साहित्य अकादमी, नई दिल्ली	888.96	शून्य
47.	सालरजंग संग्रहालय बोर्ड, हैदराबाद	850.00	शून्य
48.	संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली	1370.51	शून्य
49.	विक्टोरिया मेमोरियल हाल, कोलकाता	454.17	शून्य
50.	पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, उदयपुर	73.85	शून्य
		<b>20264.93</b>	<b>शून्य</b>
<b>रक्षा</b>			
51.	हिमालय पर्वतारोहण संस्थान, दार्जिलिंग	75.76	शून्य
52.	जवाहर पर्वतारोहण तथा शीतकाल खेलकूद संस्थान, पहलगौव	14.88	शून्य
53.	नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकांशी	44.00	शून्य
		<b>134.64</b>	<b>शून्य</b>
<b>विदेश मामले</b>			
54.	भारतीय विश्व मामले परिषद, नई दिल्ली	160.00	शून्य
55.	भारतीय सांस्कृतिक सम्बद्ध परिषद, नई दिल्ली	5650.00	शून्य
56.	हज समिति	शून्य	शून्य
		<b>5810.00</b>	<b>शून्य</b>

\* अतिरिक्त संग्रह निधि के रूप में 5 करोड़ रु. शामिल।

क्र. सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम	अनुदान	कर्ज
<b>वित्त</b>			
57.	बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण	शून्य	शून्य
58.	भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, मुम्बई	शून्य	शून्य
		शून्य	शून्य
<b>स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण</b>			
59.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	32732.00	शून्य
60.	भारतीय केन्द्रीय औषधि परिषद, नई दिल्ली	91.64	शून्य
61.	केन्द्रीय आयुर्वेद तथा सिद्धा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	2946.10	शून्य
62.	केन्द्रीय यूनानी औषधि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	1787.50	शून्य
63.	केन्द्रीय योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	191.25	शून्य
64.	केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली	55.71	शून्य
65.	केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	972.80	शून्य
66.	चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता	913.00	शून्य
67.	भारतीय दन्त परिषद, नई दिल्ली	16.00	शून्य
68.	भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली	30.00	शून्य
69.	भारतीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली	135.00	शून्य
70.	मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली	367.00	शून्य
71.	राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली	20.00	शून्य
72.	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर	1155.80	शून्य
73.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली	3172.04	शून्य
74.	राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता	600.00	शून्य
75.	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर	4769.56	शून्य
76.	राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पूणे	145.00	शून्य
77.	भारतीय फार्मसी परिषद, नई दिल्ली	10.00	शून्य
78.	स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़	12885	शून्य
79.	राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, नई दिल्ली	53.17	शून्य
		<b>63048.57</b>	<b>शून्य</b>
<b>गृह मामले</b>			
80.	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली	1068.00	शून्य
		<b>1068.00</b>	<b>शून्य</b>
<b>मानव संसाधन विकास</b>			
81.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़	14866.41	शून्य
82.	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली	5000.00	शून्य
83.	असम विश्वविद्यालय, सिल्चर	623.27	शून्य
84.	अरोविल्ले प्रतिष्ठान, अरोविल्ले	155.00	शून्य
85.	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ	203.08	शून्य
86.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी	16184.92*	शून्य
87.	प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, चेन्नई	81.02	शून्य
88.	प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, कानपुर	77.00	शून्य
89.	प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, मुम्बई	61.00	शून्य

\* समायोजन द्वारा 572 लाख रु. शामिल।

2005 का प्रतिवेदन संख्या 4 (सिविल)

क्र. सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम	अनुदान	कर्ज
90.	व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड, कोलकाता	67.00	शून्य
91.	केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, नई दिल्ली	1692.12	शून्य
92.	दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	12910.94**	शून्य
93.	डा. बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालन्धर	813.00	शून्य
94.	भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली	647.30	शून्य
95.	भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली	413.00	शून्य
96.	भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली	4129.95	शून्य
97.	भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान, शिमला	447.22	शून्य
98.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद	1250.00	शून्य
99.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, बंगलौर	शून्य	शून्य
100.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंदौर	1100.00	शून्य
101.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता	शून्य	शून्य
102.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोजीकोड	1125.00	शून्य
103.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, लखनऊ	1280.00	शून्य
104.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई	8893.00	शून्य
105.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली	11378.00	शून्य
106.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी	7480.00	शून्य
107.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर	8868.00	शून्य
108.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड्गपुर	9068.00	शून्य
109.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई	9268.00	शून्य
110.	भारतीय खान विद्यालय, धनबाद	शून्य	शून्य
111.	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	1656.00	शून्य
112.	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली	3920.87	शून्य
113.	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	5693.50*	शून्य
114.	केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मण्डल, आगरा	900.00	शून्य
115.	केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली	66157.00	शून्य
116.	लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली	426.00	शून्य
117.	महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा	180.83	शून्य
118.	मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर	1031.00	शून्य
119.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल	1278.00	शून्य
120.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद	37.62	शून्य
121.	मिजोरम विश्वविद्यालय, आईजोल	623.19	शून्य
122.	मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद	1325.00	शून्य
123.	नागालैण्ड विश्वविद्यालय, कोहिमा	1403.46	शून्य
124.	राष्ट्रीय बाल भवन सोसाइटी, नई दिल्ली	677.28 <sup>p</sup>	शून्य
125.	राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली	1160.00	शून्य
126.	राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली	582.36	शून्य

\*\* समायोजन द्वारा 235 लाख रु. शामिल।

\* समायोजन द्वारा 17 लाख रु. शामिल।

<sup>p</sup> 217.54 लाख रु. के जारी किए गए अनुदान के अतिरिक्त पिछले वर्ष में आगे अग्रणीत अव्ययित शेष भी वर्ष 2003-04 में प्रयुक्त किए जाने अनुमत किया गया था।

क्र. सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम	अनुदान	कर्ज
127.	राष्ट्रीय सिंधी भाषा प्रोत्साहन परिषद, बड़ोदरा	45.00	शून्य
128.	राष्ट्रीय उर्दू भाषा प्रोत्साहन परिषद, नई दिल्ली	975.00	शून्य
129.	राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद, नई दिल्ली	464.57	शून्य
130.	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली	5396.00	शून्य
131.	राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली	50.00	शून्य
132.	राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना और प्रशासनिक संस्थान, नई दिल्ली	260.25	शून्य
133.	राष्ट्रीय ढलाई एवं गढ़ाई प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची	771.00	शून्य
134.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, भोपाल	562.50	शून्य
135.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़	725.00	शून्य
136.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चेन्नई	610.00	शून्य
137.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता	470.00	शून्य
138.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हनीरपुर	653.00	शून्य
139.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर	1537.75	शून्य
140.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोजीकोड	1555.19	शून्य
141.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र	975.97	शून्य
142.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला	1896.00	शून्य
143.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर	720.00	शून्य
144.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल	2020.00	शून्य
145.	राष्ट्रीय औद्योगिक अभियांत्रिकी प्रशिक्षण संस्थान, मुंबई	1300.00	शून्य
146.	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, नई दिल्ली	900.00	शून्य
147.	नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली	56956.00	शून्य
148.	उत्तर पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग	3435.31	शून्य
149.	उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, निरजुली, ईटा नगर	2100.00	शून्य
150.	पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी	1113.66	शून्य
151.	भारतीय विज्ञान, दर्शनशास्त्र एवं संस्कृति का इतिहास परियोजना, नई दिल्ली	169.09	शून्य
152.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली	3150.00	शून्य
153.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति	473.52	शून्य
154.	संत लोंगवाल अभियान्त्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, संगरूर	1500.00	शून्य
155.	सरदार बल्लभ भाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत	1037.50	शून्य
156.	योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली	1600.00	शून्य
157.	रोजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर	544.06	शून्य
158.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली	164905.00	शून्य
159.	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद	3474.83	शून्य
160.	विश्वेस्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर	1457.71	शून्य
161.	विश्व भारती, शान्तिनिकेतन	4820.92	शून्य
		473/59.17	शून्य
<b>उद्योग</b>			
162.	नारियल जटा बोर्ड, कोची	1673.62	शून्य
163.	खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई	45980.25	शून्य
		4/1653.87	शून्य

2005 का प्रतिवेदन संख्या 4 (सिविल)

क्र. सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम	अनुदान	कर्ज
<b>सूचना एवं प्रसारण</b>			
164.	प्रसार भारती, नई दिल्ली	103534.00	9585.00
165.	भारतीय प्रेस परिषद, नई दिल्ली	135.11	शून्य
		<b>103669.11</b>	<b>9585.00</b>
<b>श्रम एवं रोजगार</b>			
166.	केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर	2385.00	शून्य
167.	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली	शून्य	शून्य
168.	कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली	शून्य	शून्य
169.	वी.वी. गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा, उत्तर प्रदेश	425.00	शून्य
		<b>2810.00</b>	<b>शून्य</b>
<b>विधि एवं न्याय</b>			
170.	राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, (सं.क्षे.) चण्डीगढ़	5.28	शून्य
		<b>5.28</b>	<b>शून्य</b>
<b>विद्युत</b>			
171.	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली	शून्य	शून्य
172.	राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद	1178.66	शून्य
		<b>1178.66</b>	<b>शून्य</b>
<b>रेलवे</b>			
173.	रेलवे सूचना प्रणाली केन्द्र, नई दिल्ली	शून्य	शून्य
		शून्य	शून्य
<b>जहाजरानी</b>			
174.	चेन्नई पत्तन न्यास, चेन्नई	शून्य	शून्य
175.	कोचीन पत्तन न्यास, कोचीन	शून्य	शून्य
176.	जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास, नेवा शेवा	शून्य	शून्य
177.	कांडला गोदी श्रमिक बोर्ड, कांडला	शून्य	शून्य
178.	कांडला पत्तन न्यास, गाँधीधाम	शून्य	शून्य
179.	कोलकाता गोदी श्रमिक बोर्ड, कोलकाता	शून्य	शून्य
180.	कोलकाता पत्तन न्यास, कोलकाता	शून्य	शून्य
181.	मोरमुगांव पत्तन न्यास, गोवा	शून्य	शून्य
182.	मुम्बई गोदी श्रमिक बोर्ड, मुम्बई	शून्य	शून्य
183.	मुम्बई पत्तन न्यास, मुम्बई	शून्य	शून्य
184.	नया मंगलौर पत्तन न्यास	शून्य	शून्य
185.	पारादीप पत्तन न्यास, पारादीप	शून्य	शून्य
186.	नाविक भविष्य निधि संगठन, मुम्बई	शून्य	शून्य
187.	महा पत्तन टैरिफ प्राधिकरण	177.79	शून्य
188.	तूतीकोरिन पत्तन न्यास, तूतीकोरिन	शून्य	शून्य
189.	विजाग गोदी श्रमिक बोर्ड, विशाखापत्तनम	शून्य	शून्य
190.	विजाग पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम	शून्य	शून्य
		<b>177.79</b>	<b>शून्य</b>
<b>सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता</b>			
191.	अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, मुम्बई	1175.00	शून्य
192.	केन्द्रीय अभिग्रहण संसाधन एजेन्सी, नई दिल्ली	103.00	शून्य

क्र. सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम	अनुदान	कर्ज
193.	केन्द्रीय वक्फ परिषद, नई दिल्ली	158.00	शून्य
194.	राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान, देहरादून	1049.00	शून्य
195.	राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, हैदराबाद	1015.00	शून्य
196.	राष्ट्रीय अस्थि संबंधी विकलांग संस्थान, कोलकाता	566.00	शून्य
197.	राष्ट्रीय बहुउद्देश्य मधुमेह, मानसिक विकलांगता सेरीबल अस्तिज्म पीड़ित लोगों के कल्याण के लिए न्यास, नई दिल्ली	शून्य	शून्य
198.	पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक विकलांग संस्थान, नई दिल्ली	506.00	शून्य
199.	भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली	294.00	शून्य
200.	स्वामी विवेकानन्द राष्ट्रीय पुनर्वास, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, ओलटपुर	1057.00	शून्य
		5923.00	शून्य
<b>दूरसंचार</b>			
201	भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, अं.भ.नि.लेखा	शून्य	शून्य
202	भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली	1160.00	शून्य
		1160.00	शून्य
<b>कपड़ा</b>			
203	केन्द्रीय सिल्क बोर्ड, बंगलौर	15404.00	शून्य
204.	पटसन निर्माता विकास परिषद, कोलकाता	3773.00	शून्य
205.	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली	4236.45	शून्य
206.	कपड़ा समिति, मुंबई	2405.00	शून्य
		25818.45	शून्य
<b>शहरी विकास</b>			
207.	दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली	शून्य	शून्य
208.	दिल्ली शहरी कला आयोग, नई दिल्ली	79.00	शून्य
209.	लक्ष्मीप भवन विकास बोर्ड, क्वारंटी	शून्य	शून्य
210.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली	5390.00	शून्य
211.	राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली	160.00	शून्य
		5629.00	शून्य
<b>जल संसाधन</b>			
212.	बेतवा नदी बोर्ड, झाँसी	शून्य	शून्य
213.	ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी	4581.38	शून्य
214.	नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इन्दौर	शून्य	शून्य
215.	राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली	1860.00	शून्य
		6441.38	शून्य
<b>युवा मामले और खेलकूद</b>			
216.	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर	696.50	शून्य
217.	नेहरू युवा केन्द्र संगठन, नई दिल्ली	5922.86*	शून्य
218.	भारतीय खेलकूद प्राधिकरण, नई दिल्ली	12662.77*	शून्य
		19282.13	शून्य
<b>कुल जोड़</b>		<b>816402.90</b>	<b>9585.00</b>

\* 2003-04 में प्राप्त, 2002-03 से सम्बन्धित 394.62 रु. शामिल हैं।

\* उत्तर पूर्वी विभाग के 86.74 रु. शामिल हैं।

परिशिष्ट - II

(पैराग्राफ 1.1 देखें)

नि.म.ले.प. (क.श.से.)अधिनियम 1971 की धारा 19(2) और 20(1) के अन्तर्गत लेखापरीक्षित निकाय जिनकी 2003-2004 की सूचना दिसम्बर 2004 तक प्राप्त नहीं हुई थी

क्र.सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम
	पर्यावरण एवं वन
1.	पशु कल्याण बोर्ड, चेन्नई
	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
2.	राष्ट्रीय रोग सहायता निधि, नई दिल्ली
	मानव संसाधन विकास
3.	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल
4.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर
5.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद
6.	भारतीय समुद्री अध्ययन संस्थान, मुम्बई
7.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की
8.	राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद, हैदराबाद
9.	राष्ट्रीय संस्कृति निधि, नई दिल्ली
10.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर
11.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना
12.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिल्वर
13.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरतथल
14.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली
15.	उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, इलाहाबाद
16.	उत्तरी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, पटियाला
17.	दक्षिण केन्द्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर
18.	दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, थन्जावर

क्र.सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम
	विधि एवं न्याय
19.	राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल
	विद्युत
20.	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली
	ग्रामीण विकास
21.	लोक कार्यवाही तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी उन्नयन परिषद, नई दिल्ली
22.	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद
	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
23.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली

परिशिष्ट - III

(पैराग्राफ 1.1 देखें)

नि.म.ले.प. (क.श.से) अधिनियम 1971 की धारा 14(1) और 14(2) के अंतर्गत  
लेखापरीक्षित केन्द्रीय स्वायत्त निकायों को 2003-04 के दौरान जारी किए गए अनुदान

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम	अनुदान	ऋण
<b>कृषि तथा सहकारिता</b>			
1.	भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ	616.01	शून्य
2.	राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद	1380.00	शून्य
3.	लघु कृषक कृषि व्यापार संघ	11809.00	शून्य
<b>रसायन एवं उर्वरक</b>			
4.	केन्द्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई	1258.83	शून्य
<b>वाणिज्य</b>			
5.	भारतीय प्रवर्तन काजू निर्यात परिषद	122.20	शून्य
6.	अभियांत्रिकी निर्यात प्रवर्तन परिषद, कोलकाता	974.93	शून्य
7.	भारतीय निर्यात संगठन संघ	952.75	शून्य
8.	भारतीय विदेश व्यापार संस्थान	668.88	शून्य
9.	शैलाक निर्यात प्रवर्तन परिषद, कोलकाता	107.05	शून्य
10.	खेलकूद सामान निर्यात प्रवर्तन परिषद	64.73	शून्य
<b>संस्कृति</b>			
11.	मौलाना अबुल कलाम आजाद एशियन अध्ययन संस्थान, कोलकाता	132.13	शून्य
<b>वित्त</b>			
12.	भारतीय निवेश केन्द्र, नई दिल्ली	225.00	शून्य
13.	भारतीय औद्योगिक क्रेडिट एवं निवेश निगम	2945.00	शून्य
14.	भारतीय औद्योगिक वित्त निगम	157300.00	शून्य
15.	आर्थिक विकास संस्थान, नई दिल्ली	45.00	शून्य
16.	ग्रामीण सहायता और विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि बैंक	923.00	108.00
17.	राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद	50.00	शून्य
18.	राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद	171.00	शून्य

क्र.सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम	अनुदान	ऋण
19.	राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त एवं नीति संस्थान, नई दिल्ली	174.50	शून्य
20.	भारतीय राज्य औद्योगिक विकास बैंक	2305.00	शून्य
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग			
21.	धान प्रसंस्करण अनुसंधान केन्द्र, थन्जावर	239.00	शून्य
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण			
22.	अखिल भारतीय वाक् एवं श्रवण संस्थान, मैसूर	910.00	शून्य
23.	केन्द्रीय संयुक्त भवन परिसर परिषद	128.00	शून्य
24.	केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	230.00	शून्य
25.	केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, चेन्नई	100.00	शून्य
26.	गांधी ग्राम ग्रामीण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण न्यास संस्थान, तमिलनाडु	36.50	शून्य
27.	गुजरात कैंसर अनुसंधान संस्थान	100.00	शून्य
28.	भारतीय चिकित्सा संघ, नई दिल्ली	25.00	शून्य
29.	अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुम्बई	524.93	शून्य
30.	कस्तूरबा स्वास्थ्य समिति, नई दिल्ली	1000.00	शून्य
31.	लाला रामस्वरूप क्षय रोग तथा समवर्गी रोग संस्थान, नई दिल्ली	1420.00	शून्य
32.	राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली	62.00	शून्य
33.	राष्ट्रीय जीव विज्ञान संस्थान	2510.00	शून्य
34.	राष्ट्रीय सिद्धा संस्थान	700.00	शून्य
35.	राष्ट्रीय यूनानी औषधि संस्थान बंगलौर	300.00	शून्य
36.	क्षय रोग केन्द्र, नई दिल्ली	90.00	शून्य
37.	उत्तरपूर्वी इन्दिरा गांधी स्वास्थ्य तथा चिकित्सा विज्ञान संस्थान, शिलांग	6500.00	शून्य
38.	भारतीय पास्तुर संस्थान, कूनूर	750.00	शून्य
39.	राज्य परिवार नियोजन सेवा परियोजना नवीकरण एजेंसी, लखनऊ	5499.76	शून्य
40.	वल्लभभाई पटेल चैस्ट संस्थान, नई दिल्ली	1080.00	शून्य
41.	स्वैच्छिक स्वास्थ्य योजना, चेन्नई	800.00	शून्य
मानव संसाधन विकास			
42.	केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड	9055.08	शून्य
43.	महाऋषि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन	100.00	शून्य

क्र.सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम	अनुदान	ऋण
<b>उद्योग</b>			
44.	केन्द्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलौर	1470.00	शून्य
45.	तरल नियंत्रण अनुसंधान संस्थान, पालक्कड़	250.00	शून्य
46.	राष्ट्रीय उद्यमवृत्ति एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान	119.90	शून्य
<b>सूचना एवं प्रसारण</b>			
47.	भारतीय बाल चलचित्र समिति, मुम्बई	377.88	शून्य
48.	भारतीय फिल्म और दूरदर्शन संस्थान, पुणे	848.39	शून्य
49.	भारतीय जन संचार संस्थान	533.93	शून्य
50.	सत्यजीत रे फिल्म एवं दूरदर्शन संस्थान, कोलकाता	363.99	शून्य
<b>औद्योगिक नीति एवं प्रवर्तन</b>			
51.	केन्द्रीय फुटवियर प्रशिक्षण संस्थान, चेन्नई	81.50	शून्य
52.	केन्द्रीय औजार डिजाइन संस्थान, बालानगर, हैदराबाद	245.00	शून्य
53.	केन्द्रीय औजार कक्ष प्रशिक्षण केन्द्र, कोलकाता	275.00	शून्य
54.	राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद	30.25	शून्य
55.	राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद	1329.70	शून्य
<b>श्रम एवं रोजगार</b>			
56.	बाल श्रम उन्मूलन सहायता योजना संस्था वैल्लोर	101.51	शून्य
57.	राष्ट्रीय मीडिया अनुदेशात्मक संस्थान, चेन्नई	227.50	शून्य
58.	समाइल परियोजना संस्था, सलेम	67.41	शून्य
<b>कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन</b>			
59.	केन्द्रीय सिविल सेवायें खेलकूद एवं सांस्कृतिक बोर्ड, नई दिल्ली	60.00	शून्य
60.	गृह कल्याण केन्द्र	68.00	शून्य
61.	भारतीय लोक प्रशासन संस्थान	454.00	शून्य
<b>योजना</b>			
62.	अनुप्रयुक्त मानव शक्ति अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	454.00	शून्य
<b>विद्युत</b>			
63.	केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलौर	148.42	शून्य
<b>सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता</b>			
64.	जिला पुनर्वास केन्द्र, विजयवाड़ा	28.00	शून्य

क्र.सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम	अनुदान	ऋण
65.	डा. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, नई दिल्ली	100.00	शून्य
66.	लिबन शिल्प विशाखापत्तनम, मानसिक विकलांग संघ	50.03	शून्य
67.	मानसिक विकास केन्द्र विजयवाड़ा	73.50	शून्य
68.	मौलाना आजाद शिक्षा संस्थापन	375.00	शून्य
69.	राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान	303.00	शून्य
70.	जिला विकलांगुला संगम, विनुकोंडा	26.19	शून्य
<b>कपड़ा</b>			
71.	अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी समिति	350.00	शून्य
72.	परिधान निर्यात प्रवर्तन परिषद	3185.00	शून्य
73.	बम्बई कपड़ा अनुसंधान संघ	162.50	शून्य
74.	हथकरघा निर्यात प्रवर्तन परिषद, चेन्नई	159.11	शून्य
75.	भारतीय जूट उद्योग अनुसंधान संघ, कोलकाता	331.59	शून्य
76.	राष्ट्रीय जूट विविधता केन्द्र, कोलकाता	745.00	शून्य
77.	दक्षिण भारत कपड़ा अनुसंधान संघ, कोयम्बटूर	173.65	शून्य
78.	ऊन अनुसंधान, थाने	73.61	शून्य
<b>पर्यटन</b>			
79.	भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबन्धन संस्थान, ग्वालियर	80.84	शून्य
80.	होटल प्रबंधन खानपान प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयुक्त पोषण संस्थान, चेन्नई	100.00	शून्य
81.	होटल प्रबंधन खानपान प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयुक्त पोषण संस्थान, पटना	453.50	शून्य
82.	होटल प्रबंधन खानपान प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयुक्त पोषण संस्थान, अहमदाबाद	200.00	शून्य
83.	होटल प्रबंधन खानपान प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयुक्त पोषण संस्थान, शिमला	200.00	शून्य
84.	होटल प्रबंधन खानपान प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयुक्त पोषण संस्थान, गुवाहाटी	345.87	शून्य
85.	होटल प्रबंधन खानपान प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयुक्त पोषण संस्थान, ग्वालियर	200.00	शून्य
86.	राष्ट्रीय होटल प्रबंधन एवं खानपान प्रौद्योगिकी परिषद, पूसा, नई दिल्ली	150.00	शून्य
<b>जनजातीय मामले</b>			
87.	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, नई दिल्ली	76.59	शून्य

2005 का प्रतिवेदन संख्या 4 (सिविल)

क्र.सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम	अनुदान	ऋण
<b>शहरी विकास</b>			
88.	भवन सामग्री प्रौद्योगिकी प्रवर्तन परिषद	400.00	शून्य
89.	राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान	174.96	शून्य
<b>युवा मामले एवं खेल कूद</b>			
90.	राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, चेन्नई	20361.00	शून्य
91.	भारतीय ओलम्पिक संघ, नई दिल्ली	58.77	शून्य
<b>जोड़</b>		<b>250829.37</b>	<b>108.00</b>

## परिशिष्ट -IV

(पैराग्राफ 1.1 देखें)

धारा 19(2) और 20(1) के अन्तर्गत लेखापरीक्षित स्वायत्त निकायों द्वारा वर्ष 2002-2003 के वार्षिक लेखे के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम	लेखाओं की प्राप्ति की तिथि
(क)	तीन से छः माह तक का विलम्ब	
1.	राष्ट्रीय मौलाना आजाद उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद	03/10/2003
2.	भारतीय प्रबन्धन संस्थान, कलकता	06/10/2003
3.	राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना और प्रशासनिक संस्थान, नई दिल्ली	07/10/2003
4.	भारतीय उद्यान विज्ञान बोर्ड, गुड़गांव	08/10/2003
5.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली	09/10/2003
6.	कॉफी बोर्ड (सामान्य निधि लेखा), बंगलौर	10/10/2003
7.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस	13/10/2003
8.	मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद	13/10/2003
9.	चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कलकता	14/10/2003
10.	हज समिति	14/10/2003
11.	बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण	15/10/2003
12.	केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली	15/10/2003
13.	संत लॉगोवाल अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लॉगोवाल	16/10/2003
14.	तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, चेन्नई	16/10/2003
15.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल	20/10/2003
16.	भारतीय प्रबन्धन संस्थान, इन्दौर	21/10/2003
17.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई	21/10/2003
18.	भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	22/10/2003
19.	महापत्तन टैरिफ प्राधिकरण, मुम्बई	22/10/2003
20.	राष्ट्रीय बाल भवन समिति, नई दिल्ली	24/10/2003
21.	उत्तर - केन्द्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, इलाहाबाद	27/10/2003
22.	उत्तर - क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, पटियाला	27/10/2003
23.	राष्ट्रीय जल विकास एजेन्सी, नई दिल्ली	27/10/2003
24.	स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़	05/11/2003
25.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, मोहाली	09/11/2003
26.	प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, चेन्नई	10/11/2003
27.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल	10/11/2003
28.	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर	12/11/2003
29.	सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत	19/11/2003
30.	गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, नई दिल्ली	20/11/2003

2005 का प्रतिवेदन संख्या 4 (सिविल)

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम	लेखाओं की प्राप्ति की तिथि
31.	पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय, पाण्डिचेरी	21/11/2003
32.	राष्ट्रीय सिन्धी भाषा प्रोत्साहन परिषद, वड़ौदरा	01/12/2003
33.	राष्ट्रीय कला संरक्षण इतिहास संग्रहालय तथा संग्रहालय विज्ञान, नई दिल्ली	03/12/2003
34.	मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर	10/12/2003
35.	कृषि एवं प्रसंस्करण खाद्य पदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली	15/12/2003
(ख)	छः माह से अधिक विलम्ब	
1.	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली	05/01/2004
2.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोजीकोड	07/01/2004
3.	तेजपुर विश्वविद्यालय	11/01/2004
4.	पूर्वी - क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र, कोलकाता	12/01/2004
5.	भारतीय संग्रहालय, कोलकाता	13/01/2004
6.	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली	13/01/2004
7.	भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली	14/01/2004
8.	विश्वभारती विश्वविद्यालय, शान्ति निकेतन	29/01/2004
9.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	29/01/2004
10.	भारतीय खेलकूद प्राधिकरण, नई दिल्ली	13/02/2004
11.	असम विश्वविद्यालय, शिलांग	17/02/2004
12.	भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, नई दिल्ली	23/02/2004
13.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबन्धन संस्थान, ग्वालियर	03/03/2004
14.	उर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली	08/03/2004
15.	दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, थन्जावर	17/03/2004
16.	कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद	17/03/2004
17.	महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा	19/03/2004
18.	नागालैंड विश्वविद्यालय, कोहिमा	26/03/2004
19.	राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली	08/04/2004
20.	केन्द्रीय अभिग्रहण संसाधन एजेंसी, नई दिल्ली	06/05/2004
21.	भारतीय दन्त परिषद, नई दिल्ली	19/05/2004
22.	भारतीय प्रबन्धन संस्थान, अहमदाबाद	21/05/2004
23.	दिल्ली विकास प्राधिकरण	06/09/2004
24.	दिल्ली विश्वविद्यालय	06/10/2004
25.	प्रसार भारती, नई दिल्ली	23/11/2004

## परिशिष्ट -V

(पैराग्राफ 1.1 देखें )

स्वायत्त निकायों द्वारा वर्ष 2002-2003 के वार्षिक लेखे फरवरी 2005 तक प्रस्तुत न करना

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय
1.	बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ
2.	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल
3.	भारतीय विश्व मामले परिषद, नई दिल्ली
4.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी
5.	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली
6.	मिजोरम विश्वविद्यालय
7.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली
8.	राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षण संस्थान, नई दिल्ली
9.	राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता
10.	राष्ट्रीय जनसहयोग तथा बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली
11.	नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी
12.	नेहरू युवक केन्द्र संगठन, नई दिल्ली
13.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, दीमापुर, नागालैंड
14.	दक्षिण - केन्द्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर

परिशिष्ट - VI

( पैराग्राफ 1.2 देखें )  
बकाया उपयोग प्रमाण पत्र

(लाख रूपयों में)

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2003 तक)	मार्च 2003 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाण पत्र, जो 31 मार्च 2004 तक प्राप्य थे।	
		संख्या	राशि
कृषि और सहकारिता	1990-91	3	11.25
	1991-92	8	16.50
	1992-93	1	2.50
	1996-97	7	8.85
	1997-98	13	33.78
	1998-99	9	76.03
	1999-00	8	27.45
	2000-01	5	190.57
	2001-02	21	5233.05
	2002-03	69	10797.15
		<b>144</b>	<b>16397.13</b>
अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन	2001-02	12	560.10
	2002-03	36	1807.01
		<b>48</b>	<b>2367.11</b>
परमाणु ऊर्जा	1991-92	1	2.51
	1995-96	1	1.19
	1996-97	5	5.21
	1997-98	7	21.77
	1998-99	7	9.92
	1999-00	12	26.55
	2000-01	13	24.97
	2001-02	15	54.10
	2002-03	82	438.15
	<b>143</b>	<b>584.37</b>	
नागर विमानन	2002-03	1	110.00
		<b>1</b>	<b>110.00</b>
कोयला	2002-03	1	5.92
		<b>1</b>	<b>5.92</b>
पर्यावरण तथा वन	1981-82	15	5.79
	1982-83	21	41.00
	1983-84	90	58.50
	1984-85	143	229.80
	1985-86	121	495.40
	1986-87	74	533.77
	1987-88	278	6531.00
	1988-89	359	2543.18
	1989-90	545	192.00
	1990-91	70	123.30
	1991-92	81	1439.00

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2003 तक)	मार्च 2003 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाण पत्र, जो 31 मार्च 2004 तक प्राप्त थे।	
		संख्या	राशि
	1992-93	216	736.00
	1993-94	64	74.18
	1994-95	135	1146.00
	1995-96	10	21.00
	1996-97	440	15732.00
	1997-98	601	9742.00
	1998-99	302	314.00
	1999-00	513	4399.00
	2000-01	532	4991.36
	2001-02	606	11254.67
	2002-03(30.9.02 तक)	143	3680.51
			5359
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	1991-92	2	19.08
	1992-93	10	88.36
	1993-94	14	98.79
	1994-95	16	134.42
	1995-96	20	202.19
	1996-97	18	223.99
	1997-98	12	196.34
	1998-99	21	175.86
	1999-00	62	602.95
	2000-01	107	1521.93
	2001-02	160	3558.94
	2002-03	105	1769.75
		547	8592.60
समुद्री विकास	1983-84	8	101.52
	1984-85	22	22.66
	1985-86	45	40.26
	1986-87	23	27.20
	1987-88	83	157.85
	1988-89	48	58.00
	1989-90	92	98.28
	1990-91	17	227.46
	1991-92	20	114.60
	1992-93	8	3.00
	1993-94	16	40.20
	1994-95	9	151.97
	1995-96	53	58.77
	1996-97	52	152.02
	1997-98	71	858.74
	1998-99	79	1147.88
	1999-00	37	2196.34
	2000-01	55	969.43
2001-02	66	4521.28	
2002-03	68	12144.13	
		872	23091.59

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2003 तक)	मार्च 2003 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाण पत्र, जो 31 मार्च 2004 तक प्राप्य थे।	
		संख्या	राशि
विदेश मामले	1997-98	1	6.62
	1998-99	1	10.08
	1999-00	7	28.74
	2000-01	3	19.41
	2002-03	1	3.00
		<b>13</b>	<b>67.85</b>
वित्त	1999-00	2	118.80
आर्थिक मामले	2000-01	8	1361.79
बैंकिंग प्रभाग	2001-02	8	159805.58
	2002-03	1	93.65
		<b>19</b>	<b>161379.82</b>
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण			
(i) स्वास्थ्य	1983-84	2	24.80
	1984-85	5	29.26
	1985-86	8	2.47
	1986-87	4	3.39
	1987-88	3	23.00
	1988-89	10	2.45
	1989-90	21	47.28
	1990-91	5	5.71
	1991-92	5	0.97
	1992-93	1	0.15
	1993-94	34	1452.68
	1994-95	23	906.89
	1995-96	78	2790.24
	1996-97	111	173.12
	1997-98	179	7119.82
	1998-99	126	13019.42
	1999-00	425	27507.55
	2000-01	259	42430.33
	2001-02	450	10544.09
	2002-03	605	106043.41
	<b>2354</b>	<b>212127.03</b>	
(ii) परिवार कल्याण	1982-83	4	2.95
	1986-87	2	9.45
	1987-88	3	4.13
	1989-90	7	17.35
	1990-91	8	13.00
	1993-94	14	48.86
	1994-95	38	54.44
	1995-96	98	528.77
	1996-97	100	1071.37
	1997-98	62	1784.24
	1998-99	73	1725.03
	1999-00	71	7617.82
	2000-01	116	32414.04

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2003 तक)	मार्च 2003 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाण पत्र, जो 31 मार्च 2004 तक प्राप्य थे।	
		संख्या	राशि
	2001-02	242	2784.58
	2002-03	441	47330.99
		1279	95407.02
गृह मामले पी ए ओ (सचिवालय)	1990-91	1	0.10
	1998-99	1	0.05
	2002-03	1	0.20
		3	0.35
आयकर विभाग, सी बी डी टी	2001-02	3	0.18
	2002-03	13	0.84
		16	1.02
सूचना एवं प्रसारण	2001-02	13	88863.00
	2002-03	22	126724.00
		35	215587.00
सूचना प्रौद्योगिकी	2001-02	4	161.00
	2002-03	86	8683.00
		90	8844.00
<b>उद्योग</b>			
(i) भारी उद्योग	2000-01	3	384.00
	2001-02	1	1.00
	2002-03	19	8631.78
		23	9016.78
(ii) लघु उद्योग और कृषि और ग्रामीण उद्योग	1997-98	1	19.00
	1998-99	3	220.00
	1999-00	2	20.00
	2000-01	2	30.00
	2001-02	8	97.10
	2002-03	60	21085.00
		76	21471.10
(iii) औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विकास	2001-02	1	50.00
	2002-03	17	1915.84
		18	1965.84
(iv) सार्वजनिक उद्यम विभाग	2002-03	7	51.50
		7	51.50
श्रम	1979-80	1	0.01
	1982-83	2	0.13
	1985-86	3	1.62
	1987-88	3	2.94
	1988-89	1	6.21
	1989-90	9	10.10
	1990-91	14	19.29
	1991-92	8	26.59
	1992-93	2	0.64
	1993-94	7	6.72
	1994-95	3	3.71
	1995-96	32	184.36

2005 का प्रतिवेदन संख्या 4 (सिविल)

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2003 तक)	मार्च 2003 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाण पत्र, जो 31 मार्च 2004 तक प्राप्य थे।	
		संख्या	राशि
	1996-97	244	439.88
	1997-98	5	4.58
	1998-99	26	29.06
	1999-00	43	64.89
	2000-01	65	232.61
	2001-02	66	304.11
	2002-03	135	2074.00
		<b>669</b>	<b>3411.45</b>
खान	2001-02	12	979.13
	2002-03	26	1971.94
		<b>38</b>	<b>2951.07</b>
अपरम्परागत ऊर्जा स्रोत	1994-95	2	9.02
	1995-96	2	2.90
	1997-98	5	26.67
	2000-01	5	33.97
	2002-03	7	167.21
		<b>21</b>	<b>239.77</b>
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन व्यक्तिगत तथा प्रशिक्षण	1999-00	2	16.00
	2000-01	1	8.60
	2002-03	15	335.45
		<b>18</b>	<b>360.05</b>
योजना तथा सांख्यिकी योजना आयोग	2000-01	5	2.89
	2001-02	5	6.26
	2002-03	8	11.08
		<b>18</b>	<b>20.23</b>
अन्तरिक्ष	1976-77	1	0.05
	1979-80	1	0.05
	1980-81	1	0.38
	1981-82	1	0.03
	1982-83	6	0.74
	1983-84	3	0.66
	1984-85	6	1.69
	1985-86	3	0.65
	1986-87	10	3.90
	1987-88	4	4.88
	1989-90	3	3.08
	1990-91	3	5.59
	1991-92	1	1.24
	1992-93	1	1.01
	1993-94	2	1.28
	1994-95	3	4.99
	1995-96	3	0.95
	1996-97	5	8.99
	1998-99	4	0.95
	1999-00	4	4.60
2000-01	24	1624.51	

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2003 तक)	मार्च 2003 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाण पत्र, जो 31 मार्च 2004 तक प्राप्य थे।	
		संख्या	राशि
	2001-02	64	728.49
	2002-03	50	1041.35
		203	3440.36
भूतल परिवहन, राजमार्ग एवं जहाजरानी	2000-01	1	68.50
	2001-02	5	568.04
	2002-03	3	1973.76
		9	2610.30
वाणिज्य और कपड़ा			
(i) वाणिज्य	2000-01	7	337.00
	2001-02	9	873.00
	2002-03	47	8209.00
		63	9419.00
(ii) हथकरघा विकास आयुक्त, दिल्ली	1978-79	8	46.94
	1979-80	5	16.89
	1980-81	3	4.30
	1982-83	2	1.13
	1983-84	1	0.53
	1984-85	2	0.88
	1985-86	3	2.15
	1987-88	2	2.53
	1988-89	1	0.25
	1989-90	4	3.15
	1990-91	1	3.32
	1991-92	3	7.47
	1992-93	10	28.14
	1993-94	11	90.19
	1994-95	42	35.65
	1995-96	65	321.80
	1996-97	32	125.22
	1997-98	38	158.41
	1998-99	16	126.67
	1999-00	44	199.25
	2000-01	50	202.42
	2001-02	121	700.47
	2002-03	8	459.52
		472	2537.28
शहरी विकास	1984-85	1	0.40
	1985-86	8	2.70
	1986-87	1	0.50
	1987-88	3	4.15
	1988-89	4	1.15
	1989-90	2	1.70
	1990-91	5	6.32
	1991-92	4	7.91
	1992-93	8	6.89
1993-94	17	19.38	

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2003 तक)	मार्च 2003 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाण पत्र, जो 31 मार्च 2004 तक प्राप्य थे।	
		संख्या	राशि
	1994-95	20	33.79
	1995-96	12	32.35
	1996-97	7	9.32
	1997-98	4	7.14
	1998-99	6	12.12
	1999-00	17	191.19
	2000-01	17	117.42
	2001-02	77	7012.27
	2002-03	58	662.05
		<b>271</b>	<b>8128.75</b>
शहरी रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन	1983-84	1	0.54
	1985-86	1	0.50
	1986-87	2	0.70
	1988-89	2	1.90
	1989-90	4	5.72
	1990-91	3	2.18
	1991-92	3	6.10
	1992-93	7	67.98
	1993-94	5	1867.77
	1994-95	1	1.08
	1995-96	2	4.40
	1996-97	1	87.40
	1997-98	2	100.00
	1998-99	4	452.60
	1999-00	1	0.92
	2000-01	8	1143.79
	2001-02	69	14137.29
2002-03	150	35317.37	
		<b>266</b>	<b>53198.24</b>
जल संसाधन	1986-87	3	27.01
	1987-88	4	11.89
	1988-89	3	8.80
	1989-90	7	11.46
	1990-91	3	7.17
	1991-92	1	10.29
	1992-93	1	0.03
	1993-94	1	0.25
	1994-95	1	5.13
	1995-96	4	22.66
	1996-97	1	4.71
	1997-98	3	8.90
	1998-99	11	29.69
	1999-00	10	37.03
	2000-01	18	70.03
	2001-02	21	8.53
	2002-03	52	461.96
		<b>144</b>	<b>725.54</b>

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2003 तक)	मार्च 2003 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाण पत्र, जो 31 मार्च 2004 तक प्राप्य थे।	
		संख्या	राशि
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी			
(i) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	1994-95	1	1.47
	1998-99	3	13.26
	1999-00	1	1.80
	2000-01	7	8.48
	2002-03	11	14.48
		<b>23</b>	<b>39.49</b>
(ii) जीव प्रौद्योगिकी	1993-94	10	3.15
	1994-95	15	6.54
	1995-96	9	3.25
	1996-97	18	8.98
	1997-98	17	7.80
	1998-99	18	12.95
	1999-00	17	18.55
	2000-01	14	6.58
	2001-02	4	4.25
	2002-03	32	26.74
		<b>154</b>	<b>98.79</b>
विधि न्याय एवं कम्पनी कार्य विभाग			
(i) राष्ट्रीय कानूनी सेवार्थे प्राधिकरण	1982-83	2	1.00
	1983-84	5	1.52
	1984-85	5	1.30
	1989-90	3	1.30
	1990-91	1	0.25
	1991-92	7	1.48
	1992-93	8	0.80
	1993-94	9	4.15
	1994-95	5	4.05
	1995-96	12	5.75
	1996-97	22	41.91
	1997-98	28	36.10
	1998-99	60	245.89
	1999-00	47	254.50
	2000-01	27	331.85
	2001-02	18	162.00
	2002-03	26	259.25
		<b>285</b>	<b>1353.10</b>

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2003 तक)	मार्च 2003 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाण पत्र, जो 31 मार्च 2004 तक प्राप्य थे।	
		संख्या	राशि
(ii) विधायी विभाग	1993-94	1	0.05
	1996-97	1	0.05
	2000-01	1	0.02
	2001-02	1	0.03
	2002-03	1	0.02
		<b>5</b>	<b>0.17</b>
(ii) विधि मामले विभाग	1999-00	1	100.00
		<b>1</b>	<b>100.00</b>
पर्यटन	1997-98	1	10.00
	1998-99	1	398.69
	1999-00	1	150.00
	2000-01	1	10.00
	2001-02	4	46.84
	2002-03	3	100.70
		<b>11</b>	<b>716.23</b>
रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग	2001-02	1	500.00
		<b>1</b>	<b>500.00</b>
ग्रामीण विकास विभाग	1999-00	3	62.37
	2000-01	3	103.36
	2001-02	4	67.43
	2002-03	14	586.65
		<b>24</b>	<b>819.81</b>
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	1987-88	336	339.00
	1988-89	647	1245.00
	1989-90	568	875.00
	1990-91	836	1036.00
	1991-92	900	2074.00
	1992-93	798	1489.00
	1993-94	731	1551.00
	1994-95	984	2170.00
	1995-96	916	1541.00
	1996-97	491	1147.00
	1997-98	550	14017.00
	1998-99	645	3039.00
	1999-00	549	4559.00
	2000-01	2668	17960.00
	2001-02	5927	37136.00
2002-03	9748	35057.00	
	<b>27294</b>	<b>125235.00</b>	
कुल जोड़		<b>41038</b>	<b>1057255.82</b>

## परिशिष्ट VII

(पैराग्राफ 1.3 देखें)

स्वायत्त निकायों की सूची जिनके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए हैं  
(31.10.2004 तक की स्थिति)

क्र.सं.	मंत्रालय/स्वा.नि. के नाम	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	भा.स./स्वा.नि. से संबंधित ले.प्र. के जारी करने की तिथि
<b>कृषि</b>			
1.	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली	2002-03	19.11.2003
2.	भारतीय पशुचिकित्सा परिषद, नई दिल्ली	2002-03	16.09.2003
3.	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुडगांव	2002-03	20.04.2004
<b>रसायन और उर्वरक</b>			
4.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, मोहाली	2002-03	18.06.2004
<b>वाणिज्य</b>			
5.	तम्बाकू बोर्ड, गन्टूर	2002-03	1.12.2003
6.	कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली	2002-03	21.05.2004
7.	चाय बोर्ड, कोलकाता	2002-03	09.02.2004
<b>उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण</b>			
8.	भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली	2002-03	05.03.2004
<b>संस्कृति</b>			
9.	नेहरू स्मारक एवं संग्रहालय पुस्तकालय	2001-02	07.03.2003
10.	साहित्य अकादमी	2002-03	28.05.2004
11.	दिल्ली पुस्तकालय बोर्ड	2002-03	06.07.2004
<b>रक्षा</b>			
12.	हिमालय पर्वतारोहण संस्थान	2002-03	09.12.2003
<b>स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण</b>			
13.	स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान चंडीगढ़	2002-03	01.01.2004
14.	राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे	2002-03	27.10.2003
15.	अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, मुम्बई	2002-03	11.11.2003
16.	भारतीय फार्मसी परिषद	2002-03	16.03.2004
17.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान	2002-03	21.06.2004
18.	भारतीय दन्त्य परिषद	2002-03	25.05.2004
19.	भारतीय चिकित्सा परिषद	2002-03	21.05.2004
20.	भारतीय उपचर्या परिषद	2002-03	28.05.2004

2005 का प्रतिवेदन संख्या 4 (सिविल)

गृह मामले			
21.	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग	2001-02	10.03.2004
मानव संसाधन विकास			
22.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बरंगल	2002-03	30.12.2003
23.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद	2001-02 2002-03	25.04.2003 02.08.2004
24.	राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद, हैदराबाद	2002-03	01.12.2003
25.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुमति	2002-03	02.12.2003
26.	व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता	2002-03	21.01.2004
27.	भारतीय प्रबन्धन संस्थान, कोलकाता	2002-03	16.04.2004
28.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर	2002-03	15.04.2004
29.	तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (पूर्वी क्षेत्र) कोलकाता	2002-03	19.11.2003
30.	विश्व भारती, शान्तिनिकेतन	2001-02	19.09.2003
31.	तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर	2001-02	20.05.2003
32.	असम विश्वविद्यालय, सिल्चर	2001-02	22.01.2004
33.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर	2002-03	29.04.2004
34.	डा.बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जालंधर	2001-02 2002-03	08.01.2004 16.02.2004
35.	संत लोंगोवाल इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान, लोंगोवाल जिला संगरूर	2002-03	05.04.2004
36.	मालवीय क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज, जयपुर	2001-02	03.10.2003
37.	मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर	2002-03	20.07.2004
38.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र	2002-03	20.10.2003
39.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास	2002-03	24.12.2003
40.	प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, चेन्नई	2002-03	26.12.2003
41.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चेन्नई	2002-03	02.12.2003
42.	औरोविल्ले प्रतिष्ठान	2002-03	24.12.2003
43.	पांडिचेरी विश्वविद्यालय	2002-03	09.01.2004
44.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोजीकोड	2002-03	23.02.2004
45.	प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, मुम्बई	2002-03	27.01.2004
46.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई	2002-03	22.12.2003
47.	राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान, मुम्बई	2002-03	13.11.2003
48.	विश्वेसरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर	2002-03	24.11.2003
49.	भारतीय खेलकूद प्राधिकरण	1999-00 2000-01	21.02.2002 22.07.2002
50.	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान	2000-01 2001-02 2002-03	10.02.2004 21.06.2004 19.08.2004
51.	राष्ट्रीय बाल भवन	2002-03	23.03.2004
52.	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय	2000-01	01.04.2003
53.	नवोदय विद्यालय समिति	2000-01 2001-02	14.05.2002 03.10.2003

2005 का प्रतिवेदन संख्या 4 (सिविल)

54.	राष्ट्रीय पुस्तक न्यास	2000-01	11.01.2002
55.	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय	2001-02	10.09.2003
56.	केन्द्रीय विद्यालय संगठन	2001-02	31.03.2003
57.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	2001-02	16.03.2004
58.	योजना और वास्तुकला विद्यालय	2001-02 2002-03	19.09.2003 12.07.2004
59.	भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद	2001-02	12.03.2004
60.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली	2002-03	29.04.2004
61.	जामिया मिलिया इस्लामिया	2002-03	05.05.2004
62.	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय	2002-03	09.06.2004
63.	राष्ट्रीय महिला आयोग	2002-03	09.12.2003
64.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान	2002-03	08.06.2004
65.	लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ	2002-03	17.02.2004
66.	भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद	2002-03	07.04.2004
67.	केन्द्रीय विद्यालय संगठन	2002-03	30.04.2004
68.	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद	2002-03	07.04.2004
69.	राष्ट्रीय उर्दू भाषा प्रोत्साहन परिषद	2002-03	12.05.2004
70.	भारतीय विज्ञान, दार्शनिक एवं संस्कृति इतिहास परियोजना	2002-03	09.03.2004
71.	केन्द्रीय तिब्बतीय विद्यालय प्रशासन	2002-03	04.03.2004
72.	राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना एवं प्रशासनिक संस्थान	2002-03	10.06.2004
73.	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद	2002-03	19.08.2004
<b>विधि न्याय एवं कम्पनी मामले</b>			
74.	राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण सं.शा. चंडीगढ़	1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03	14.01.1999 09.09.1999 28.11.2000 09.08.2001 15.07.2002 13.08.2003
<b>ग्रामीण विकास</b>			
75.	लोक कार्यवाही तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी सन्मयन परिषद, नई दिल्ली	2001-02 2002-03	22.05.2003 09.07.2004
76.	खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई	2002-03	02.12.2003
<b>जहाजरानी</b>			
77.	कलकता गोदी श्रमिक बोर्ड, कोलकाता	2002-03	20.01.2004
78.	चेन्नई पत्तन न्यास, चेन्नई	2002-03	07.10.2003
79.	सीमेन्स भविष्य निधि संगठन, मुंबई	2002-03	07.01.2004
<b>कपड़ा</b>			
80.	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली	2001-02	16.09.2003
81.	कपड़ा समिति, मुंबई	2002-03	16.02.2004
<b>शहरी विकास</b>			
82.	दिल्ली शहरी कला आयोग, नई दिल्ली	2002-03	16.12.2003
83.	राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली	2002-03	20.02.2004

2005 का प्रतिवेदन संख्या 4 (सिविल)

84.	दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली	1997-98 1998-99 1999-2000 2000-2001	11.02.2004 26.02.2004 11.03.2004 07.06.2004
85.	लक्षद्वीप भवन विकास बोर्ड, कवारत्ती	2001-02 2002-03	11.07.2003 22.12.2003
जलसंसाधन विभाग			
86.	बेतवा नदी बोर्ड, झांसी	2002-03	25.11.2003
युवा मामले एवं खेलकूद			
87.	नेहरू युवा केन्द्र संगठन	2000-01 2001-02	05.03.2003 18.08.2004

## परिशिष्ट - VIII

(पैराग्राफ 17 देखें)

नवम्बर 2004 तक बकाया कार्यवाही टिप्पणियां

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	मार्च को समाप्त वर्ष का प्रतिवेदन	अन्य स्वायत्त निकाय		
			देय	प्राप्त नहीं हुई	पत्राचार अधीन
1.	वाणिज्य	2003	1	1	--
2.	संस्कृति	1997	1	--	1
		1998	1	--	1
		2000	1	--	1
		2001	2	--	2
3.	वित्त (आर्थिक मामले विभाग)	2003	1	--	1
4.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1999	1	--	1
		2000	1	1	--
		2001	1	--	1
		2002	2	1	1
5.	मानव संसाधन विकास (माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग)	2001	5	--	5
		2002	3	3	--
		2003	7	7	--
	महिला एवं बाल विकास विभाग	2002	1	--	1
6.	सूचना एवं प्रसारण	2002	9	5	4
		2003	4	4	--
7.	श्रम	2000	3	--	3
		2001	1	--	1
		2002	2	1	1
8.	जहाजरानी	2001	1	1	--
		2002	3	3	--
		2003	15	14	1
9.	लघु उद्योग	2000	1	1	--
		2003	1	1	--
10.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	2001	1	--	1

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	मार्च को समाप्त वर्ष का प्रतिवेदन	अन्य स्वायत्त निकाय		
			देय	प्राप्त नहीं हुई	पत्राचार अधीन
11.	कपड़ा	2000	1	1	--
12.	पर्यटन	2001	1	1	--
13.	शहरी विकास	1989	1	1	--
		1990	5	5	--
		1991	8	8	--
		1992	9	9	--
		1993	12	12	--
		2002	2	2	--
		2003	3	3	--
14.	युवा मामले एवं खेल-कूद	1994	1	--	1
जोड़			112	85	27